खण्ड-338, अंक-1
बुधवार, 12 वैशाख, शक संवत् 1901
(2 मई, 1979 ई0)

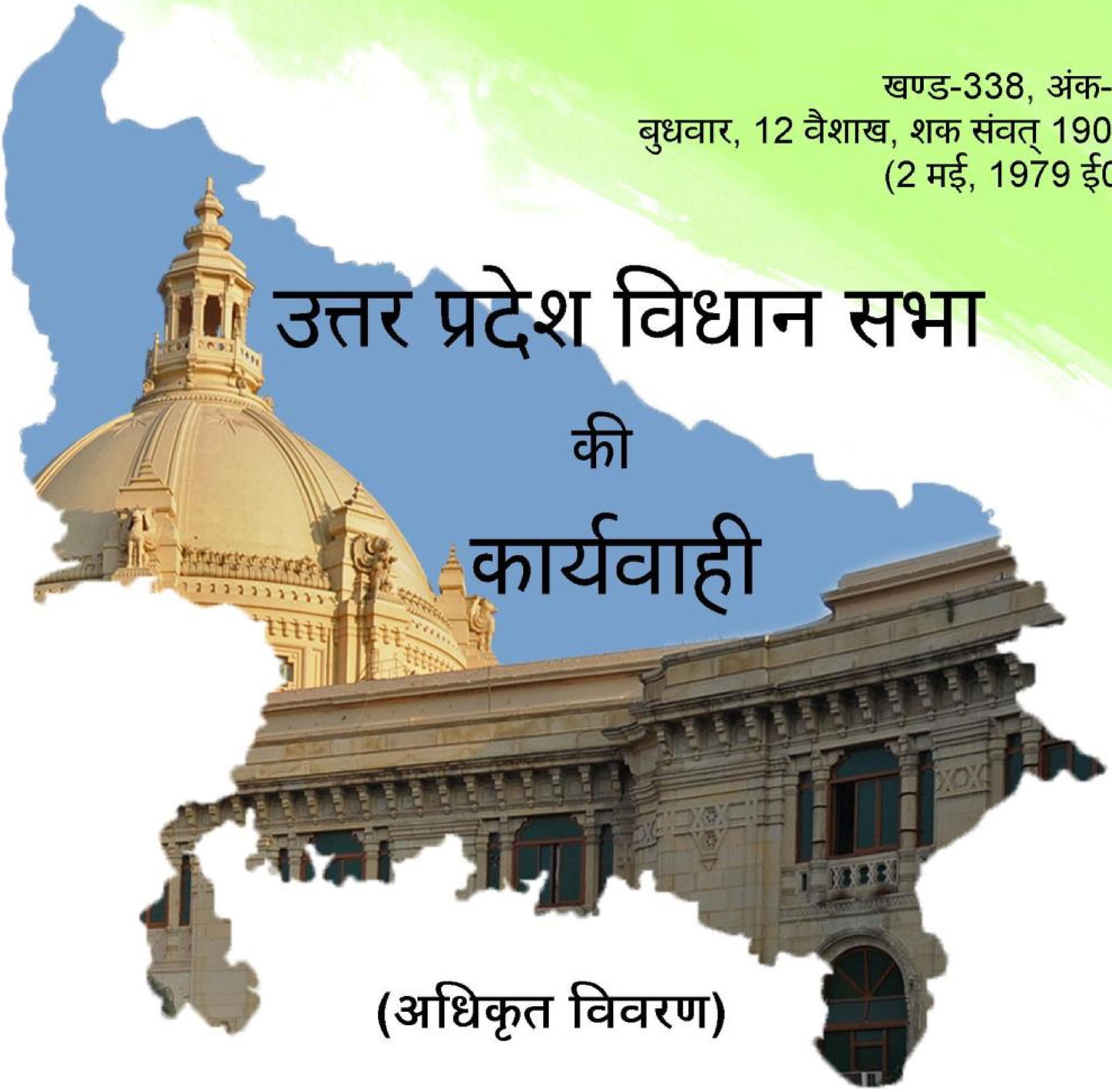

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 338 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–४
प्रश्नोत्तर	५–५६
भूतपूर्व सदस्य, श्री मान्धाता सिंह के निधन पर शोकोद्गार ..	५६–५८
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी राजा महेन्द्र प्रताप सिंह के निधन पर शोकोद्गार	५९–६२
पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री जुल्फिकार अली भुट्टो की हत्या के सम्बन्ध में निन्दा का प्रस्ताव लाए जाने की मांग ..	६२–६३
आगरा जनपद के फिरोजाबाद क्षेत्र के ग्राम ढकपुरा में बिजली के तार टूट जाने से खलिहान में आग लग जाने से १० किसानों की फसल जल जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	६३–६४
प्रदेश के डिप्लोमा फार्मेसिस्टों द्वारा सांकेतिक हड़ताल के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	६४–६५
चीनी मिलों के आरक्षित क्षेत्र में गन्ना खड़ा रहने तथा गन्ना मूल्य का भुगतान न होने से किसानों के समक्ष कठिनाई के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	६५–६६
बांदा जिले की नरैनी तहसील के कर्मचारियों द्वारा दो हरिजन महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	६६
इलाहाबाद के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में जूनियर डाक्टरों और नर्सों की हड़ताल से मरीजों के समक्ष उत्पन्न कठिनाई के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	६६–६७
छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप सदन में प्रस्तुत करने तथा चर्चा की मांग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	६७–७०
प्रदेश के विभाजन के सम्बन्ध में दो वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये जाने पर सदन का ध्यानाकर्षण ..	७०–७५
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ (सदन के पटल पर रखा गया) ..	७५
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर एवं माल कर) (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ (सदन के पटल पर रखा गया) ..	७५
उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ (सदन के पटल पर रखा गया) ..	७५
उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) अध्यादेश, १९७९ (सदन के पटल पर रखा गया) ..	७५

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९७९ (सदन के पटल पर रखा गया) ..	७५
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ (सदन के पटल पर रखा गया) ..	७६
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ (सदन के पटल पर रखा गया) ..	७६
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ (सदन के पटल पर रखा गया) ..	७६
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक महाविद्यालय (प्रबन्ध–ग्रहण) अध्यादेश, १९७९ (सदन के पटल पर रखा गया) ..	७६
वित्त (बिक्री–कर) अनुभाग–२ की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयीं) ..	७६–७७
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, १९७८ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	७७
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (अठारहवां संशोधन) नियमावली, १९७८ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	७७
उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९७९ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	७७
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों औरपेन्शन) की (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९७९ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	७८
नगरमहापालिका, लखनऊ जल परिव्यय विनियमन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७८ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	७८
उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ में किए गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण (सदन के पटल पर रखे गये)	७८
विधान सभा द्वारा पारित श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल द्वारा आभार प्रदर्शन ..	७८–७९
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७९ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	७९
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७९ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	७९
उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	८०
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७९ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) ..	८०

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, १९७९ (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	८०
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७९ (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	८०
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	८१
उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	८१
श्री चेतराम गंगवार, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना ..	८१
पी० टी० आई० लखनऊ के मैनेजर के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय ..	८१-८२
श्री राज मंगल पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय ..	८२-८५
श्री हीरा लाल खण्डेलवाल, निवासी मकन्दू गंज चौक, प्रतापगढ़ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ..	८५
भूतपूर्व कारागार मंत्री, श्री ओम प्रकाश सिंह के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय ..	८५-८७
मुख्य मन्त्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय ..	८७
जिला अस्पताल बरेली के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	८७-९५
२३ मार्च, १९७९ को सदन में श्री औसान सिंह के निलम्बन के प्रस्ताव सम्बन्धी कार्यवाही को निरस्त किये जाने की मांग पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय ..	९५-९७
कार्य मंत्रण समिति द्वारा सदन के समय के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	९७-९९
बस्यु सुन्दरी हसीना बेगम की मृत्यु पर उत्तर प्रदेश पुलिस तथा मध्य प्रदेश की पुलिस के बीच खींचातानी के सम्बन्ध में अग्रेत्तर वक्तव्य ..	९९
कमासिन से बांदा जाने वाली प्राइवेट बस के चालक सहित चार व्यक्तियों की बांदा में दिन दहाड़े हत्या की तथाकथित घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	१००-१०१
विशेषाधिकार समिति के समक्ष लम्बित प्रश्नों पर प्रतिवेदन देने हेतु समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१०१-१०२

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन)(संशोधन) विधेयक, १९७९ (पुरः स्थापित किया गया) ..	१०३
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, १९७९ (पुरः स्थापित किया गया) ..	१०३
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७९ (पुरः स्थापित किया गया) ..	१०३–१०४
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	१०४–१०८
स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में जानकारी	१०८–११५
उत्तर प्रदेश जाति प्रथा उन्मूलन विधेयक, १९७८ (वापस लिया गया)	११५–१३१
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९७८ (जारी) ..	१३१
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	१३१–१३२
कोयले की कमी के कारण ईंट निर्माण, बिजली आपूर्ति, उत्पादन, बेरोजगारी एवं घरों में ईंधन के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत खाद्य मंत्री का अग्रेतर वक्तव्य ..	१३२–१४४
कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा सदन के कार्य-क्रम के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१४४–१४५
तारिकायें	१४७–१५४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक २ मई, १९७९

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३३३

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद चौधरी, श्री
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी-कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ोनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमा कान्त बाजपेई, श्री(उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री(उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पान्डेय, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री(वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री(उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री

गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पान्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मराज सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बलदेव, श्री
बशीर अहमद, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बद्दरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बिन्दू लाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री

भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री
रामजी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे,
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री

रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलमणि सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान वर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बक्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पान्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट--स्वायत्त शासन मंत्री श्री रामाधार पांडेय, भी सदन म उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २ मई, १९७९

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

कांच एवं चूड़ी उद्योगों को कोयले का आवंटन

****१—श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—**

क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश में कितनी कांच एवं चूड़ी की कोयला उपभोग इकाइयां हैं ? क्या वर्ष १९७९ के लिये प्रदेश भर की कोयला उपभोग कांच व चूड़ी की इकाइयों को कोयला समान रूप से एक नीति के अन्तर्गत आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो कोयला आवंटन की नीति क्या है ? क्या कोयला आवंटन के समय कोयला उपभोग इकाइयों के उत्पादन चार्ट्स को बिक्री-कर कार्यालय से प्रमाणित कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को वर्ष १९७९ के माह जनवरी और फरवरी में कोयला आवंटन में भ्रष्टाचार और फर्जी उत्पादन के चार्ट्स की शिकायतें मिली ? यदि हां तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या कोयला आवंटन की दोषपूर्ण नीति के कारण फिरोजाबाद को कोयला नहीं मिला है जिससे कांच व चूड़ी की इकाइयां बन्द हैं ?

उप मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

प्रदेश में कोयला उपभोग करने वाली कांच और चूड़ी की ३७६ इकाइयां हैं। जी हां, वर्तमान नीति के अनुसार कांच एवं चूड़ी इकाइयों को गत ३ वर्षों में सबसे अधिक उत्पादन वर्ष में कोयले के उपभोग का ७५ प्रतिशत तथा इकाई की उत्पादन क्षमता का २५ प्रतिशत आधार मान कर जो आंकलन किया गया उसमें ५ प्रतिशत की सामान्य कटौती करके कोयला आवंटित किया गया है। पूरे वर्ष इकाई के कार्य दिवसों को ध्यान में रखते हुए, इकाई द्वारा प्रस्तुत उत्पादन के आंकड़ों की तुलना, इक्साइज विभाग में उपलब्ध उत्पादन के आंकड़ों तथा इकाई द्वारा किये गये बिक्री-कर के भुगतान से की गई। बिक्री-कर कार्यालय में उत्पादन की सूचना नहीं होती है अतः उस कार्यालय द्वारा उत्पादन चार्ट प्रमाणित कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

वर्ष १९७९ के जनवरी व फरवरी माह में कोयले के आवंटन में भ्रष्टाचार और फर्जी उत्पादन के चार्ट्स के बारे में कोई शिकायत नहीं हुई, बल्कि फिरोजाबाद में कोयले के आवंटन के विषय में अनियमितता बरतने की सूचना प्राप्त हुई थी इसकी जांच एक समिति द्वारा कराई गई। समिति की आख्या पर कार्यवाही की जा रही है। कोयले के आवंटन की वर्तमान नीति में कोई दोष नहीं है। कोयले की आपूर्ति और रेल द्वारा यातायात की कठिनाई एक राष्ट्रीय समस्या है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव फिरोजाबाद की कांच और चूड़ी की इकाइयों पर भी पड़ा है। किसी इकाई के बन्द होने की सूचना नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, क्या उप मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में ३७६ इकाइयों में से फिरोजाबाद में कितनी कांच और चूड़ी की इकाइयां हैं और फिरोजाबाद के बाहर कितनी हैं खण्डेवाल ग्लास वर्क्स, सासनी, अलीगढ़ को ५७६ वैगन कोयला किस आधार पर दिया गया है ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, फिरोजाबाद में कुल २०१ इकाइयां हैं जिसमें कांच की ८४ और चूड़ी की ११७ हैं। जो शिकायतें मिली थीं, उसमें कुल २५ के बारे में शिकायतें विशेष रूप से थीं कि उनको कोयला अधिक मिल गया है। जिसके बारे में जांच की गयी और यह पाया गया कि ११ को अधिक कोयला मिला है। उसमें जिसका नाम आप ले रहे हैं, वह भी है।]

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैंने यह जानना चाहा है, ३७६ इकाइयां आपने बतलायी हैं उसमें से २०१ फिरोजाबाद में हैं। इसके अतिरिक्त जितनी इकाइयां हैं, क्या उनको भी फिरोजाबाद में जो नीति निर्धारित की गयी है, उसी आधार पर कोयला आबंटित किया गया है ? यदि हां, तो जैसा आपने कहा कि समान वितरण नीति है, वह सही नहीं है। दूसरे मैंने कहा कि खंडेलवाल ग्लास वर्क्स सासनी, अलीगढ़ को ५७६ वैगन कोयला दिया गया, तो यह किस नीति के आधार पर, क्षमता या उत्पादन के आधार पर ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, कांच और चूड़ी की इकाइयां जो हैं, सबको एक ही नीति के आधार पर आबंटन हुआ था। यह जरूर है कि जिसके बारे मे आप बता रहे हैं, उसके बारे में जांच में जो बात आयी, वह यह है कि वहां पर सचमुच उनको अधिक कोयला मिला और उसके बारे में कार्यवाही चल रही है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि फिरोजाबाद को छोड़ कर, जो नीति आपने बतायी है, वह फिरोजाबाद में लागू है और जो फिरोजाबाद से बाहर कांच यूनिटें चल रही हैं, उनमें क्षमता के आधार पर नैनी इलाहाबाद और सासनी, अलीगढ़ में क्षमता के आधार पर वितरण किया गया है। आपके विभाग ने जिस पर "जी हां" कहा है यह सूचना गलत है।

दूसरा प्रश्न यह है कि जो समिति आपने शिकायतों के सम्बन्ध में बनायी थी, उसकी आख्या क्या है, सदन के पटल पर क्या उसको रखेंगे और उस पर अभी तक क्या आपने कार्यवाही किया है ?

श्री राम नरेश यादव--

जो रिपोर्ट आयी थी, उसमें अभी विचार हो रहा है। एक बात जरूर हुई कि जिस अधिकारी के बारे में शंका पैदा हुई है उसको इस समय स्थानान्तरण के आदेश कर दिये गये हैं तथा जो अधिकारी इसमें दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही होगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि समिति की रिपोर्ट में लिखा गया है कि बहुत सी इकाइयां ऐसी हैं, जो चलती नहीं है, लेकिन उनको भी कोयला एलाट हुआ है और वह कोयला वह ब्लैक में बेच कर मुनाफा कमा रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसी इकाइयों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम नरेश यादव--

इस तरह का प्रश्न कमेटी के सामने नहीं था बल्कि कुछ इकाइयों को अधिक कोयला दे दिया गया है और कुछ को कम, इसलिये इसकी जांच के लिये समिति को कहा गया और समिति न इस पर अपनी रिपोर्ट दिया है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनी ताल)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कोयले के अभाव में इतनी चूड़ी की इकाइयां बन्द हैं, तो इससे चूड़ी निर्माण में कितनी कमी हुई है ? मन्त्री जी ने आजमगढ़ में जो कमी महसूस किया है, तो वहां क्या इसकी चर्चा है ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर यह कमी इन्होंने महसूस किया है लेकिन कोई इकाई बन्द होने की सूचना मुझे नहीं है, बल्कि व्यवस्था किया है कि पिछले साल जहां १० प्रतिशत कटौती थी, वहां पर ५ प्रतिशत कटौती इस वर्ष की गयी है । दूसरी बात इस उद्योग के ऊपर संकट न आये और जितनी मांग कोयले की प्रदेश में है, उसको ध्यान में रखते हुये कोयले का आवंटन जो पिछले साल १७५६१ वैगन था, उसको बढ़ा कर २०४७० वैगन कर दिया गया है । इसलिये मुझे किसी इकाई के बन्द होने की सूचना नहीं है और न कोई बन्द है ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि फिरोजाबाद के अन्दर तीन ऐसे उद्योगपति हैं, जिनको चूड़ी बनाने की क्षमता से अधिक कोयला दिया गया है, तो वह कौन उद्योगपति हैं और किस अधिकारी ने उनको यह कोयला दिलाया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी इजाजत मैं नहीं देता हूं ।

नक्सलपंथी बन्दियों की रिहाई की मांग

**२--श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या कारागार मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के नक्सलपंथी बन्दियों की रिहाई का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या शासन इस प्रश्न पर विचार करने का कष्ट करेगा ?

कारागार मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

जी हां । यह मामला शासन के विचाराधीन है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी यह जानते हुये कि प्रदेश के लगभग ५९ नक्सलपंथी बन्दी ७ वर्षों से ज्यादा सजा काट चुके हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है, वे भांति-भांति रोग से ग्रसित हैं, उनके परिवार छिन्न-भिन्न हो गये हैं, तो रिहाई तक उनको क्या प्रोबेशन, पेरोल की व्यवस्था करेंगे और जेलों में उन्हें राजनैतिक बन्दियों की सुविधा प्रदान करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, जो नक्सलपंथी बन्दी हैं, उनका जेलों में स्वास्थ्य खराब नहीं है, अच्छा है। जहां तक राजनैतिक बन्दियों को प्रोबेशन और पेरोल की सुविधा देने की बात है, उस सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं और यह एक तरह से राष्ट्रीय मामला है। जब तक भारत सरकार से सहमति नहीं मिल जायेगी, निर्णय नहीं ले सकते हैं। भारत सरकार से परामर्श कर रहे हैं और जल्दी ही निर्णय हो जायगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरी जानकारी को सही मान कर क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि बरेली, फतेहगढ़ और बनारस आदि जेलों में, जो नक्सलपंथी बन्द हैं, वे गम्भीर रोगों से ग्रसित हैं। मेरी जानकारी के आधार पर क्या इन नक्सलपंथियों का मेडिकल एग्जामिनेशन करायेंगे और जहां तक केन्द्रीय सरकार की नीति का सवाल है, सबसे पहले तत्कालीन गृह मन्त्री चौधरी चरण सिंह जी ने ही नक्सलपंथियों को छोड़ने की बात कही थी और उसी सिलसिले में पंजाब, बंगाल और कुछ दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने छोड़ा भी है। लेकिन हमारी सरकार इसमें देर क्यों कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

पहले भाग का जवाब दे दें कि तमाम बन्दीगण बीमार हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, हमारी सूचना के अनुसार, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो उसकी जानकारी दे दें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, कई लोग टी० बी० से ग्रसित हैं, कई लोग दूसरे गम्भीर रोगों से ग्रसित हैं। बरेली, फतेहगढ़, बनारस और गोरखपुर आदि सभी जेलों में नक्सलपंथी बन्दी गम्भीर रोगों से ग्रसित हैं।

एक सदस्य--

मान्यवर, मेरा निवेदन है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लिख कर भेज दें, तो वह जांच करा लेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि बरेली, फतेहगढ़, गोरखपुर और बनारस आदि जेलों में जितने भी नक्सलपंथी बन्द हैं, वे गम्भीर रोगों से ग्रसित हैं, तो क्या माननीय मन्त्री जी उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, वैसे तो आप जवाब दे चुके हैं लेकिन अगर आपकी जानकारी में और कुछ हो, तो बता दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य लिख कर दे दें, तो जांच करा लेंगे। वैसे हम जानकारी कर लेंगे और अगर उनके स्वास्थ्य खराब हैं, तो पूरी चिकित्सा की सुविधा दी जायेगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, इस प्रश्न में दो बातें विचाराधीन हैं एक तो उनको पेरोल की सुविधा की बात है और दूसरी मन्त्री जी ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया जा रहा है। मैं माननीय मन्त्री जी को जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि बिहार, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा और पंजाब में नक्सलपंथी लोग छोड़ दिये गये हैं, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये क्या इन नक्सलपंथियों को तुरन्त रिहा करने का आदेश निर्गत करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, इसकी सूचना मुझको नहीं है कि अन्य प्रदेशों में कुछ इस तरह के बन्दी रिहा हुये हैं। बहरहाल, इस पर हम विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही निर्णय ले लेंगे।

श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि भारत सरकार से विचार कर रहे हैं, तो क्या बताने की कृपा करेंगे कि कब तक परामर्श कर लेंगे और कब तक इन लोगों को छोड़ देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह बता तो दिया कि कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन नक्सलपंथियों को स्वतः उत्तर प्रदेश शासन छोड़ने के पक्ष में है या नहीं और अगर है तो इस सम्बन्ध में कोई संस्तुति की है या नहीं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, हमने पहले ही निवेदन किया कि यह मामला एक तरह से भारत सरकार से सम्बन्धित है। एक ही नीति पूरे देश में लागू होगी। भारत सरकार की जो नीति होगी, उसी के मुताबिक काम किया जायगा।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर .....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं पूछे दे रहा हूं। माननीय पाण्डेय जी का कहना यह है कि इस सरकार की स्वतः कोई नीति इस बारे में है या वहां से जो आदेश प्राप्त होंगे, उन्हीं का पालन करेंगे ? इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

यह प्रकरण पिछले वर्ष १९७७ में चालू हुआ और उस पर भारत सरकार ने हमको लिखा कि जो लोग अहिंसा और लोक तन्त्र में विश्वास रखते हों उनके सम्बन्ध में विचार करके रिपोर्ट मंगा लें। हमने रिपोर्ट मंगा ली है और भारत सरकार से परामर्श कर रहे हैं। हमारी नीति है कि इसमें पूरे देश में एक नीति लागू हो और जब तक भारत सरकार से परामर्श नहीं मिलेगा हम लोग कोई निर्णय नहीं ले सकते।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

भारत सरकार की क्या नीति होगी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम यह समझते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन की भी अपनी कोई व्यक्तिगत नीति है, इस किस्म के बन्दियों के बारे में कि क्या निर्णय लेना है और किन-किन शर्तों पर वह उनको रिहा करने के लिये भारत सरकार को संस्तुति करने के लिये उद्यत है।

श्री उपाध्यक्ष--

इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री ऊदल--

क्या सरकार बंगाल, पंजाब और हरियाणा की सरकारों की जो शर्तें हैं इन नक्सलपंथी कैदियों को रिहा करने की उनको मंगा कर विचार करेगी और उन्हीं शर्तों पर छोड़ने की कृपा करेगी ?

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने नक्सलपंथियों के सम्बन्ध में जो भी गाइड लाइन्स बनायी हैं, उनके अनुसार यह कार्य करेंगे। लेकिन हमारा यह निश्चित मत है कि जो नक्सलपंथी हिंसा में यकीन नहीं रखते हैं या जिन पर हिंसा आदि के काण्ड नहीं हैं, उन सब के व्यक्तिगत प्रश्नों के ऊपर अध्ययन करके अवश्य हम यह चाहते हैं कि किसी को अनावश्यक अधिक काल तक जेल में न रखा जाय। इन व्यक्तिगत प्रश्नों पर विचार करने के बाद हम विचार करेंगे।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

माननीय मुख्य मन्त्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई नक्सलपंथी ऐसा भी जेल में बन्द है जिसके ऊपर हिंसा का चार्ज न हो ?

श्री बनारसी दास--

उनके विचार क्या हैं यह तो नहीं कहा जा सकता। यह सही है कि नक्सलपंथियों का तो बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, यू० पी० का ही नहीं बल्कि अखिल भारतीय आन्दोलन था। शुरू में ज्यादा हिंसात्मक रूप था। उसमें कुछ शिथिलता आई इसलिये उत्तर प्रदेश के अन्दर भी जैसे समय-समय पर इस सदन में सूचना दी गई है, उनकी संख्या बड़ी नगण्य है। उनके विचार जो भी रहे हैं, लेकिन इन सब पर विचार करके यदि सरकार आश्वस्त हो गई कि इनको छोड़ने से शांति व्यवस्था का कोई खतरा नहीं है, तो उनको छोड़ने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

(श्री गिरीश चन्द्र तिवारी का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन् एक ही व्यक्ति के सवाल होते रहेंगे । (व्यवधान)

(प्रश्न संख्या ३ के पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, महत्वपूर्ण सवाल है । आपने हमको मौका नहीं दिया कि हम शासन की नीति समझें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब दस मिनट हो गये हैं । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दिया है । मैं जरूरी नहीं समझता कि इस पर अब और अनुपूरक प्रश्न पूछे जायं ।

हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट परीक्षा के प्रश्न पत्र का "विशाल गेस" पेपर में प्रकाशन

**३--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद), श्री रवीन्द्र सिंह तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह जानकारी मिली है कि इस वर्ष १९७९ माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व "विशाल गेस" पेपर में प्रकाशित होकर बेंचे गए हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवाई गई ? जांच का परिणाम क्या निकला ? क्या शासन गेस-पेपर्स के प्रकाशन पर रोक लगाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)--

हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व विशाल गेस पेपर्स में प्रकाशित कर बेचने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं परन्तु परीक्षण के उपरान्त प्रश्न-पत्रों के कुछ अंश ही गेस पेपर्स के मिलते-जुलते पाये गए, जिसके आधार पर प्रश्न-पत्रों को आउट होने की प्रमाणिक रूप से पुष्टि नहीं हुई । सम्पूर्ण विषय उच्च स्तरीय जांच हेतु सी० आई० डी० को अभिदिष्ट कर दिया गया है और जांच प्रगति में है । गेस पेपर्स के प्रकाशन पर रोक लगाने की विधिक व्यवस्था भी प्रस्तावित है ।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

उन्होंने स्वयं विशाल गेस पेपर का निरीक्षण किया है तो क्या उन्होंने यह पाया कि हाई स्कूल का एक-एक गेस पेपर जिस क्रम से आउट हुआ, उसी क्रम से हाई स्कूल परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट होते गए ? माननीय मंत्री जी ने क्या इसे स्वयं देखा है और यदि देखा है, तो प्रमाण की क्या आवश्यकता है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

विशाल गेस पेपर्स को असली पेपर्स से मिलाया गया । आज्ञा दें तो कितना प्रतिशत दोनों में एकरूपता पाई गई उसे मैं पढ़े देता हूं । हाई स्कूल परीक्षा, १९७९ के २३-३-७९ के हिन्दी द्वितीय में २८ प्रतिशत, २४-३-७९ के हिन्दी तृतीय

(श्री कैलाश नाथ सिंह)--

में ४९ प्रतिशत, २६-३-७९ के सामान्य गणित तथा गणित प्रथम में ७६ तथा ५१ प्रतिशत, २७-३-७९ के सामान्य गणित द्वितीय तथा गणित द्वितीय में ५९ तथा ५२ प्रतिशत तथा ३१-३-७९ के विज्ञान प्रथम में ५२ प्रतिशत गेस पेपर मिला । इंटर परीक्षा, ७९ में २६-३-७९ के भौतिक विज्ञान प्रथम में २५ प्रतिशत, २७-३-७९ के भौतिक विज्ञान द्वितीय में ५० प्रतिशत, २९-३-७९ के गणित प्रथम में २६.६ प्रतिशत तथा ३०-३-७९ के गणित द्वितीय में ३१ प्रतिशत तथा ११-४-७९ के रसायन विज्ञान प्रथम पेपर में ३७.५ प्रतिशत गेस पेपर से मिला । कोई भी परीक्षा प्रश्न-पत्र हूबहू गेस पेपर की तरह नहीं पाया गया । ऐसा भी सम्भव होता है वरिष्ठ अनुभवी अध्यापक स्वयं भी अपने अध्यापन के अनुभव के आधार पर गेस पेपर्स लड़कों को बतलाते हैं और कई प्रश्न, जो उनके बतलाए हुए होते हैं वे परीक्षाओं में आ जाया करते हैं ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

माननीय मन्त्री ने कितना माप दण्ड रखा है परसेन्टेज का जिससे वे इस बात से आश्वस्त हो जायं कि प्रश्न-पत्र आउट नहीं हुआ है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

शत प्रतिशत ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या यह सत्य है कि विशाल गेस पेपर्स पर सील लगा दी गयी थी जांच के संदर्भ में, लेकिन बाद में उसके मालिक ने सील तोड़ दी ? यदि यह सत्य है, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जो सील लगाई गई थी मेरठ के अन्दर उस सील को तोड़ने की सूचना मिली । वहां जिलाधीश और सम्बन्धित एस० एस० पी० को आदेश दिया गया तद्नुसार कार्यवाही करने के लिए और सील तोड़ने से जो सम्बन्धित थे, उनको प्रेस ऐक्ट की विभिन्न धाराओं के अन्दर गिरफ्तार कर लिया गया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जो सील मोहर बन्द हुई थी, उसको तोड़ दिया गया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि तोड़ने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो वे बता चुके हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

उनके प्रति क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

उनको गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर मुकदमा दायर किया गया ।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

मान्यवर, विशाल गेस पेपर्स हर शाम को कार से सारे प्रदेश में वितरित हुए हैं। अगर यह अध्यापकों से आउट हो सकते थे, तो इस साल क्या स्पेशल व्यवस्था हुई कि ये पेपर्स बाजारों में बिके ? क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री कैलाशनाथ सिंह—

इस तरह की कोई जानकारी नहीं है लेकिन चूंकि शिकायत प्राप्त हुई है और विधान परिषद् में भी यह प्रश्न आया था, इसलिए इसकी सम्पूर्ण जांच सी० आई० डी० को सौंप दी गई है। उसकी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री इस प्रारम्भिक घोषणा को देखते हुए कि सरकार का प्रथम प्रयास होगा कि परीक्षायें ठीक से हों और शिक्षा का स्तर ठीक से अविवर्द्धित हो, जहां-जहां गेस पेपर्स के आधार पर नकलें हुयी हैं, वहां पर क्या कार्यवाही की गई थीं, जिससे दुबारा वहां ऐसी घटनाएं न हों। इस कारण उनको नकल करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार की बुनियादी नीति क्या है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जहां परीक्षाओं के सम्बन्ध में शिकायत मिली है वहां पहले से ही सेन्टर्स को कह दिया जाता है कि उसे रोकने की व्यवस्था की जाय। इस वर्ष विशेष रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में ३ चल दस्तों को भेजा गया था और जहां कहीं भी सूचना गोपनीय ढंग से मिली वहां उनके द्वारा उन्हें पकड़ने की कार्यवाही की गई जो कि बहुत प्रभावी थी। विशेष रूप से केन्द्रों पर व्यवस्थापकों द्वारा जिन निरीक्षकों को लगा दिया गया था, उनके द्वारा भी नकल रोकने की व्यवस्था की गई। मुख्य रूप से एक प्रश्न विचाराधीन है कि जिन केन्द्रों पर नकल ज्यादा हुई है और सर्वेक्षण के आधार पर जो सूचना प्राप्त हुई है वहां का प्रतिशत भी बहुत अच्छा नहीं मिला है।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

प्रदेश में नकल करने का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है और पेपर्स आउट हो रहे हैं। इसको देखते हुये देश को ला-एन्ड-आर्डर का प्रोब्लेम और खराब होती है, तो क्या सरकार परीक्षा पद्धति को बदलने पर विचार कर रही है और क्या इसके लिए शिक्षाविदों और इस सदन के सदस्यों को एक सामूहिक समिति के गठन पर विचार हो रहा है ? जिससे नकल न हो और परचे आउट न हों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

इस सम्बन्ध में यह विचार किया जा रहा है शिक्षाविदों, शिक्षा शास्त्रियों, विधायकों, सांसदों तथा अन्य लोगों को इस तरह से समिति के गठन पर विचार हो रहा है ताकि शिक्षा जगत में सुधार हो सके। उसके अनुसार इसमें सुधार करने का प्रयास किया जायेगा।

श्री श्याम वर मिश्र—

मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि प्राथमिक रूप से पुष्टि के लिए यह आवश्यक है कि एक उच्च स्तरीय जांच हो, साथ ही उन्होंने स्वयं ही यह कहा है कि १९ से ७६ प्रतिशत तक परचे आउट हुए हैं।

[श्री श्यामधर मिश्र

अगर उसका पुष्टिकरण हुआ है, तो क्या कारण है कि जो यह कह रहे हैं कि सम्पूर्ण विषय उच्च स्तरीय जांच हेतु सी० आई० डी० को सुपुर्द कर दिया गया है, तो यह उच्च स्तरीय सी० आई० डी० विभाग कौन सा है। क्या क्रिमिनल एक्शन की जांच हो रही है या यह जांच हो रही है कि किस तरह से मिलान हो रहा है। माननीय मंत्री जी या माननीय मुख्य मंत्री जी बता दें कि यह उच्चस्तरीय सी० आई० डी० जांच क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

उच्चस्तरीय सी० आई० डी० जांच किस तरह करा रहे हैं ? यह बता दें।

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मान्यवर, यह जांच सी० आई० डी० विभाग को सौंप दी गई है। अब उस उच्चस्तरीय शब्द है जिसे आप मिसनोमर कह सकते हैं, लेकिन जांच सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है ताकि तथ्य प्रकाश में आ जायं।

(प्रश्न संख्या ४ पुकारे जाने पर)

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें करना है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं इजाजत नहीं देता। दूसरा सवाल पुकार लिया है। इसमें काफी प्रश्न हो चुके।

विद्यार्थियों के लिए विचाराधीन नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम

**४—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर) तथा श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मंत्री (माध्यमिक) यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विद्यार्थियों में नैतिक शिक्षा का पाठ्य-क्रम चालू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी ? तथा उसका प्रारम्भ कब से किया जायेगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हां।

रूपरेखा विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नैतिक शिक्षा को जो पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने का प्रश्न विचाराधीन है, उसमें नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में जोड़ना शासन ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है, अथवा सिद्धान्ततः स्वीकार करना भी विचाराधीन है ?

श्री कैलाशनाथ सिंह—

मान्यवर, नैतिक शिक्षा का विषय पहले से ही हाईस्कूल और इंटरमीडिएट क्लासेज में अनुच्छेद ८३ के अनुसार है किन्तु उसका अध्यापन और उस पर प्रभावी

ढंग से कार्य सम्पन्न नहीं हो रहा था । इसलिए यह प्रयास किया गया है कि नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से जुलाई माह से अच्छे रूप से चलाया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम संशोधन करने के लिए शासन के सामने विचाराधीन है, उसकी रूपरेखा क्या है और यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उसे संशोधित करने के लिए कोई कमेटी बनायी है या उस पर शासन के स्तर पर विचार हो रहा है ।

श्री कैलाशनाथ सिंह--

जी हां, इसके लिए कमेटी बनाई गई है । उसमें अभी विभागीय अधिकारी हैं । मैं चाहता हूं कि इसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाय । अब तक उसमें शिक्षा निदेशक और नैतिक शिक्षा के कार्य को देखने वाले उप-सचिव हैं । लेकिन मेरा विचार है कि इसमें जनप्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

(श्री गनेशी लाल चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

मान्यवर, मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आया एक हिस्से का तो आ गया लेकिन दूसरे हिस्से का नहीं आया कि उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आ गया है, उन्होंने कहा कि रूपरेखा विचाराधीन है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नैतिक शिक्षा से सम्बन्धित कितने प्रश्न-पत्र कक्षाओं में इंट्रोड्यूस करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आप विस्तार का प्रश्न पूछ रहे हैं । उन्होंने कहा कि रूपरेखा विचाराधीन है यह उसमें आ जाता है ।

श्री मुख्तार अनीस (जिला सीतापुर)--

मेरा प्रश्न यह है कि जो नैतिक शिक्षा का प्रारूप बन रहा है, वह क्या है, उसके बारे में मंत्री जी बतायें और क्या महात्मागांधी जी नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में वर्धा कमेटी की रिपोर्ट है, उसको भी मद्देनजर रखेंगे ?

श्री कैलाशनाथ सिंह--

जी हां, जो बताया गया है, उसे मद्देनजर रखा जाएगा ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नैतिक शिक्षा का कार्यक्रम तय करने के लिए जो कमेटी बनाई जाएगी, उसमें अभी तक अधिकारी हैं, किन्तु बाद में जनप्रतिनिधियों को भी शामिल कर लिया जाएगा, तो क्या उसमें उस शिक्षा को देने के लिए कुछ नैतिक लोगों को भी आप शामिल करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी इजाजत नहीं है ?

श्री अशफाक अहमद (जिला बरेली)--

क्या शिक्षा मंत्री जी बताएंगे कि यह शिक्षा किस भाषा के माध्यम से दी जाएगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी इजाजत नहीं है, यह राष्ट्रभाषा के माध्यम से दी जाएगी ।

श्री कैलाश नाथ सिंह--

(श्री शतरुद्र प्रकाश के प्रश्न के उत्तर में अपनी ओर से) इस मायने में हम सब लोग नैतिक हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मैं शिक्षा मंत्री से जानना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार की नैतिकता की परिभाषा क्या है ? क्या इस पार्टी की कोई नैतिकता है और किस तरह की यह शिक्षा देना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी इजाजत नहीं है । (व्यवधान)

तारांकित प्रश्न--

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

*१--श्री रियासत हुसैन--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर दूसरे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थगित]

विद्या भवन इन्टर कालेज, अरौल, कानपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती-पत्रों की जांच

*२--श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत "विद्या भवन इन्टर कालेज, अरौल" के प्रधानचार्य के विरुद्ध उनके भ्रष्टाचार व अवैधानिक कार्यों सम्बन्धी मार्च, १९७७ से अब तक कुल कितने शिकायती-पत्र उत्तर प्रदेश शासन व जिला प्रशासन को प्राप्त हुए और उनमें से कितने पत्रों की जांच कराई गयी तथा जांच में कौन-कौन आरोप सही पाए गए तथा सिद्ध आरोप के आधार पर शासन ने प्रधानाचार्य के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी हां,

कुल १८ शिकायत पत्र प्राप्त हुये थे । चूंकि सभी शिकायती पत्रों में एक जैसी ही शिकायतें थी अतः उन सभी आरोपों की जांच की गई । प्रधानाचार्य के विरुद्ध विभाग की अनुमति के बिना छात्राओं का प्रवेश, छात्र वृत्तियों के धन का भुगतान न करना, अंक चिटों की प्राप्ति में अवैधानिक धन की वसूली, अवैधानिक ढंग से छात्रों के नाम काटना, टी० सी० काटने में धन की वसूली जैसे आरोप सही पाये गये । जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर ने प्रधानचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निदेश प्रबंधक को दे दिये हैं ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या शिक्षा मंत्री जी अपनी फाइल देखकर बताएंगे कि कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी इसके पहले सन्, ७७ में भी मुझे ४ उत्तर प्राप्त हुए थे और उनमें यह था कि कार्यवाही की जा रही है, लेकिन आज जो उत्तर मिला है, उसमें है, कि कार्यवाही करने के आदेश दिए गये हैं । तो १८ आरोप पत्र मंत्री जी के विभाग में मिले हैं और वे सारे के सारे सही पाए गये । कार्यवाही करने के संबंध में जो उत्तर है, उससे सिद्ध है कि आरोप तो पहले से ही सिद्ध थे, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । तो आज अब यह कैसे मान लिया जाए कि अब जो आदेश दिए गये हैं, उस पर कार्यवाही की जायेगी ? अगर की जायेगा तो वह कब तक हो जायेगी ?

श्री कैलाशनाथ सिंह—

इस संबन्ध में १—१२—७७ को प्रबन्धक को तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर को भी कहा गया है कि वह उनके विरुद्ध कार्यवाही करें, तो जितनी भी सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं, उनके आधार पर डी—३ डी—४ की कार्यवाही तुरन्त कर दी जायेगी । मैंने पूरी फाइलें देखी है वह यदि डी—४ में नहीं आया तो डी—५ में वहां पर प्रशासक रखने की व्यवस्था हम शीघ्र ही करेंगे ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

जिस शिकायती—पत्र का जिक्र है, जो एक गम्भीर शिकायती—पत्र है, उसका उसमें उल्लेख नहीं है और वह यह है कि १८—१—७७ को एक शिकायती पत्र द्वारा बताया गया है कि इस इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य का लड़का उस इन्टर कालेज का छात्र होते हुए भी इंटरमीडिएट कालेज में बोर्ड की परीक्षा दे रहा था और नकल करायी जा रही थी मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह शिकायती—पत्र जो दिया गया शासन को वह कहां गायब है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह शिकायती—पत्र प्राप्त हुआ है । शासन को ?

श्री कैलाशनाथ सिंह—

माननीय सदस्य, देहलवी जी का पत्र तो इसमें मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष —

यह भी बता दें कि क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

इसी के आधार पर डी—३ की नोटिस इश्यू की गयी है ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

यह बड़ा गम्भीर आरोप है । बोर्ड के नियम के विपरीत प्रधानाचार्य का लड़का उसी इंटरमीडिएट कालेज का छात्र होते हुए वहीं पर उसने इम्तहान दिया और फर्स्ट क्लास पास घोषित किया गया, तो कार्यवाही उस पर क्या हुई ? यह दरख्वास्त दी गई कि यह काम इस इंटरमीडिएट कालेज में हो रहा है । लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । मंत्री जी ने भी उस उत्तर को बिलकुल दबा लिया । अगर उनके पास यह शिकायती-पत्र है तो मान्यवर, इसमें कोई उल्लेख इसका नहीं है । मैं कहना चाहूंगा कि...

श्री उपाध्यक्ष—

आप सीधा प्रश्न पूछिए ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

उस पर कार्यवाही नहीं है । लड़का इम्तहान में नकल करके उसी कालेज में पास हुआ, फर्स्ट क्लास ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप सूचना दे रहे हैं । आप प्रश्न पूछिए ।

श्री मोती लाल देहलवी—

यह जो इतना अवैधानिक कार्य हुआ उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो कह चुके हैं कि जो पत्र प्राप्त हुआ उसकी इन्क्वायरी के लिए उन्होंने लिख दिया है, आदेश कर दिया है । कानपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक उसको देख रहे हैं ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

शिक्षा मंत्री ने १८ प्रार्थना पत्र स्वीकार किये । उनका विवरण भी दिया है । उसमें यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया । तो मैं जानना चाहूंगा कि यह जो गम्भीर आरोप है उस पर क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री कैलाशनाथ सिंह—

नियमावली के अन्तर्गत नोटिस दिया गया । नोटिस की अवहेलना किया है । उसके बाद जैसा बताया डी-४ की कार्यवाही चलती है । चूंकि अनियमितताय- बहुत अधिक हैं, सचमुच गम्भीर आरोप हैं । पहले बता दिया कि शासन की ओर से प्रबन्ध समिति को भंग करने और एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने की कार्यवाही डी-५ के अन्तर्गत करने जा रहे हैं ।

राष्ट्रीय बालिका विद्यालय, लखनऊ की अध्यापिकाओं का अवशेष वेतन एवं अनशन

*३—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ की राष्ट्रीय बालिका विद्यालय की अध्यापिकाओं द्वारा ८ मास से वेतन न मिलने के कारण अक्तूबर सन् १९७८ के प्रथम सप्ताह में अनशन पर बैठी ? यदि हां, तो ८ मास तक वेतन न मिलने का कारण क्या था ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी हां । उनके वेतन न मिलन का कारण विद्यालय प्रबन्ध तन्त्र के पास धनाभाव है ।

श्री कृष्णस्वरूप--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि शासन की जानकारी में कब आया कि अध्यापिकाओं को वेतन नहीं मिल रहा है और जानकारी में आने के बाद शासन ने वेतन दिलाने के क्या पग उठाये और वेतन मिला है या नहीं ?

श्री कैलाशनाथ सिंह--

मान्यवर, इस समय जो स्थिति है उसमें विद्यालय का प्रबन्धाधिकरण भी बदल गया है और पुराने प्रबन्धक शान्ताकुमारी वश्य को मना किया गया है कि वह समिति के कार्यों में बाधा न डालें और अपने को प्रबन्धक न बताएं । मार्च १९७७ से फरवरी, १९७८ तक के अवशेष, पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर का भुगतान हो गया है । अब नयी प्रबन्ध समिति ने जनवरी, १९७९ से नियमित भुगतान प्रारम्भ कर दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पुनरीक्षित वेतन मान का अवशेष मात्र दिया गया है या पूरा वेतन दिया गया है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

अन्तर का भुगतान कर दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मैंने यह प्रश्न किया था कि वेतन ८ महीने का मिला या नहीं या पुनरीक्षित वेतन मान का अवशेष दिया गया है । मैं मंत्री जी से यह स्पष्ट जानना चाहता हूं कि ८ महीने का वेतन दिया गया है अथवा नहीं ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

मान्यवर, वेतन बांटने की पूरी जिम्मेदारी प्रबन्धाधिकरण की है । शासन केवल कार्यवाही कर सकता है । जो रिपोर्ट आयी है उससे यह मालूम होता है कि उनके पास धनाभाव है । जो रुपया शेष है उसको प्रबन्धाधिकरण के बांटने की जिम्मेदारी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक बात सुन लें । ८ महीने का वेतन मिला या नहीं । और इसकी सूचना माननीय मंत्री जी नहीं दे पा रहे हैं इसलिये प्रश्न को आज कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसको मैं स्थगित करने की आवश्यकता नहीं समझता हूं ।

श्री सरस्वती विद्यालय इण्टर कालेज, हापुड़ के अध्यापकों का वेतन निर्धारण एवं पत्र

*४—श्री बनारसी दास चांदना (जिला गाजियाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन को महा मन्त्री जनता युवा मोर्चा, हापुड़ का पत्रांक ज० य० म०/११४, दिनांक १ अगस्त, १९७८ श्री सरस्वती विद्यालय इन्टर कालेज, हापुड़ के कुछ अध्यापकों के वेतन निर्धारण को लेकर उनके उत्पीड़न के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन ने क्या किया ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त हुआ जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

के० जी० इण्टर कालेज, हींग की मंडी, आगरा के अध्यापक, श्री अशोक कुमार की सेवा समाप्ति

*५—श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि राजाज्ञा सं० मा०-४६९६-१५, जुलाई, १९७५ लखनऊ, दिनांक १८ अगस्त, १९७५ के अधीन १ सितम्बर, १९७५ को नियुक्त श्री अशोक कुमार, सहायक अध्यापक, एल० टी० ग्रेड के० जी० इण्टर कालेज, हींग की मन्डी, आगरा की सेवाओं की समाप्ति उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (७) अनुभाग संख्या मा० ३१६-पन्द्रह-७-७७-२ (३) -७७, लखनऊ, दिनांक २२ जनवरी, १९७७ अधिसूचना एवं उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अध्यादेश, १९७७ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ५, १९७७) के विरुद्ध की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

राज्यादेश दिनांक ७ जुलाई, १९७६ के अनुसार पद की पूर्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन हेतु विनियम पारित किये गये ।

अतः नियमित अभ्यर्थी नियुक्त होने पर श्री अशोक कुमार, सहायक अध्यापक (स्नातक वेतन क्रम) की तदर्थ नियुक्ति स्वतः समाप्त हो गयी ।

प्रसंगत उत्तर प्रदेश, शिक्षा (७) अनुभाग संख्या मा० ३१६/१५-७-७७-२ (३)-७७, लखनऊ २२ जनवरी, १९७७ अधिसूचना एवं उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अध्यादेश, १९७७ संख्या मा०-९३८/सत्रह-वि०-१-३५-ए-७७, लखनऊ, दिनांक २१ अप्रैल, ७७ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ५, १९७७) के विरुद्ध श्री अशोक कुमार, सहायक अध्यापक की सेवाओं की समाप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि संदर्भित अध्यादेश के प्रभावी होने के पूर्व ही उक्त अध्यापक की सेवायें स्वतः समाप्त हो चुकी थी ।

श्री श्याम दत्त पालीवाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो १९७५ की राजाज्ञा थी, उसके अनुसार श्री अशोक कुमार की नियुक्ति कब तक के लिए की गयी और वह राजाज्ञा कब लागू की गयी और उनकी सेवायें कब समाप्त की गयीं ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

उनकी सेवा समाप्ति की तिथि २४-३-१९७७ है और जो विधिवत् चयन हुआ उसकी तिथि है २१-७-१९७७ उसके बाद उनकी सेवा समाप्त की गयी ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि १९७५ की राजाज्ञा के अनुसार उनकी नियुक्ति कब तक के लिए की गयी थी ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपके पास सूचना उपलब्ध हो, तो बता दें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह--

दिनों की संख्या तो मान्यवर, मेरे पास नहीं है । यह सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

मान्यवर, इस नियुक्ति में कहीं न कहीं पर गड़बड़ी अवश्य है, तो क्या माननीय मंत्री जी किसी उच्च शिक्षा अधिकारी से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

सेवा समाप्ति की तिथि २४-३-१९७७ है इसके बाद विधिवत् चयन किया गया और उसके बाद उनकी सेवा समाप्त की गयी, तो इसमें जांच किस बात की कराने की आवश्यकता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

सरकार की सूचना से माननीय सदस्य को सन्तोष नहीं है, तो क्या आप किसी उच्च अधिकारी से जांच करायेंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कोई बाकी रह गया । हर चीज स्पष्ट है, इसलिए जांच का सवाल ही नहीं उठता है ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

कितने समय के लिए नियुक्ति हुई थी, अगर यह बता देते, तो स्थिति स्पष्ट हो जाती, मगर उसको छुपाया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

उनकी नजर में जो रिपोर्ट है उसमें शक की गुंजाइश नहीं है, वे जांच आवश्यक नहीं समझते ।

फतेहपुर, ग्राम डीघ, सौह व महरहा में नहर के पानी से खेती को क्षति

*६--श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर, तहसील बिन्दकी के ग्राम डीघ व सौह व महरहा में इस वर्ष नहर के झरने का पानी सैकड़ों एकड़ जमीन में भर कर खेती को चौपट कर रहा है जिससे किसान परेशान हैं ? क्या सरकार इस पानी को निकालने के लिए नाला बनाकर पानी निकलने का शीघ्र ही प्रबन्ध करेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)--

जी नहीं ।

कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

श्री जगन्नाथ सिंह--

नालियों में जगह-जगह पानी भरा है और उसके कारण किसानों की फसल नष्ट हो रही है, तो सरकार पानी की निकासी के लिए क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

इस प्रश्न के आने के बाद मैंने एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को स्थानीय सर्वे के लिए भेजा है । अगर वहां ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसे जरूर देखा जायेगा ।

श्री गुलाब सिंह, प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी इन्टर कालेज, गोरखपुर के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

*७--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गुलाब सिंह, प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी इन्टर कालेज, सिसवा बाजार, गोरखपुर के विरुद्ध अनियमित कार्यवाही करने तथा अवैधानिक तौर पर एरियर देने के सम्बन्ध में माह अक्तूबर, नवम्बर, १९७७ में कई शिकायती-पत्र दिए गए हैं जिसमें प्रधानाचार्य का कुष्टरोग से भी प्रभावित होना सम्मिलित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी नहीं ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

*८--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[२रे सोमवार में ३८ (२) में तारांकित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

निदेशक, साक्षरता निकेतन, लखनऊ द्वारा पुस्तकों की खरीद एवं मूल्य का भुगतान तथा पुस्तकों की आपूर्ति

*९--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

क्या यह सच है कि भूतपूर्व निदेशक, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश ने जो अब साक्षरता निकेतन, लखनऊ के निदेशक हैं, अपने कार्यकाल में साक्षरता निकेतन, को वर्ष १९७६-७७ और १९७७-७८ के अन्य सभी प्रकाशकों एवं संस्थाओं को अनधिकृत रूप से हटाकर दस-दस लाख रुपये के मूल्य की पुस्तकों के आर्डर बगैर पूर्व समीक्षा के दिए, साथ ही उनको भुगतान व्यवस्था भी उसी वर्ष करा दी गयी जब कि पुस्तक बहुत बाद में मिलीं और प्रकाशित की गयीं ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

भूतपूर्व शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश जो अल्प समय के लिए साक्षरता निकेतन, लखनऊ के निदेशक थे, द्वारा वर्ष १९७६-७७ में रु० ४,१९,०८९.६० तथा वर्ष १९७७-७८ में रु० ५,६१,४३५.०० के तथा इसी वर्ष तत्कालीन सहायक शिक्षा निदेशक (सामाजिक शिक्षा) द्वारा रु० १,६९,९०१.४० के मूल्य की पठन-पाठन सामग्री संबंधित जिलों को सप्लाई करने के आदेश साक्षरता निकेतन, लखनऊ को राज्य साधन केन्द्र होने के नाते दिये गये। किसी अन्य प्रकाशक एवं संस्था को अनधिकृत रूप से नहीं हटाया गया। शिक्षण एवं पठन-पाठन सामग्री साक्षरता निकेतन द्वारा तैयार कराये जाने के आदेश शासनादेशों के आधार पर दिये गये थे। निदेशालय के उक्त आदेश वर्ष १९७५-७६ तथा १९७७-७८ में गठित समितियों की संस्तुति के आधार पर थे। साक्षरता निकेतन को भुगतान के आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किये गए कि सामग्री प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जा सकेगा। इस प्रकार की कोई शिकायत शासन को नहीं मिली है कि सामग्री प्राप्त होने के पूर्व भुगतान किए गए फिर भी सभी जिलों से इसकी पुष्टि कराई जा रही है।

*१०--श्री अठई राम--

क्या वर्ष १९७७-७८ के लिए खरीदी जाने वाली सभी पुस्तकें अभी तक शिक्षा विभाग को नहीं पहुंची हैं? यदि हां, तो क्या इससे वर्ष १९७६-७७ एवं १९७७-७८ में सरकार के समक्ष प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर एक भी पुस्तक नहीं मिल पाई और एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य-क्रम पुस्तकों के अभाव के कारण अधूरा रह गया?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

उपलब्ध सूचना के आधार पर वर्ष १९७७-७८ के लिए क्रय की जाने वाली सभी पुस्तकें शिक्षा विभाग को पहुंच गई है फिर भी प्रश्नगत अवधि में सामग्री के उपलब्ध कराये जाने की पुष्टि तथा कार्यक्रम का मूल्यांकन कराया जा रहा है।

श्री अठई राम--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से मालूम होता है कि अभी तक, जब कि ५-६ महीने का प्रश्न है, पूरी पुष्टि माननीय मंत्री जी नहीं करा पाये हैं। इसमें बड़ा घपला है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसकी सही इन्क्वायरी कब तक करा कर सही उत्तर देंगे, क्योंकि इसमें आपने लिखा है कि मूल्यांकन कार्यक्रम की सही पुष्टि कराई जा रही है।

श्री कैलाश नाथ सिंह--

नियमानुसार ही आदेश दिए गए थे।

श्री अठई राम--

मान्यवर, उत्तर के पढ़ने से मालूम होता है कि जवाब अधूरा है, क्योंकि इसमें बड़ा घपला है, क्योंकि शिक्षा निदेशालय से जो किताबें प्रौढ़ शिक्षा के लिए दी जानी चाहिये थी, वह अधूरी है। इस प्रश्न को मान्यवर, स्थगित कर दिया जाय, क्योंकि यह १०-१२ लाख का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी तो इन्क्वायरी करा ही रहे हैं।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

१०-१२ लाख सरकार के लिए कौन सा ज्यादा धन है ?

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

मान्यवर, इस वर्ष बोर्ड में ६० लाख विद्यार्थी बैठे थे और स्थान-स्थान पर नकल हुई या गेस पेपर द्वारा गड़बड़ी हुई, लेकिन अधिकांश विद्यार्थी अध्ययनशील हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन गड़बड़ियों के कारण से जो अध्ययनशील विद्यार्थी हैं, उनकी परीक्षा देर से हो रही है । क्या शिक्षा मंत्री जी यह व्यवस्था करेंगे जो अध्ययनशील विद्यार्थी हैं, उनका अध्ययन न रुके ?

श्री उपाध्यक्ष--

इससे वह नहीं उठता ।

श्री ऊदल--

यह जांच किसके द्वारा कराई जा रही है और कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

यह जांच की बात नहीं है, बल्कि तथ्यों की पुष्टि की बात है । यदि इसमें कुछ भी ऐसा मिला, तो कार्यवाही करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आपने जो जवाब दिया है, वह तो किसी अधिकारी की जांच के आधार पर ही दिया है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

मान्यवर, उसकी पुष्टि करा रहे हैं ।

श्री बशीर अहमद, सहायक, विधि पुस्तकालय, लखनऊ विश्वविद्यालय के विरुद्ध लिखायी गयी रिपोर्ट

*११--श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ६ जनवरी, १९७७ को अपराध संख्या ५७५, धारा ४०९/४६८ भा० दं० सं० के अन्तर्गत थाना हुसैनगंज, लखनऊ में विधि पुस्तकालय, लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखाई गयी थी तथा विधि विभाग के अध्यक्ष के विरुद्ध विधि विभाग के ही किसी प्रवक्ता द्वारा भ्रष्टाचार की सूचना दी गयी थी ? यदि हां, तो आज तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)--

दिनांक ६-११-७७ को श्री हरि कृष्ण मिश्र, कन्वेनर, डा० आर० यू० सिंह ला लाइब्रेरी मैनेजमेण्ट कमेटी एवं प्रवक्ता विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा श्री बशीर अहमद पुत्र सुबराती, लाइब्रेरी असिस्टेंट के विरुद्ध लाइब्रेरी के धन के गोलमाल व दुरुपयोग करने तथा तत्सम्बन्धी रिकार्ड को नष्ट करने के सम्बन्ध में थाना हुसैनगंज, लखनऊ में तहरीरी सूचना दी गई थी जिसके आधार पर मकदमा अपराध संख्या ५७५ धारा ४०९/४६८ भा० दं० सं० थाना हुसैनगंज, लखनऊ पर पंजीकृत हुआ । प्रथम सूचना में विभागाध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाये गये । विशेष अनुसंधान शाखा, लखनऊ द्वारा मामले की विवेचना जारी है ।

श्री सरस्वती विद्यालय इन्टर कालेज, हापुड़ के विज्ञान प्रदर्शकों के वेतन का निर्धारण

*१२—श्री बनारसीदास चांदना (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री सरस्वती विद्यालय इन्टर कालेज, हापुड़ के विज्ञान प्रदर्शकों के वेतन निर्धारण, शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद के पत्रांक अर्द्ध १–१५५८०/७५–७६, दिनांक २२ जुलाई, १९७५ के अनुसार नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

श्री सरस्वती विद्यालय इण्टर कालेज, हापुड़ के विज्ञान प्रदर्शकों का वेतन निर्धारण निदेशालय के पत्रांक अर्थ १–१२५८०/७५–७६, दिनांक २२–७–१९७५ के अनुसार किया गया है ।

देवरिया जिले के जमुआ नाले पर पुल निर्माण की मांग

*१३—श्री राजमंगल तिवारी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता की दरख्वास्त दिनांक १२ जुलाई, सन् १९७८ जो सरयां तथा कुकरघांटी, जिला देवरिया के बीच जमुआ नाले पर पुल बनाने से सम्बन्धित है, उस पर कोई कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो क्या ? पुल कब से बनना प्रारम्भ होगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां ।

पुल के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है । पुल का निर्माण आगामी वर्ष के दौरान प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

देवरिया जिले के जमुनिया राजबहा के सम्बन्ध में ग्राम श्रीपतिखांड के निवासियों का प्रार्थना–पत्र

*१४—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम श्रीपतिखांड, पोस्ट बसडीला, थाना तुर्क पट्टी, जिला देवरिया के २७ कृषकों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित तथा २ विधायकों के पत्र के साथ उत्तर प्रदेश शासन मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, उत्तर प्रदेश को जमुनिया राजबहा के कटान से उत्पन्न संकट के सिलसिले में कोई आवेदन–पत्र माह ४ अप्रैल, १९७८ को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां ।

कटान के रोकने के सम्बन्ध में जमुनिया राजबाहा के टेल स्केप पर फाल के निर्माण का निर्णय ले लिया गया है ।

श्री हरि केवल प्रसाद—

किस तारीख को निर्णय लिया गया और कब तक काम प्रारम्भ कर दिया जायगा, मान्यवर ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, इसमें निर्णय की डेट तो नहीं है, लेकिन इसी वर्ष यह काम शुरू हो जायगा ।

श्री हरि केवल प्रसाद--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह आश्वासन दे दें कि वह इसी वर्ष चालू हो जायगा ।

दयानन्द इन्टर कालेज, मैनपुरी के प्रधानाचार्य के विरुद्ध गबन की शिकायत

*१५--श्री गनेशीलाल चौधरी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दयानन्द इन्टर कालेज, मैनपुरी के प्रधानाचार्य के खिलाफ गबन के केस हैं और इसके बाद भी प्रधानाचार्य अपनी जगह पर कार्य कर रहे हैं हालांकि कन्ट्रोलर ने उनको निकाल दिया था और निदेशक मन्डल का चुनाव सूचारु रूप से करा दिया था ? क्या यह भी सही है कि वहां के जिला विद्यालय निरीक्षक ने बनी हुई कमेटी को अवैध करार दिया है ? यदि हां, तो सारे मामले के तथ्य क्या हैं और सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी नहीं ।

विभाग और प्राधिकृत नियंत्रक की आख्यानुसार इस विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य के विरुद्ध गबन के केस नहीं है । प्रधानाचार्य को कन्ट्रोलर ने कभी नहीं निकाला था ।

प्राधिकृत नियंत्रक से विद्यालय की प्रबंध समिति का जो चुनाव कराया था उसमें अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई थीं । प्रशासन योजना के अनुसार प्रबंध समिति का वैधानिक गठन न होने के कारण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मान्यता नहीं दी गई ।

नियंत्रित मूल्य पर कापियों की आपूर्ति में कथित कठिनाई

*१६--श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

क्या शिक्षा मन्त्री को यह जानकारी है कि विद्यार्थी समुदाय को नियन्त्रित मूल्य पर कापियां न मिलने से विद्यार्थियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो शिक्षा विभाग की संस्तुति पर जिन कापी निर्माताओं को कागज का कोटा दिया गया है, उससे निर्मित कापियों के समुचित वितरण की निगरानी के लिए सरकार ने व्यवस्था की है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी नहीं, इस समय कोई कठिनाई नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नोट :--नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

बस्ती जिले के लेवणताल से सिंचाई एवं पानी का अभाव

*१७—श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अन्तर्गत लेवणताल से बीसों गांव के किसान अपनी रबी के फसल की सिंचाई वर्षों से करते रहे और इस वर्ष लेवणताल ड्रेन को सिंचाई विभाग द्वारा गहरा करा दिए जाने के कारण ताल का अधिकांश पानी परासी नाला में होकर चंवरताल में चला गया है ? फलस्वरूप लवणताल में सिंचाई हेतु पानी का काफी अभाव हो गया है ? यदि हां, तो सरकार उन बीस गांवों के सिंचाई का क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

लेवणताल से लगे हुए ग्रामों के कुछ कृषकगण इस ताल से सिंचाई करते हैं। इस वर्ष भी ताल से सिंचाई की गई है।

लेवणताल ड्रेन १९५५-५६ में बना था। इस वर्ष इसकी सफाई की गई है। बरसात में लेवणताल में पानी की सतह बढ़ने के फलस्वरूप पानी परासी नाले में होकर चंवरताल में जाता है। वही स्थिति इस वर्ष में भी हुई।

इस क्षेत्र के लिए दो राजकीय नलकूप पहले से कार्यरत हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया निर्माण

*१८—श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष ७ महीनों की निर्माण कार्यों की प्रगति २७ प्रतिशत ही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह धीमी प्रगति सहायक अभियन्ताओं की कमी के कारण है ? यदि ऐसा है, तो विभाग द्वारा शासनादेश होते हुए भी प्रोन्नति करके रिक्त स्थानों की पूर्ति न करने का क्या कारण है ?

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) श्री त्रिलोक चन्द—

जी नहीं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किए गए पिछले सात महीनों में अर्थात् अप्रैल, ७८ से अक्तूबर, ७८ तक के निर्माण कार्यों की प्रगति ३१% है और यह प्रगति पिछले वर्ष की तुलना में धीमी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

अगर दैवी आपदाओं जैसे बाढ़, ओलावृष्टि आदि का कुप्रभाव तथा सीमेन्ट की कमी न होती तो यह प्रगति और अधिक होती।

नगरपालिका, चन्दौसी के बी० एम० जी० इन्टर कालेज की प्रधानाचार्या के विरुद्ध आरोपों की जांच

*१९—श्री करन सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका चन्दौसी, जिला मुरादाबाद में स्थित बी० एम० जी० इन्टर कालेज की प्रधानाचार्या के खिलाफ कुछ आरोपों की जांच गत वर्षों में विशेष पर्यवेक्षकों द्वारा की गई थी और उन पर लगभग ५०,००० रुपये का गबन साबित हुआ था ? यदि हां, तो उनके खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी जिले के सूरतगंज से हेतमापुर मार्ग के निर्माण की मांग

*२०--श्री मसूदुल हसन नोमानी (जिला बाराबंकी)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बाराबंकी में परगना भिटौली के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु सूरतगंज से हेतमापुर मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर बनाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

सूरतगंज से हेतमापुर मार्ग का प्रथम ४·०० कि०मी० भाग खाद्यान्न योजना-४ के अन्तर्गत स्वीकृत है । शेष ८ कि०मी० भाग को स्वीकृत धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

फैजाबाद जिले के औरंगनगर-अम्नावा मार्ग पर पुल निर्माण की मांग

*२१--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

प्रथम सत्र ७८ के ४थे बुधवार के लिए अता० प्र० १८ के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कृपा करेंगे कि औरंगनगर (पहितीपुर) अम्नावा मार्ग को पक्की करने और उस पर पड़ने वाली नदियों पर पुल बनवाने के बारे में इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई पत्र शासन को मिला है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और उक्त सड़क जनता के आवागमन हेतु कब से उपलब्ध हो जायेगी ? यदि नहीं, तो उक्त क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए और अब तक उक्त सड़क पर सरकारी व्यय को सार्थक बनाने हेतु क्या सरकार इस दिशा में शीघ्र आवश्यक कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो कब तक ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

जी नहीं ।

सड़क को पक्का करने का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है । किलोमीटर ४ तथा ५ में क्षेत्रीय जनता द्वारा स्वीकृत संरेखण में कार्य न करने देने के कारण कुछ भाग पर कार्य स्थगित है । इस मार्ग के स्वीकृत संरेखण पर टोस नदी पर एक पुल आवश्यक है लेकिन क्षेत्रीय जनता द्वारा प्रस्तावित संरेखण पर दो पुलों का निर्माण कराना होगा । स्वीकृत योजना में पुलों का प्राविधान नहीं है । अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि कब तक जनता के आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी (धनाभाव के कारण पुलों के निर्माण अभी सम्भव नहीं हैं) ।

मेरठ जिले के छात्रों के लिये स्वीकृत आर्थिक सहायता का भुगतान

*२२--श्री मानपाल सिंह, एडवोकेट (जिला एटा)--

क्या शिक्षा मन्त्री को यह जानकारी है कि पिछले वर्ष मेरठ नगर के कुछ छात्र/छात्राओं को अपने विवेकाधीन कोष से सहायता प्रदान की थी जिसकी सूचना सम्बन्धित विद्यालयों/कालेजों को भेजी जा चुकी थी, लेकिन सम्बन्धित कालेजों से

जानकारी के बावजूद उक्त विवेकाधीन धनराशि का भुगतान सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को अभी तक नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन इसकी जांच कराकर अविलम्ब भुगतान की कार्यवाही करायेगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

मेरठ जनपद के छात्र/छात्राओं को वर्ष १९७७-७८ में स्वीकृत आर्थिक सहायता का भुगतान कर दिया गया है ।

आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मथुरा के अध्यापकों व कर्मचारियों द्वारा अनशन

*२३--श्री श्यामदत्त पालीवाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मथुरा के २३ अध्यापकों व कर्मचारियों ने ९-१०-७८ से जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा के कार्यालय के प्रांगण में अध्यापकों को स्वीकृत वेतनमान न दिये जाने के विरोध में अनशन प्रारम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो शासन ने उपरोक्त विषय में अभी तक क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया जिले में जल निकासी योजना हेतु कथित धनराशि की स्वीकृति

*२४--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में जल निकास हेतु शासन द्वारा वर्ष १९७४-७५ में दो करोड़ की योजना को स्वीकृत किया गया था ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त धनराशि का भारी मात्रा में गबन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घोटाले की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा कराने को तैयार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी नहीं । ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं की गयी थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

बस्ती जिले के लेवणताल का नाला एवं बुढ़ऊगांव के ठोकर को तोड़ने की कथित योजना

*२५--श्री विश्वनाथ पाण्डेय--

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि बस्ती जिले के अन्तर्गत लेवण ताल ड्रेन को गहरा करने तथा परासी नाले में बुढ़ऊगांव के पास बनाये गये पक्के ठोकर को तोड़कर पानी को निकालने की योजना टी० ए० सी० से स्वीकार करायी गयी थी ? यदि नहीं, तो बिना योजना स्वीकार कराये कार्य कराने का आदेश किस अधिकारी ने दिया ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी नहीं । टी० ए० सी० से ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं कराई गयी । अतः ऐसी किसी योजना पर कार्य करने का प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर, सोन पम्प कैनाल के सोन नदी के पुल निर्माण में कथित त्रुटि

*२६—श्री उदय नारायण सिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मिर्जापुर में सोन नदी पर बन रही सोन पम्प कैनाल के हेडवर्क्स में निर्मित ब्रिज के सभी खम्भे टेढ़े हैं, ऐसी प्राविधिक त्रुटि के बावजूद विभाग द्वारा किन परिस्थितियों में ठेकेदार को लाखों रुपये का भुगतान किया गया है ? क्या सरकार उक्त गलत भुगतान को ठेकेदार से वसूल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जिले के ग्राम गूढ़ा के निवासियों का गूढ़ामाइनर के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*२७—श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न पत्र ग्राम मूढ़ाकला, तहसील नरैनी जनपद के निवासियों का पत्र गुढ़माइनर बढ़ाने के सम्बन्ध में उनको दिनांक ३-८-७८ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अभी तक उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां ।

ग्राम गूढ़ा, तहसील नरैनी, जनपद बांदा के कृषकों का माननीय सदस्य द्वारा अग्रसारित गूढ़ा माईनर के कुलावा नं०-१० पर सिंचाई सुविधा बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है । जांचोपरान्त परिणाम निकला है कि कुलावा नं०-१० के शेष क्षेत्र के लिये पानी उपलब्ध कराना वर्तमान स्थिति में संभव नहीं है ।

बी० आर० डी० कृषक इन्टर कालेज, भाटपाररानी, जिला देवरिया के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*२८—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी तथा श्री राम आसरे वर्मा (जिला गोंडा)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बी० आर० डी० कृषक इन्टर कालेज, भाटपाररानी, जिला देवरिया के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र शासन को अक्तूबर, १९७८ में इस आशय का मिला है कि प्रधानाचार्य ने कृषि से २ लाख रुपये, मूर्ति स्थापना से ३० हजार रु०, ब्वायज फंड से ५० हजार रु०, मेन्टीनेन्स से एक लाख रुपये, चारासी से २५ हजार रुपये, दूध से १० हजार रुपये, विज्ञान के सामान में ५० हजार रु० तथा अन्य मदों में से लाखों रुपयों का गबन किया है ? यदि हां, तो प्रधानाचार्य के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

अपेक्षित सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

बिजनौर जिले में राम गंगा फीका दोआब योजना के निर्माण के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*२९--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बिजनौर में कालागढ़ के समीप रामगंगा फीका दोआब योजना में जनवरी-फरवरी, १९७७ में लाखों रुपये की गम्भीर अनियमितताओं व धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं, जिनमें कई शिकायती-पत्र विधान सभा सदस्यों के भी हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और शिकायतों का पूरा विवरण क्या है ? क्या यह भी सही है जिन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें हैं उनकी पदोन्नति कर दी गई हैं और जांच में विलम्ब किया जा रहा है और शिकायत के बाद से योजना की प्रगति भी शून्य है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हां । ऐसे शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं । शिकायतें मुख्यतः रामगंगा फीका दोआब फीडर पर निर्माण कार्यों में धन के दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार से सम्बन्धित हैं । शिकायतों की जांच सिंचाई विभाग के एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं प्राविधिक सम्परीक्षा कोष से कराई गई । जांच रिपोर्ट के अनुसार कुछ शिकायतें सही पाई गई हैं । एक दोषी अधिकारी को दंडित किया जा चुका है । अन्य के स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है । जिन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें हैं उनकी पदोन्नति नहीं की गई है ।

योजना का कार्य जनवरी १९७७ में आरम्भ हुआ था परन्तु कुछ विवादों के कारण कार्य अगस्त, १९७७ से दिसम्बर, १९७७ तक बन्द रहा । जनवरी १९७८ में एक खंड (सिंचाई निर्माण खंड, कालागढ़) का नवसृजन हुआ तथा कार्य इस खंड द्वारा पुनः आरम्भ कराया गया । योजना का कार्य अब पूर्ण प्रगति पर है ।

राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, ज्वालापुर, सहारनपुर का जीर्ण-शीर्ण भवन

*३०--श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, ज्वालापुर का भवन जो जिला परिषद् की सम्पत्ति है, अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण गिरने वाला और खतरनाक है और छात्राओं तथा अध्यापिकाओं के जीवन का खतरा है ? क्या यह भी जानकारी सरकार को है कि प्रधानाध्यापिका ने ९-६-७८ व ४-९-७८ को जिलाधिकारी, सहारनपुर तथा अतिरिक्त जिलाधिकारी, सहारनपुर तथा २४-७-७८ को जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर को एवं क्षेत्रीय विधायक ने १७-६-७८ को जिलाधिकारी को पत्र लिखे ? लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो उस दिशा में अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? भवन का पुनर्निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय भवन की जांच जिलाधिकारी ने जिला परिषद् के अवर अभियन्ता से दिनांक २८-१-१९७९ को करायी । निरीक्षण कराने से पता चला कि भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तथा फिलहाल जान माल का खतरा प्रतीत नहीं होता परन्तु मरम्मत कराने की तुरन्त आवश्यकता है ।

जिलाधिकारी, सहारनपुर ने सूचित किया है कि विधायक महोदय का पत्र दिनांक १७-९-१९७८ उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ। प्रधानाध्यापिका ने सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र लिखे थे, प्रधानाध्यापिका के पत्र के प्रसंग में जिलाधिकारी, सहारनपुर के निर्देशानुसार जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर ने भवन का निरीक्षण ५-७-७८ को किया और जिलाधीश/अध्यक्ष, जिला परिषद्, सहारनपुर को २४-७-७८ को आख्या प्रस्तुत करते हुए तुरन्त भवन की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ करने हेतु अनुरोध किया। इस पर जिलाधिकारी ने परिषद् के अवर अभियन्ता से जांच कराई परन्तु अभी तक धनाभाव के कारण भवन की मरम्मत नहीं कराई गई है चूंकी विद्यालय भवन जिला परिषद् की सम्पत्ति है इसलिये उसकी मरम्मत उन्हीं को करानी है।

बस्ती जिले के लेवणताल से सिंचाई एवं पानी की निकासी

*३१—श्री विश्वनाथ पांण्डेय—

क्या सिंचाई मन्त्री को यह जानकारी है कि बस्ती जिले के अन्तर्गत लेवणताल ड्रेन द्वारा इस वर्ष लेवणताल का वह पानी भी निकाला गया है जो पचासों वर्षों से इस ताल में बीसों गांवों की सिंचाई के लिये योजनापूर्वक रोका जाता रहा है और उसी पानी पर उस क्षेत्र की बीस गांवों की रबी की सिंचाई निर्भर थी ? यदि हां, तो उसी पानी को क्यों निकाला जा रहा है ? उन बीस गांवों की सिंचाई का सरकार अब कौन सा प्रबन्ध करेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी नहीं। लेवणताल से सिंचाई के लिए पानी रोकने की कोई योजना सिंचाई विभाग की कभी नहीं रही है। परन्तु ताल के निकट के ग्रामवासी ताल से सिंचाई करते हैं। इस क्षेत्र की सिंचाई के लिए दो राजकीय नलकूप पहले से कार्यरत हैं।

मिर्जापुर जिले में सोन पम्प कैनाल का निर्माण एवं जमानत की धनराशि

*३२—श्री उदय नारायण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद मिर्जापुर में सोन नदी पर बन रही सोन पम्प कैनाल के हेडवर्क्स कार्य प्राप्त करने के लिए जमानत की धनराशि बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों, ? और क्या मन्त्री इसकी जांच शीघ्र कराकर धन के अपव्यय को रोकने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सोन पम्प नहर के हेडवर्क्स (प्रथम चरण) के दो अनुबन्ध किये गये हैं। दोनों अनुबन्धों में प्राक्कालित राशि का दो प्रतिशत अर्नेस्ट मनी (प्रत्येक की रुपये ३४,०००) लेकर किये गये थे। जमानत की धनराशि नहीं बढ़ाई गई है।

कानपुर जिले के महराजपुर के जूनियर हाई स्कूल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*३३—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें जिला कानपुर के ब्लाक चौबेपुर के ग्राम महराजपुर के मजरा तांतियागंज स्थित आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं का कोई शिकायती-पत्र

उन्हें दिनांक २७ अप्रैल, १९७८ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हां ।

शिकायती-पत्र में निम्न मुख्य शिकायतें अंकित थीं :—

(१) कक्षायें ९, १०, ११ एवं १२ अनधिकृत रूप से लगाई जाती हैं।

(२) प्रबन्धक के सगे सम्बन्धी विद्यालयों में अध्यापक के रूप में नियुक्त हैं ।

(३) रोकड़ पंजी का रख-रखाव ठीक नहीं है ।

(४) वेतन पंजी अद्यतन नहीं है ।

(५) अध्यापकों की सेवा समाप्ति हेतु सक्षम अधिकारी का अनुमोदन नहीं दिया गया ।

इस शिकायती-पत्र पर जांच कराई गई । चूंकि विद्यालय अनुदानित नहीं है, अतः अनुदान निलम्बन की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। केवल मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जा सकती है, परन्तु इससे क्षेत्रीय जनता को कष्ट ही होगा । अतः जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर को निर्देश दे दिये गये हैं कि वे विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण को चेतावनी दें तथा अनियमितताओं का निराकरण एक निश्चित अवधि में कराये ।

रामाश्रय विद्यालय, श्यामनगर, फर्रुखाबाद के क्षतिपूर्ति अनुदान तथा महंगाई भत्ता का भुगतान

*३४—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रामाश्रय विद्यालय श्यामनगर, जिला फर्रुखाबाद (जू० हाई स्कूल) का वर्ष १९७६-७७ व १९७७-७८ का छात्राओं को क्षति पूर्ति अनुदान तथा महंगाई भत्ता अभी तक न मिलने का क्या कारण है ? क्या शासन उक्त धन शीघ्र दिलाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हां ।

१९७६-७७ के क्षति पूर्ति के अनुदान के ३ त्रैमास का तथा महंगाई भत्ता अनुदान का पूरा भुगतान विद्यालय को पूर्व में किया जा चुका है । १९७७-७८ के उक्त अनुदानों के पत्रजात विद्यालय के प्रबन्धक से प्राप्त न होने के कारण भुगतान नहीं हुआ है ।

विद्यालय प्रबन्धक से पत्रजात प्राप्त होते ही भुगतान करा दिया जायगा ।

शाहजहांपुर के मीरान कटरा कस्टोडियन के महल पर स्कूल का अनधिकृत कब्जा

*३५—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत कस्बा मीरान कटरा कस्टोडियन के महल की कीमत २६ लाख रुपया बतायी गयी

है उस पर कांग्रेसी शासनकाल में जबरन एक स्कूल का कब्जा करने की शिकायत जून सन् १९७८ में स्थानीय नागरिकों ने शासन को की और शिकायत में यह भी अंकित किया गया कि इस महल की लाखों रुपये की कीमती किवाड़ आदि को श्री बादीदीन नामक व्यक्ति ने बेचकर महल को नष्ट कर दिया ? यदि हां, तो इस शिकायत की क्या जांच हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

इसकी जानकारी शासन को नहीं है ।

उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई नहीं प्रतीत होती है ।

गोरखपुर जिले के कुसुम्ही-झगहा, झगहा-राजी-जगदीशपुर व राजी-जगदीशपुर-राजधानी मटीपरा मार्ग का निर्माण

*३६--श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर, तहसील सदर कुसुम्भी, रेलवे स्टेशन के झगहां थाने तक की सड़क झगहां थाने से राजी जगदीशपुर तक लगभग ३ कि० मी० पी० डब्ल्यू० डी० एवं राजी-जगदीशपुर से मटीपरा राजधानी तक की सड़क ६ कि० मी० आर० एम० जो इस समय बाढ़ एवं अतिवृष्टि से कटपिट तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है, के निर्माण कार्य किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा अगस्त, १९७७ से अब तक दिये पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

कुसुम्ही रेलवे स्टेशन से झगहा तक १० कि० मी० मार्ग में से २ कि० मी० भाग कच्चा है तथा शेष ८ कि० मी० भाग लेपित है यह मार्ग जिला परिषद् के अधीन है । कच्चे भाग का निर्माण धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है ।

झगहा से राजी जगदीशपुर तक ३ कि० मी० भाग त्वरित योजना के अधीन निर्माणाधीन है ।

राजी-जगदीशपुर-राजधानी मटीपरा भाग खाद्यान्न योजना संख्या ४ के अन्तर्गत निर्माणाधीन है ।

[बुधवार, २ मई, १९७९ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

स्वर्गीय श्री रज्जन लाल, प्रधान अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, बरगावां, जिला हरदोई के अवशेष वेतन व पेंशन के भुगतान की माँग

*१--श्री सुखपाल पांडेय (जिला हरदोई), श्री अशोक बाजपेयी तथा श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रज्जन लाल, प्रधान अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला बरगांवा, ब्लाक बिलग्राम, तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई की मृत्यु ३० सितम्बर, १९७४ को हो गयी थी ? क्या यह सही है कि इनकी पत्नी श्रीमती जगदेवी द्वारा समस्त कागजात प्रस्तुत कर देने पर भी सितम्बर, १९७४

माह का वेतन, पेन्शन एवं अन्य एरियर अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? वेतन, पेन्शन एवं अन्य एरियर बेवा को कब तक दिलाने की कृपा करेंगे?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी हां।

पेन्शन स्वीकार करने के लिए निर्धारित प्रपत्रों पर वांछित सूचना १८-१-७९ को पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकी और उसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक) हरदोई को पारिवारिक पेन्शन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

वेतन तथा अन्य एरियर के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की मांग

*२--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासन द्वारा जो नीति उच्च अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निर्धारित की गयी है, वही अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं पर भी लागू होती है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं के कार्यक्षेत्रों के स्थानान्तरण गत वर्षों से नहीं किये गये हैं तथा स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*३--श्री रियासत हुसैन--

[३रे बुधवार के लिये स्थगित।]

पर्वतीय जिलों के माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों का पर्वतीय भत्ता

*४--श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)--

क्या शिक्षा मन्त्री (माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा) बतलाने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय जनपदों में कर्मचारियों को दिया जाने वाला पर्वतीय भत्ता अभी तक भी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी नहीं।

इस मामले पर शासन सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

फैजाबाद जिले में नलकूपों का निर्माण

*५--श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में कितने नलकूपों को वर्ष १९७८-७९ में स्वीकृति प्रदान की गई ? क्या प्रश्नकर्ता का इस सम्बन्ध में कोई पत्र, दिनांक १८ अक्तूबर, १९७८ को सिंचाई राज्य मन्त्री को मिला है ? यदि हां, तो प्रस्तावित नलकूपों के निर्माण की प्रगति क्या है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

वित्तीय वर्ष १९७८-७९ में फैजाबाद जनपद के लिये ४० राजकीय नलकूपों को स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इन सभी नलकूपों का छिद्रण कार्य मार्च, १९७९ तक पूर्ण हो गया था। इनमें से ११ नलकूपों के बी० एल० फार्म विद्युत् विभाग को भेज दिये गये हैं और शेष को भेजने की कार्यवाही की जा रही है। प्रश्नकर्ता का १८-१०-७८ का पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

*६-२०--[नियम ४७ (१) के अन्तर्गत प्रश्न उपलब्ध न होने के कारण निरस्त।]

*२१--श्री रियासत हुसैन--

[३रे बुधवार के लिये स्थगित।]

अतारांकित प्रश्न

मान्यताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अध्यापकों का आरक्षण

१--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें कुल कितने अध्यापक कार्यरत हैं, उनमें से कितने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं? क्या मन्त्री महोदय उनके आरक्षण कोटे के पूर्ति पर विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

प्रश्न के अतिशय विस्तृत होने और अपेक्षित सूचना के प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से अपेक्षित होने के कारण वांछित सूचना का सम्प्रति दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण हेतु निर्धारित कोटा की पूर्ति के लिए शासन द्वारा आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं।

श्री भगवानदीन सचान, भूतपूर्व अध्यापक प्राइमरी पाठशाला, नरैया, जिला कानपुर का अवशेष वेतन

२--ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि भगवानदीन सचान, भूतपूर्व सहायक, अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला नरैया, ब्लाक घाटमपुर, जनपद कानपुर का २ जुलाई, १९७० से ३० जुलाई, १९७४ तक की निलम्बन अवधि का निर्वाह भत्ता एवं बहाल हो जाने के पश्चात इसी अवधि का पूर्ण वेतन अभी तक उन्हें भुगतान नहीं किया गया? ऐसा न करने के क्या कारण हैं? इस सम्बन्ध में उक्त श्री सचान के प्रार्थना-पत्र तारीख १९ अप्रैल, १९७६ व १२ मई, १९७७ क्या प्रशासन को मिले तथा उनमें क्या निर्णय लिया गया?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

श्री भगवानदीन सचान भारतीय दंड विधान की धारा ३०२ के अन्तर्गत दंडित हो जाने के कारण २ जुलाई, १९७० से निलम्बित कर दिये गये थे किन्तु हाई

कोर्ट से निर्दोष घोषित होने के पश्चात् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर के आदेश दिनांक २७ जुलाई, १९७४ द्वारा उन्हें बहाल किया गया और प्राइमरी पाठशाला सुरवापुर में तैनात किया गया जहां उन्होंने ३१ जुलाई, १९७४ को कार्यभार ग्रहण किया। जुलाई, १९७० से ३० जुलाई, १९७४ तक की निलम्बित अवधि में श्री सचान ने बी० एन० एस० डी० कालेज, कानपुर से संस्थागत छात्र के रूप में एम० ए० की शिक्षा प्राप्त की। एम० ए० की शिक्षा अवधि को कम करके जो शेष समय बचता है उस अवधि के देय वेतन के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। प्रश्न में संदर्भित पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

जूनियर हाई स्कूल नन्दौत, जिला इलाहाबाद के अध्यापक, श्री सत्य नारायण मिश्र के विरुद्ध शिकायती-पत्र

३--श्री अठई राम--

क्या शिक्षा मन्त्री को यह जानकारी प्राप्त है कि इलाहाबाद जनपद में ब्लाक फूलपुर के अन्तर्गत जू० हाई स्कूल नन्दौत के सहायक अध्यापक श्री सत्य नारायण मिश्र के खिलाफ प्र० अध्यापक, नन्दौत ने १७ अप्रैल, १९७८ को रजिस्ट्री द्वारा उप विद्यालय निरीक्षक के यहां शिकायती-पत्र दिया है? यदि हां, तो वह शिकायती-पत्र क्या है तथा अब तक उप विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद ने क्या कार्यवाही किया?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी हां।

जूनियर हाई स्कूल नन्दौत के सहायक अध्यापक के खिलाफ प्रधान अध्यापक नन्दौत ने १७ अगस्त, १९७८ को उप विद्यालय निरीक्षक को शिकायती-पत्र प्रेषित किया।

शिकायती-पत्र में यह कहा गया है कि श्री मिश्र अध्यापकों में पारस्परिक मतभेद उत्पन्न करते हैं तथा प्रधानाध्यापक के प्रति असंतोष पैदा कर यह चाहते हैं कि विद्यालय का कार्य-कलाप उन्हीं के परामर्श एवं इच्छानुसार हो।

उप विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद द्वारा कार्यवाही नहीं की गई वरन् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद ने दिनांक ६ दिसम्बर, १९७८ को जांच करने के उपरान्त श्री सत्य नारायण मिश्र, सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, नन्दौत को निलम्बित कर दिया है।

गांधी विद्यालय इन्टर कालेज व जनता शिक्षा निकेतन इन्टर कालेज, आजमगढ़ में अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा की गई धनराशि

४--श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गांधी विद्यालय, इन्टर कालेज, मासफपुरा, आजमगढ़ और जनता शिक्षा निकेतन इन्टर कालेज, दुबरी, आजमगढ़ में अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि की कटौती की गई है? क्या वह नियत समय में जमा की गई है? यदि नहीं, तो यह धनराशि कहां है?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, मासफपुरा, आजमगढ़ तथा जनता शिक्षा निकेतन इन्टर कालेज, दुबरी आजमगढ़ में अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत कुल क्रमशः ३२,२१६ रु० और ४१,९२५·०४ रु० को कटौती की गई।

जी नहीं। कुछ रुपया नियत समय में जमा नहीं हुआ।

अब सारे धन का भुगतान हो गया है या उसे जमा कर दिया गया है।

आगरा के ग्राम पचवान के जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक, श्री राम सिंह का अवशेष वेतन

५—रघुवर दयाल वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री को यह जानकारी है कि जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम पचवान के जूनियर हाई स्कूल के सेवारत सहायक अध्यापक श्री राम सिंह को माह नवम्बर, १९७० से मार्च, १९७२ तक वेतन, महंगाई भत्ता आदि नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

श्री राम सिंह का माह नवम्बर, १९७० से मार्च, १९७२ तक का वेतन, मंहगाई भत्ता आदि भुगतान नहीं किया गया। भुगतान अध्यापक को स्थानान्तरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रोक दिया गया था।

गोरखपुर की पिपरौली बाजार स्थित प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक श्री बैजनाथ मिश्र की सेवा समाप्ति

६—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि श्री बैजनाथ मिश्र सन् १९६२ से ६ नवम्बर, १९७२ तक सहायक अध्यापक पद पर प्रारम्भिक पाठशाला, पिपरौली बाजार, गोरखपुर पर सेवारत थे ? जब वह १० नवम्बर से कुछ दिन तक मेडिकल लीव पर थे क्या उन्हें इसी बीच सेवा मुक्त कर दिया गया ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हां।

जी हां। सेवारत प्रशिक्षण में जाने के आदेश का पालन न करने के फलस्वरूप सेवा समाप्त कर दी गई क्योंकि वह अस्थायी सहायक अध्यापक थे।

सीतापुर जिले के विकास खन्ड महमूदाबाद व रामपुर मथुरा की कतिपय प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण की मांग

७—श्री रामनरायन वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला भवंरी, बकऊवा बाजार व नबीगंज, ब्लाक महमूदाबाद, जिला सीतापुर तथा जरमापुर व तुलसीपुर बंजर कनरखी, ब्लाक रामपुरा मथुरा के भवनों के निर्माण की स्वीकृति वर्ष १९७७ में प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो इन विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य पुरा हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जनपद सीतापुर के विकास खन्ड महमूदाबाद में प्राइमरी पाठशाला भौरी, बकहुआ बाजार तथा नवीगंज के भवनों के निर्माण की तथा विकास खन्ड रामपुर मथुरा के प्राइमरी पाठशाला तुलसीपुर बंजर तथा कनरखी के भवनों के निर्माण की स्वीकृति वर्ष १९७७ में दी गई थी किन्तु विकास खन्ड रामपुर मथुरा के प्राइमरी पाठशाला जरमापुर के भवन को स्वीकृति नहीं दी गई थी। भवन निर्माण कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को सौंपा गया है और प्राइमरी पाठशाला भौरी का ५०%, बकहुआ बाजार का ८०% तथा नवीगंज का शत-प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। विकास खन्ड रामपुर मथुरा के तुलसीपुर बंजर व कनरखी के प्राइमरी पाठशाला भवन का कार्य भवन निर्माण स्थल सुलभ न होने से कारण प्रारम्भ नहीं हो सका।

फैजाबाद जिले में शारदा सहायक नहर पर सीहमऊ कारीरात व मोहीनुद्दीनपुर में पुलिया का निर्माण

८--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत सरकार ने जनहित में अकबरपुर, जिला फैजाबाद में शारदा सहायक नहर से ग्राम सीहमई कारारात, ग्राम जमुनीपुर व ग्राम ब्रहीमपुर में एक-एक अतिरिक्त पुलिया उक्त ग्राम के लोगों व जानवरों के आने-जाने के लिए स्वीकार की थी? यदि हां, तो उनका निर्माण क्यों नहीं हो रहा है?

श्री राजेन्द्र सिंह--

अकबरपुर, जिला फैजाबाद में ग्राम सीहमऊ कारीरात एवं मोहीनुद्दीनपुर के निकट शारदा नहर पर केवल एक ही पैदल पुलिया का निर्माण स्वीकृत है। तदनुसार पुलिया निर्माण कराया जा रहा है।

फैजाबाद जिले की जैदपुर निधियावां स्थित प्राइमरी पाठशाला की जमीन पर अनधिकृत कब्जा

९--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद में प्राइमरी पाठशाला, जैदपुर निधियावां की एक एकड़ जमीन पर अवैधानिक कब्जे के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का ११ अगस्त, १९७८ का पत्र शिक्षा मन्त्री को मिला है? यदि हां, तो उक्त शिकायत की जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और स्कूल की जमीन पर उक्त स्कूल को कब्जा दिलाया गया अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी हां। अनधिकृत कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष गोसाईगंज एवं परगनाधिकारी को जिला बेसिक अधि० फैजाबाद द्वारा दिनांक २२ मार्च, १९७९ को लिखा गया है।

फैजाबाद जिले की बन्दनपुर माइनर व अमसिन माइनर पर पुलिया निर्माण की मांग

१०--रवीन्द्र नाथ तिवारी--

द्वितीय सत्र १९७८ के दूसरे बुधवार (३० अगस्त, १९७८) के तारांकित प्रश्न संख्या १५ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की सदर तहसील में बन्दनपुर माइनर तथा अमसिन माइनर पर पुलिया बनाने के सम्बन्ध में अभियन्ता, जिला परिषद् फैजाबाद द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, एकादशम मन्डल सिंचाई कार्य, फैजाबाद को भेजा गया पत्रांक १९७/२१-२, दिनांक २२ जुलाई, १९७८ मिल गया है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए क्या सरकार सम्बन्धित विभागों में उत्पन्न विवादों को हल करके शीघ्र ही दोनों पुलियों का निर्माण कार्य पूरा करने का कष्ट करेगी ताकि सड़क पर खर्च किए गए लाख रुपये का लाभ आम जनता को मिल सके? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हां, जनपद फैजाबाद की सदर तहसील में बन्दनपुर माइनर तथा अमसिन माइनर पर पुलिया बनाने के सम्बन्ध में अभियन्ता, जिला परिषद् फैजाबाद का पत्रांक १९७/XXI-२ दिनांक २२ जुलाई, १९७८ अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय को प्राप्त हुआ।

बन्दनपुर माइनर पर पुलिया सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण कराने की कार्यवाही की जा रही है।

अमसिन राजबहा पर १४·७४६ कि० मी० के वर्तमान पुल से सड़क पार कर नहर की पटरी १४·९०० कि० मी० तक अर्थात् १५४ मीटर सर्विस रोड सड़क के रूप में प्रयोग की जा सकती है, यदि जिला परिषद् १५४ मीटर सड़क को पक्की करा दे जिसके लिए प्रयास किया जायगा।

फैजाबाद जिले की गांव सभा रामपुर, देवगिरिया व रेहड़ी आदि से जल निकासी हेतु नाले के निर्माण की मांग

११--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

प्रथम सत्र १९७८ के दूसरे बुधवार (२९-३-७८) के तारांकित प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद की सदर तहसील की रामपुर, देवगिरिया, रेहड़ी तथा अमसिन आदि गांव सभाओं के बाढ़ से बचाव और जल निकासी के लिए नाला निकालने के बारे में अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा?

श्री राजेन्द्र सिंह--

प्रश्नगत स्थानों का सर्वेक्षण कार्य प्रायः पूर्ण कर लिया गया है, नाला निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। वर्ष १९७९-८० में नाले का निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने का प्रस्ताव है।

देवरिया जिले में गन्डक नहर के सपहा राजबहा से निर्गत नौगांवा अल्पिका पर रेगुलेटर व पुलिया के निर्माण का मांग

१२--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद में गन्डक नहर क्षेत्र में सपहा राजबहा से निर्गत नौगांवा अल्पिका पर रेगुलेटर न होने से सिंचाई में असाधारण कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो शीघ्र रेगुलेटर बनाया जायगा । क्या मन्त्री यह भी बतायेंगे कि नौगांवा माइनर पर पिपरी तिवारी ग्राम के पास चक रोड के सामने शीघ्र पुल बनाकर पिपरा तिवारी ग्राम के चैपर से ड्रेन निकाल कर पटरा मंगलपुर में मिला दी जायगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

सपहा राजबहा पर नौगांवा अल्पिका के लिए रेगुलेटर न होने से सिंचाई में कोई कठिनाई नहीं हो रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नौगावां माइनर पर पिपरा तिवारी ग्राम के निकट दो पुल पहले से ही विद्यमान हैं । अन्य किसी पुल के निर्माण का औचित्य नहीं है । पिपरा तिवारी के चेम्बर से ड्रेन निकालने के लिए सर्वेक्षण करके निर्णय किया जायगा ।

बहराइच जिले की प्राइमरी पाठशालाओं को साज-सज्जा (टाट-पट्टी) की आपूर्ति

१३--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में साज-सज्जा (टाट-पट्टी) की व्यवस्था हेतु परिषद के प्राइमरी स्कूलों के लिए सौ रुपये प्रति स्कूल की दर प्रासंगिक निधि में से ५०.०० की राशि मात्र अब तक साज-सज्जा के लिए दी जाती थी और अब दो सौ बीस (२२०.०० रु०) रुपया कर दिया गया है ? यदि हां, तो बहराइच जिले में उक्त नई व्यवस्था के अधीन परिषद के किन-किन प्राइमरी स्कूलों में साज-सज्जा (टाट-पट्टी) की व्यवस्था हो गई है और हरिहरपुर रानी, सिरसिया, गिलौला एवं इकौना विकास खन्ड, जिला बहराइच के प्राइमरी स्कूलों में अब तक व्यवस्था न होने का क्या कारण है और निश्चित तौर पर कब तक व्यवस्था कर दी जायगी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

यह सही है कि परिषद के प्राइमरी स्कूलों को १०० रु० प्रति स्कूल के दर से प्रासंगिक व्यय दिया जाता है जिसमें से ५० साज-सज्जा के लिए होता है । वर्ष १९७८-७९ में प्रदेश के ८३३३ परिषदीय प्राइमरी स्कूलों के लिए १२० रु० प्रति स्कूल की दर से ९,९९,९६० रु० की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई है । उक्त धनराशि में से जनपद बहराइच के १४५ विद्यालयों हेतु १२० रु० प्रति स्कूल, अतिरिक्त धनराशि साज-सज्जा हेतु आवंटित की गई है जिसके क्रय की व्यवस्था जा रही है । १४५ विद्यालयों की सूची संलग्न है जिसमें हरिहरपुर-रानी गिलौला इकौना एवं सिरसिया विकास क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल भी सम्मिलित है । क्रय करने के पश्चात साज-सज्जा विद्यालयों को जुलाई १९७९ तक दे दी जायगी ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४७ पर)

बहराइच जिले की भवन विहीन प्राइमरी पाठशालायें

१४—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को जानकारी है कि बहराइच जिले में विकास खन्डवार कुल कितनी प्राइमरी पाठशाला है और उनमें से कितनी भवन विहीन हैं और भवन रहित पाठशाला के भवन निर्माण हेतु बहराइच जिले के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा विशेष सहायता प्रदान करके वर्ष १९७८–७९ में भवन निर्माण कराये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जनपद बहराइच में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विकास खन्ड वार प्राइमरी पाठशालाओं की संख्या तथा भवन रहित प्राइमरी पाठशालाओं की संख्या निम्न प्रकार है :—

विकास खंड वार प्राइमरी विद्यालय की संख्या		भवन रहित विद्यालयों की संख्या
१		२
१—चितौरा	.. ५१	१७
२—प्रयागपुर	.. ७९	२९
३—गिलौला	.. ५७	२४
४—विशेश्वरगंज	.. ६३	३२
५—इकौना	.. ५३	३१
६—हरिहरपुर रानी	.. ५०	२९
७—सिरसिया	.. ५८	२९
८—रिसिया	.. ४७	२४
९—बेलहा	.. ४५	२९
१०—नबाबगंज	.. ५०	३०
११—मिहीपुरवा	.. ४९	२३
१२—शिवपुर	.. ५०	२५
१३—जमुनहा	.. ४३	१८
१४—तजवापुर	.. ५५	२८
१५—महसी	.. ५९	२०
१६—फखरपुर	.. ५६	२८
१७—जरवल	.. ५७	२६
१८—कैसरगंज	.. ५६	२२
१९—हुजूरपुर	.. ४७	२४
योग	.. १,०२५	४७८

१९७८–७९ में जिला बहराइच में २८ प्राइमरी स्कूलों के भवन बनाने हेतु ७·९८ लाख रुपया २३–१२–७८ को आवंटित किया गया है । वित्तीय स्थिति को देखते हुए और धनराशि इस वर्ष नहीं दी जा सकी ।

फैजाबाद जिले के हसवर–टाण्डा मार्ग का निर्माण

१५—श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में हसबर से टांडा मार्ग की वित्तीय वर्ष १९७८–७९ में निर्माण हेतु स्वीकृत हो गई है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा तथा कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जनपद फैजाबाद में हसवर टान्डा मार्ग को १५ कि० मी० लम्बाई के द्वारा योजना नं० ४ के अन्तर्गत स्वीकृत है । जनवरी, १९७९ से कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा मार्च, १९८० तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

सीतापुर जिले के सरैया–पैतेपुर, बिसवां–बासुरा तथा महमूदाबाद रामपुर–मथुरा मार्ग का निर्माण

१६—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरैया स्टेशन से पैतेपुर बिसवां के बासुर तथा महमूदाबाद के रामपुर मथुरा, जनपद सीतापुर में १९७८–७९ में सड़क बनवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इन सड़कों पर कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

सरैया स्टेशन से पैतेपुर तक सरकार की किसी योजना में सम्मिलित नहीं है ।

बिसवां से बासुरा मार्ग तक केनल गडेंचा से बासुरा तक जो ५ कि० मी०, जो कि महमूदाबाद रामपुर, मथुरा निर्माणाधीन मार्ग पर पड़ता है ।

महमूदाबाद से रामपुर–मथुरा तक सड़क बनाने की योजना स्वीकृत है जिस पर कार्य चल रहा है और प्रगति पर है इस मार्ग की कुल लम्बाई २८ कि० मी० है । जिसमें प्रारम्भ के ३ कि० मी० में सिंचाई विभाग द्वारा तथा शेष २५ कि० मी० में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य हो रहा है ।

बागेश्वर–कपकोट मार्ग का निर्माण

१७—श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को विदित है कि जागेश्वर–कपकोट मोटर मार्ग जो कि स्थानीय जनता द्वारा निर्मित किये गये थे और अब सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन हैं, में अभी तक पेन्ट नहीं किया गया है ? क्या मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मार्ग को कब तक पेन्ट करा दिया जायगा ।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

पर्वतीय क्षेत्र में जागेश्वर–कपकोट नाम का कोई मोटर मार्ग अथवा पैदल मार्ग नहीं है, बल्कि बागेश्वर–कपकोट नाम का एक मोटर मार्ग है । इस मार्ग का १२·८ कि० मी० भाग रख–रखाव अनुदान से पेन्ट किया जा चुका है । शेष ११·२ किलोमीटर भाग में पेन्टिंग का कार्य स्वीकृत हो जाने पर किया जायेगा ।

नियंत्रित मूल्य की पुस्तकों व कापियों की आपूर्ति में कठिनाई

१८—श्री श्रीनारायण—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छात्रों के लिए सस्ते दर पर किताब कापियाँ उपलब्ध कराने में सरकार के सामने कौन-कौन सी कठिनाइयां हैं और उसका सरकार क्या निदान कर रही है ? क्या यह सही है कि कि छात्रों में व्यापक असन्तोष का एक कारण सस्ती दर पर किताब कापियों को ठीक समय से उपलब्ध न होना भी है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

नियंत्रित मूल्य की कापियां और पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने में विशेष कठिनाई जिलों से कागज विलम्ब से प्राप्त होने की है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार को लिखा गया है । जी नहीं ।

देवरिया जिले के कोहर गडडी-कोटवा कला सड़क पर सिधरिया ताल का पुल

१९—श्री श्रीनारायण—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जिले के विकास खन्ड नौरंगिया के ग्राम कोटवा कलां में कोटवा से कोहर गड्डी जाने वाली सड़क पर सिधरिया ड्रेन पर कोई पुल नहीं है ? यदि हां, तो क्या इस पुल का निर्माण कराने हेतु सरकार शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां ।

ग्राम कोटवा कलां से कोहरगड्डी जाने वाली सड़क सिधरिया ताल ड्रेन को कि० मी० १७-०५ पर काटती है । इसके ऊपर कि० मी० १७-६१० पर पहले से ही एक पुल बना है ।

बांदा जिले के झुरही नाले का बांध निर्माण हेतु सर्वेक्षण

२०—श्री राम सजीवन—

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि बांदा जिले में चित्रकूट क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने से सम्बन्धित झुरही नाले पर बांध के प्रस्ताव का परीक्षण कराया गया था ? यदि हां, तो यह परीक्षण कब और किस अधिकारी ने किया था ? क्या परीक्षण के दौरान मध्य प्रदेश के अधिकारियों से भी सहयोग लिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

बांदा जिले में चित्रकूट क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने से सम्बन्धित झुरही (झुरसी) नाले पर बांध के प्रस्ताव हेतु साइट पर कोई परीक्षण नहीं कराया गया । अब इसका सर्वेक्षण करवा लिया जायेगा ।

जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जिला सीतापुर को दिया गया विज्ञान सामग्री अनुदान और प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल को प्रदान की गयी मान्यता

२१--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय, खालगांव, जनपद सीतापुर को वर्ष १९७२ में भवन निर्माण एवं विज्ञान की कक्षाओं के रख-रखाव हेतु कितना धन अनुदान के रूप में दिया गया ? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि का सही प्रयोग न करके प्रबन्धक द्वारा हड़प लिया गया ? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय, खाल गांव, सीतापुर को वर्ष १९७२ में भवन अनुदान नहीं वरन ५,६४० रु० अनावर्तक अनुदान विज्ञान कक्ष के निर्माण एवं विज्ञान सामग्री हेतु स्वीकृत किया गया और इसके अतिरिक्त विज्ञान सामग्री के रख-रखाव हेतु १२० रु० का आवर्तक अनुदान भी स्वीकृत किया गया था, जिसका उपभोग कर लिया गया है, परन्तु अनावर्तक अनुदान की धनराशि के उपभोग की पुष्टि होनी है ।

२२--श्री राम आसरे वर्मा तथा सुन्दर लाल दीक्षित--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय, खालगांव, जनपद सीतापुर के प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूल की मान्यता कब प्रदान की गई थी और इस समय कार्यरत अध्यापकों की संख्या कितनी है और उनके वेतनमान क्या हैं ।

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय, खालगांव, जनपद सीतापुर को प्राइमरी स्तर की मान्यता दिनांक २४-२-७१ तथा जूनियर हाई स्कूल स्तर की मान्यता ३-१०-६९ (स्थायी) को प्रदान की गई थी । इस विद्यालय को हाई स्कूल स्तर की मान्यता नहीं प्राप्त है ।

इस समय कार्यरत अध्यापकों की संख्या ७ है ।

प्रधानाध्यापक का वेतनमान २४०-५-३००-द० रो०-३४०-द० रो०-१०-३९० रु० है तथा सहायक अध्यापकों का वेतनमान २१०-५-२६०-द० रो०-६-२९०-द० रो०-८-३३० रु० है ।

बांदा जिले के गूंता नाला बांध योजना के लिए अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

२३--श्री राम सजीवन--

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि बांदा जिले में गूंता नाला बांध योजना के लिए किसानों की कितनी भूमि और कब-कब अध्याप्त की गई ? क्या उन जमीनों का मुआवजा किसानों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि किसानों के मुआवजे की धनराशि जिले के अधिकारियों ने सीधे अल्प बचत योजना में जमा कर दी है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

इस बांध के लिए किसानों की १७७५-५८ एकड़ भूमि अर्जित की गई थी, जिसका अधिकार सिंचाई विभाग को ४-१२-७६, ३०-१२-७६ तथा ३-२-७७ को दिया गया था। उक्त भूमि में से २७६-२८ एकड़ भूमि का मुआवजा किसानों को वितरित किया जा चुका है और शेष भूमि का मुआवजा शीघ्र वितरित करने की कार्यवाही की जा रही है।

बस्ती जिले में नलकूप चालकों का चयन

२४--श्री ओम प्रकाश सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि बस्ती जिले में सन् १९७८ में चयन समिति द्वारा कितने नलकूप चालकों का चुनाव हुआ ? उस चुनाव में कितने नलकूप चालक बस्ती जिले के हैं और कितने बाहरी जिलों के हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

बस्ती जिले में सन् १९७८ में १६६ नलकूप चालकों का चयन, चयन समिति द्वारा हुआ था। इनमें से १५६ अभ्यर्थियों, जिनके नाम जिला सेवायोजन कार्यालय से प्राप्त हुये थे, का पता बस्ती जिले का है। शेष १० विभागीय कार्य प्रभारित अभ्यर्थियों में से ७ बस्ती जिले के हैं तथा ३ बलिया, देवरिया तथा गोरखपुर जिलों के।

"वन वे" ट्रैफिक किया गया बस्ती जिले की महाराजगंज-भदावल सड़क

२५--श्री ओम प्रकाश उर्फ राम मिलन सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि बस्ती जनपद में राष्ट्रीय मार्ग २८ भदावल महाराजगंज के बीच में सन् १९७१ से लगातार प्रतिवर्ष बरसात में "वन वे" ट्रैफिक हो जाया करता है, "वन वे" ट्रैफिक करने में शासन को कितना अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ता है ? यह सड़क प्रतिवर्ष बरसात में खराब हो जाती है ? इस वर्ष जुलाई, ७८ से १५ अक्तूबर, १९७८ तक भदावल-महराजगंज के बीच वन-वे ट्रैफिक करने में शासन को कितना अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ता है ? यदि हां, तो इसको ठीक करने के लिए शासन की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

जी नहीं। अतः प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

२--महाराजगंज-भदावल मार्ग (राष्ट्रीय मार्ग-२८ बस्ती-फैजाबाद सेक्शन के किलोमीटर १७६ तथा १७७ में) के बीच "वन वे" ट्रैफिक केवल २७ जुलाई, १९७८ से १९ अक्तूबर, १९७८ तक एक बार किया गया था। इस अवधि में हुआ व्यय निम्नवत् है :--

	रु०
१--बैरियर पर लगाये गये श्रमिकों का वेतन	३,२८४·००
२--अन्य विविध व्यय, यथा, मिट्टी का तेल, झंडी के लिए कपड़ा, सिलाई आदि पर	१९५·७०
कुल योग ..	३,४७९·७०

मार्ग के उक्त भाग में यातायात को इस समय कोई असुविधा नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के मेट एवं गेंगमैन का आरक्षण कोटा

२६—श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में इस समय कुल कितने मेट एवं गेंगमैन हैं, इनमें से कितने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हैं और आरक्षण कोटा कितने प्रतिशत पूरा किया गया है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

सूचना निम्न प्रकार है :—

	कुल संख्या	अनुसूचित जाति की संख्या	प्रतिशत	अनुसूचित जन-जाति की संख्या	प्रतिशत
मेट्स	३९८९	६२३	१५·६२	६५	१·६३
गेंगमैन	१७२८५	३८५८	२२·३२	२९३	१·७०

२७—श्री शिव प्रसाद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि मेट एवं गेंग मैन पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है तो उसे पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मुख्य अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दिये जा रहे हैं कि भविष्य में जब नई नियुक्तियां की जायं तो आरक्षण कोटे को पूरा अवश्य कराया जाय ।

अयोध्या दर्शन लिंक मार्ग के निर्माण की मांग

२८—श्री जयशंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को प्रश्नकर्त्ता का २०-१०-७८ का कोई पत्र अयोध्या दर्शन नगर सड़कों के बारे में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस विषय पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जी हां ।

धनाभाव के कारण अयोध्या दर्शन लिंक मार्ग का प्रस्ताव अभी तक किसी योजना में स्वीकृत नहीं किया जा सकता ।

जौनपुर के मड़ियाहूं स्थित दीक्षा विद्यालय के भवन का निर्माण

२९--श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर) तथा श्री कमला प्रसाद सिंह (जिला जौनपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के मड़ियाहूं स्थित दीक्षा विद्यालय हेतु सरकार ने लगभग ७ लाख रुपए की लागत का भवन निर्माण कराया है और केराकत, जिला जौनपुर में दीक्षा विद्यालय किराये के भवन म चल रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी हां, मड़ियाहूं का निर्माणाधीन भवन आंशिक रूप से अपूर्ण होने के कारण पी० डब्लू० डी० द्वारा विभाग को हस्तान्तरित न होने के कारण केराकत में दीक्षा विद्यालय किराये के भवन में चल रहा है ।

बी० एस०ए० बी० इन्टर कालेज, गोला, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

३०-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित बी० एस० ए० बी० इन्टर कालेज, गोला, गोरखपुर के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र दिनांक ३ अगस्त, १९७८ के आस-पास उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी हां ।

कथित शिकायती-पत्र मूल रूप में शिक्षा निदेशक को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है । उन्हें वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच कराने के भी आदेश दे दिए गए है ।

बहराइच जिले के जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी पाठशालाओं के अर्ध-निर्मित भवन

३१--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी पाठशालाओं के जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों के मरम्मत एवं भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा धन स्वीकृत होकर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा जा चुका है ? यदि हां, तो बहराइच जिले के अर्ध-निर्मित प्राइमरी पाठशाला, चितईपुर, नौबस्ता, गोढ़वा, अवधूत नगर, मगहा व खर्च ब्लाक हरिहरपुर रानी के भवनों को पूर्ण न कराने का क्या कारण है तथा कब तक इन अधूरे भवनों को पूर्ण करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

शासन के आदेश दिनांक २२-७-७८ के द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवनों की मरम्मत रख-रखाव हेतु १५ लाख रुपए का अनुदान शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखा गया जिसमें से शिक्षा निदेशक ने अपने आदेश दिनांक १९-८-७८ द्वारा जनपद बहराइच को नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की मरम्मत हेतु ३३,३१५ रु० जिला

बेसिक शिक्षा अधिकारी को आवंटित किया । इस धनराशि से प्रश्न में वर्णित अधिनिर्मित प्राइमरी पाठशाला भवनों को पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह धनराशि निर्मित भवनों की मरम्मत और रख-रखाव हेतु स्वीकृत की गई है और आवश्यकता को देखते हुए अपर्याप्त है । वर्ष १९७८-७९ में जिला बहराइच में २८ स्कूलों के भवन बनाने हेतु ७·९८ रु० लाख २३-१२-७८ को आवंटित किया गया है । इस धनराशि से किन-किन स्कूलों के भवनों का निर्माण किया जायगा । इसका निर्णय जिला बेसिक शिक्षा समिति, बहराइच लेने में सक्षम है और प्रश्नगत अधूरे भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में विचार कर सकती है ।

बहराइच जिले के बेसिक विद्यालयों में घटिया किस्म के टाट-पट्टी व फर्नीचर की आपूर्ति

३२—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को जानकारी है कि बहराइच जिले के बेसिक विद्यालयों एवं पाठशालाओं में वर्ष १९७८-७९ में जो टाट-पट्टी, फर्नीचर दिए गए वे घटिया किस्म के तथा साइज में छोटे हैं ? यदि हां, तो क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इसकी जांच कराकर सही जांच रिपोर्ट सम्मानित सदन को देने की कृपा करेंगे और दोषी अधिकारी को दंडित करने की कार्यवाही की जायगी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इटावा जिले के दामोदर माइनर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण

३३—श्री राम लखन (जिला इटावा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इटावा के लखना क्षेत्र के अन्तर्गत दामोदरपुर माइनर के निर्माण हेतु वर्ष १९६५-६६ में किसानों की जमीन अध्यापित की गयी थी ? क्या अध्यापित भूमि पर माइनर का निर्माण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां ।

माइनर का निर्माण स्थानीय कृषकों एवं जन प्रतिनिधियों आदि के मध्य विवादग्रस्त होने के कारण नहीं कराया जा सका ।

प्रदेश के विभिन्न शिक्षा कार्यालयों में कार्यरत अध्यापक

३४—डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, उप विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों एवं शिक्षा अधीक्षक, शिक्षा अधीक्षिका के कार्यालय में कितने अध्यापक कार्यालय से कार्य में लगाए गए हैं जो वेतन स्कूलों से पाते हैं ? यह नियुक्तियां किन नियमों के अन्तर्गत हैं और कब तक इन्हें हटाकर लिपिकों की नियुक्तियां की जायेंगी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

प्रदेश के ५६ जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार १५ जिलों में कोई अध्यापक किसी कार्यालय में काम पर नहीं लगाया गया है। ४१ जिलों के सम्बन्ध में विभिन्न कार्यालयों में लगाए गए अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार है--

(१) बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में	२७
(२) उप विद्यालयों निरीक्षक के कार्यालय में	३८०
(३) शिक्षा अधीक्षक के कार्यालयों में ..	३६
(४) शिक्षा अधीक्षिका के कार्यालय में ..	२
योग ..	४४५

यह तैनाती जिला स्तर पर अध्यापकों के बकाया वेतन, प्राविडेन्ट फंड और कम्पलसरी डिपाजिट स्कीम के अन्तर्गत लेखों को जल्दी पूरा करने के उद्देश्य से की गई है।

३५-३६--श्री ओम प्रकाश तथा श्री बाबूराम वर्मा--

[२रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २९-३० के अन्तर्गत स्थानांतरित।]

बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों तथा प्रधानाध्यापकों का बकाया वेतन

३७--राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत अध्यापकों तथा प्रधान अध्यापकों को उस अवधि का जबकि वह स्थानीय निकायों के कर्मचारी थे सम्पूर्ण वेतन अदा कर दिया गया है? यदि नहीं, तो ऐसे कौन-कौन जिले हैं जहां अभी भी अवशेष है उसका भुगतान कब तक हो जायगा?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

प्रदेश के ५१ जिलों के सम्बन्ध में शासन को सूचना प्राप्त हुई है जिसमें से १३ जिलों में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत अध्यापकों/प्रधान अध्यापकों को प्रश्नगत अवधि का बकाया वेतन भुगतान कर दिया गया है। जिन ३८ जिल में अभी भी बकाया भुगतान अवशेष है उनके नाम निम्न प्रकार हैं:--

१--सहारनपुर, २--मुजफ्फरनगर, ३--अलीगढ़, ४--आगरा, ५--बरेली, ६--बिजनौर, ७--बदायूं, ८--शाहजहांपुर, ९--पीलीभीत, १०--इटावा, ११--फतेहपुर, १२--इलाहाबाद, १३--झांसी, १४--वाराणसी, १५--बलिया १६--गोरखपुर, १७--देवरिया, १८--नैनीताल, १९--अल्मोड़ा, २०--लखनऊ, २१--उन्नाव, २२--लखीमपुर-खीरी, २३--फैजाबाद, २४--गोंडा, २५--प्रतापगढ़, २६--बाराबंकी, २७--उत्तरकाशी, २८--पिथौरागढ़, २९--बुलन्दशहर, ३०--मथुरा, ३१--एटा, ३२--हमीरपुर, ३३--जालौन, ३४--मिर्जापुर, ३५--आजमगढ़, ३६--सीतापुर, ३७--गाजियाबाद, ३८--मैनपुरी।

जिन ५ जिलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है वे रामपुर, कानपुर, जौनपुर, बस्ती तथा सुल्तानपुर है। बकाया भुगतान की शीघ्र व्यवस्था की जा रही है किन्तु कोई निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है।

फर्रुखाबाद जिले के जूनियर हाई स्कूलों तथा प्राइमरी स्कूलों के भवन

३८—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत चलने वाले जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी स्कूलों की संख्या क्या है और किस विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने विद्यालय हैं तथा कितनों के पास स्वयं की इमारत हैं ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जनपद फर्रुखाबाद मे बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत चलने वाले जूनियर हाई स्कूल तथा प्राइमरी स्कूलों की संख्या क्रमशः १३७ तथा १११८ है।

विधान सभा क्षेत्र के अनुसार उपरोक्त विद्यालयों की क्षेत्रवार संख्या निम्नवत् है—

नाम विधान सभा क्षेत्र	जू० हा० स्कूल	प्राइमरी स्कूल	योग
१	२	३	४
१—उर्मदा	१५	१४९	१६४
२—मोहम्मदाबाद	२२	१९४	२१६
३—छिबरामऊ	१९	१५३	१७२
४—कमालगंज	२१	१४२	१६३
५—कन्नौज	२१	१६७	१८८
६—कायमगंज	२२	१४३	१६५
७—फर्रुखाबाद	१७	१७०	१८७
योग	१३७	१११८	१२५५

विधान सभा क्षेत्र के अनुसार विद्यालयों की संख्या जिनके पास स्वयं की इमारतें हैं, निम्नवत् है :—

विधान सभा क्षेत्र	जूनियर हाई स्कूल	प्राइमरी स्कूल	योग
१	२	३	४
१—उर्मदा	७	८७	९४
२—मोहम्मदाबाद	१०	८४	९४
३—छिबरामऊ	९	७७	८६
४—कमालगंज	९	७३	८२
५—कन्नौज	९	९३	१०२
६—कायमगंज	९	७३	८२
७—फर्रुखाबाद	१०	१०४	११४
योग	६३	५९१	६५४

प्राइमरी स्कूलों के लिए अनुपूरक पुस्तकों व पत्रिकाओं की आपूर्ति हेतु स्वीकृत धनराशि से खरीदी गयी टाट-पट्टी की आपूर्ति

३९—श्री अठई राम तथा बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में चल रहें लगभग ६२ हजार बेसिक प्राइमरी स्कूलों की सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाने वाली अनुपूरक पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीदारी न करने से जो २१ रुपए विद्यालय की दर से १९७७-७८ में (करीब १३ लाख रु० की) बचत हुई है उसका उपयोग हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त धनराशि में से कितनी धनराशि उपयोग की गई है और कितनी बाकी है ? बची हुई धनराशि को सरकार किस कार्य या कौन-सी सामग्री क्रय करने हेतु उपयोग में लाए जाने का विचार कर रही है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

४०—श्री अठई राम तथा बाबा राम अधार यादव—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि सत्र १९७७-७८ में सरकार द्वारा ५०रु० प्रति जूनियर बेसिक स्कूल की दर से टाट-पट्टी खरीदने का प्राविधान पहले से ही था और २१ रु० प्रति स्कूल की दर से जो पुस्तकें एवं पत्रिकाओं पर व्यय होना था सब की टाट-पट्टी खरीद ली गयी है ? (जो लगभग १३ लाख रुपया होता है) इस प्रकार प्रदेश के लगभग ६२ हजार जूनियर बेसिक स्कूलों में लगभग ३१+१३+४४ लाख रुपए की टाट-पट्टी खरीदी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? यह टाट-पट्टी कितने स्कूलों को सप्लाई की है और किन-किन फर्मों द्वारा की गयी है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

अलीगढ़ जिले के गोपालपुर, भूतपूर्व अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध शिकायतें

४१—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता जब अलीगढ़ में अधीक्षण अभियन्ता थे उनके कार्यकाल में निर्मित कार्य गोपालपुर अखद्रपुर, रेगुलेटर बह गया, नरौरा बैराज पर करोड़ों रुपया खर्च किया ? इसकी शासन द्वारा जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच से क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित निचली गंगा नहर पर निर्मित रेगुलेटर वर्ष १९७८ के पूर्व बने थे जो बहुत पुराने व कमजोर होने के कारण अप्रैल, १९६६ में क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसकी जांच तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा मई, १९६६ में एक तकनीकी समिति द्वारा कराई गई थी। जांच में न तो किसी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप लगाए गए थे और न ही किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी ठहराया गया।

नरोरा बैराज का कार्य ४२५·६२ लाख रुपए की लागत से पूरा किया गया था।

नरोरा बैराज पर कार्य के समय बाढ़ के कारण ४२,४३०·६० रु० की सामग्री खो गई थी जिसे बट्टे खाते में डालने की स्वीकृति शासनादेश दिनांक ६-२-१९७३ द्वारा प्रदान की गई थी।

फैजाबाद जिले का पेवाड़ा स्थित इस्लामिया स्कूल

४२—श्री हरीराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में इस्लामिया स्कूल, मुहल्ला पेवाड़ा, पत्रालय अकबरपुर, जनपद फैजाबाद वर्तमान समय में चल रहा है ? यदि हां, तो कौन सी कक्षाएं चल रही हैं और अलग-अलग कक्षाओं में छात्र और छात्राओं की संख्या क्या है ? इस स्कूल को सरकारी सहायता कब से दी गयी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हां।

प्रवेशिका से कक्षा ५ तक

कक्षा	छात्र	छात्रा	योग
प्रवेशिका	६४	४७	१११
१	२३	२१	४४
२	१४	०९	२३
३	१३	१७	३०
४	०९	०९	१८
५	०८	०२	१०
योग ..	१३१	१०५	२३६

कभी नहीं।

जौनपुर जिले की कुत्तूपुर प्राइमरी पाठशाला के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

४३—श्री राजकिशोर तिवारी तथा श्री कमला प्रसाद सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव समाज फतेपुर, विकास क्षेत्र मड़ियाहू, जिला जौनपुर में स्थित प्राइमरी पाठशाला भवन निर्माण हेतु वर्ष १९७६-७७ में सरकार की ओर से जो अनुदान दिया गया है उस अनुदान की धनराशि कितनी है, किस व्यक्ति ने अनुदान की धनराशि प्राप्त किया है ? क्या यह सही है अनुदान प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस गांव के प्रधान के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति है ? जिसने अपने को प्रधान कह करके धनराशि प्राप्त किया है और अभी तक विद्यालय भवन का कार्य नहीं हुआ है, पैसे का गोलमाल हो गया है ? यदि हां, तो सरकार की ओर से क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

वित्तीय वर्ष १९७६-७७ में जनपद जौनपुर के विकास खंड मड़ियाहूं के ग्राम कुत्तूपुर के प्राइमरी पाठशाला के भवन निर्माण हेतु शासन अथवा बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया गया है। जिला परिषद्, जौनपुर ने अपने प्रस्ताव, दिनांक ९-७-७६ को सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विकास खंडों में बेसिक स्कूलों के मरम्मत व अधूरा कार्य को पूरा कराने के लिये एक लाख रुपय की धनराशि बराबर बांट दी जाय और स्कूल का चयन विकास खंड के ब्लाक प्रमुख तथा सदस्य द्वारा किया जाय। तदनुसार ब्लाक प्रमुख विकास खंड मड़ियाहूं की संस्तुति के आधार पर जिला परिषद्, जौनपुर ने अपने प्रस्ताव दिनांक २९-१-७७ के अनुसार श्री भगवती प्रसाद यादव, ग्राम प्रधान कुत्तूपुर को प्राइमरी पाठशाला कुत्तपुर के भवन निर्माण हेतु रुपये २२७३ की धनराशि स्वीकृत की और रुपये १२४२ का भुगतान किया। धन के गोलमाल की कोई सूचना शासन को नहीं है।

देहरादून जिले के नलकूप संख्या १२ द्वारा सिंचाई का विवरण

४४--श्री रणजीत सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि देहरादून जनपद के नलकूप नं० डी० डी० १२ (जोली ग्रान्ट) का गत पांच वर्षों में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एवं जून में पानी का डिस्चार्ज प्रति घंटा कितना-कितना रहा ? क्या मंत्री यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे के उक्त नलकूप गत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष पृथक-पृथक खराबी अथवा अन्य किसी कारण से कुल कितने दिन बन्द रहा है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

नलकूपों का निकास माहवार नहीं लिया जाता है बल्कि फसलवार लिया जाता है। जनपद देहरादून के नलकूप संख्या १२ डी० डी० का गत पांच वर्षों में फरवरी से जून तक महीनों में जब-जब डिस्चार्ज नापा गया है उसकी सूचना संलग्नक-१ के अनुसार है। उक्त नलकूप गत वर्षों में संलग्नक-२ के अनुसार पृथक-पृथक खराबी अथवा कम निकास के कारण बन्द रहा।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १५२ पर)

*४५--श्री राम गोविन--

[३रे बुधवार के लिये स्थगित।]

फैजाबाद जिले में सड़कों का निर्माण

४६--श्री श्रीराम द्विवेदी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में ३१ मार्च, १९७९ तक जनपद में प्रस्तावित कुल कितने मार्गों का निर्माण किया गया ? क्या हैदरगंज से भीटी बाजार तक मार्ग मिसिंग लिंक में लेने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो इस मार्ग का निर्माण कब तक पूरा हो सकेगा ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

जनपद फैजाबाद में ३१ मार्च, १९७९ तक निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित मार्गों का निर्माण किया गया :

१--वर्ष १९७७-७८ में स्वीकृत लिंक मार्ग निर्माण की २६५ लाख रुपये की योजना के अन्तर्गत ३ मार्गों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

२—खाद्यान्न योजना नं० २ के अन्तर्गत २ मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति में है ।

३—खाद्यान्न योजना नं० ३ के अन्तर्गत ५ मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति में है ।

४—खाद्यान्न योजना नं० ४ के अन्तर्गत १३ मार्गों का निर्माण किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद जिले के बीकापुर-आना बाजार मार्ग का निर्माण

४७—श्री श्रीराम द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में योजना नं० ४ के अन्तर्गत कुल कितने किलोमीटर मार्ग स्वीकृत है ? बीकापुर-आना बाजार मार्ग (७ कि० मी०) पर मिट्टी की क्या प्रगति है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

फैजाबाद जनपद में योजना नं० ४ के अन्तर्गत कुल ७५ कि० मी० मार्ग स्वीकृत है । बीकापुर-आना बाजार मार्ग (७ कि० मी०) पर मिट्टी का कार्य पूर्ण हो गया है ।

फैजाबाद जिले के गोसाईगंज-टिकरी-तारुन मार्ग का निर्माण

४८—श्री श्रीराम द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में गोसाईगंज-टिकरी-तारून मार्ग पर गत वर्ष कितने रुपए के व्यय करने का बजट में प्राविधा था ? क्या मार्च ३१, १९७९ के पूर्व इस मार्ग पर खड़ंजा, मिट्टी, गिट्टी एवं पत्थर की आपूर्ति हो गयी ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

फैजाबाद जनपद में गोसाईगंज-टिकरी-तारून मार्ग पर गत वित्तीय वर्ष १९७८-७९ में ३·५० लाख रुपये व्यय करने का बजट में प्राविधान था ।

कार्य प्रगति पर है ।

३१ मार्च, १९७९ तक इस मार्ग पर निम्नलिखित प्रगति हो चुकी थी :—

१—मिट्टी का कार्य	..	..	१३ कि० मी०
२—निचली सतह एकत्रीकरण	..	..	१२ कि० मी०
कुटाई	..	..	११ कि० मी०
३—मध्य सतह एकत्रीकरण	..	..	१० कि० मी०
कुटाई	..	..	७ कि० मी०
४—ऊपरी सतह एकत्रीकरण	..	..	१० कि० मी०
कुटाई	..	..	७ कि० मी०
५—प्रथम सतह लेपन	..	..	७ कि० मी०

प्राप्त अनुदान के अनुसार कार्य कराया गया है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्टोर कीपर, श्री लक्ष्मी शंकर निगम के बकाया वेतन का भुगतान

४९--श्री श्रीराम द्विवेदी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में वर्ष १९७४ में कुल कितने स्टोर कीपरों का वेतन रोका गया ? वेतन रोकने का आधार क्या है ? इस सम्बन्ध में क्या प्रश्नकर्ता का कोई पत्र ७ नवम्बर, १९७८ को मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को मिला है ? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

लखनऊ जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के किसी स्टोर कीपर का वेतन वर्ष १९७४ में नहीं रोका गया, किन्तु उस विभाग के एक स्टोरकीपर श्री लक्ष्मी शंकर निगम जो उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में प्रतिनियुक्ति पर है, का दिनांक ८-७-७४ से २८-९-७४ की अवधि का वेतन बिना किसी प्रार्थना-पत्र के कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण वरिष्ठ अभियन्ता, सेतु निर्माण इकाई सं० १, लखनऊ द्वारा रोका गया था ।

जी हां । अब श्री निगम के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है

फैजाबाद जिले के बीकापुर में बालिका विद्यालय खोलने की मांग

५०--श्री श्रीराम द्विवेदी--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७८-७९ में प्रदेश में कुल कितने बालिका हाई स्कूल खोले गए ? क्या मंत्री जी को फैजाबाद जनपद में बीकापुर में बालिका हाई स्कूल खोलने सम्बन्धी पत्र दिनांक १२ मई, १९७८ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो यह बालिका विद्यालय कब तक खुल जायेगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

वर्ष १९७८-७९ में बालिकाओं के दस हाई स्कूल खोले गये । सूची संलग्न है । जी हां ।

भवन की अनुपलब्धता एवं सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण यह बताना संभव नहीं है कि बीकापुर में बालिका विद्यालय कब तक खुल जायेगा ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १५३ पर)

५१--श्री बाबू लाल वर्मा, श्री औसान सिंह, श्री रामजी तथा श्री बाबू लाल सरोज--

[३२ बुधवार के लिये स्थगित ।]

भूतपूर्व सदस्य, श्री मान्धाता सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री मान्धाता सिंह की दुखद मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ है । २० अप्रैल, १९७९ को प्रातः काल ६-१० बजे श्री मान्धाता सिंह हमारे बीच नहीं रहे । सन् ५२ से ६७ तक वे निरन्तर इस सदन के सदस्य रहे । बलिया के सार्वजनिक जीवन में उनका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

महत्वपूर्ण हाथ रहा। सन् १९१० में आपका जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही आपका अभिरुचि सामाजिक और राजनीतिक कार्य में थी। १९३७ में आप जिला बोर्ड के सदस्य निर्वाचित हुए। १९४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया और ५ मास का कठोर दन्ड मिला। १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन में भी गिरफ्तार किए गए और कुछ समय बाद जमानत पर छोड़ दिए गए लेकिन फिर भी कार्य करते रहें और १९४३ में बिहार के भुखसाल जिले में गिरफ्तार होकर वहां पर बन्दी बनाये गए श्री मान्धाता सिंह बराबर जिला कांग्रेस पार्टी, बलिया के ९ साल तक अध्यक्ष रहें। उनकी खेल में विशेष रुचि थी। सहकारी आन्दोलन से भी आपका सम्बन्ध था। रसड़ा के सहकारी समिति के आप संचालक मंडल में मृत्यु पर्यन्त रहें। कई शिक्षण संस्थाओं को कायम किया और कई से सम्बन्धित थे। मुझको उनके साथ काम करने का अवसर मिला। वह अत्यन्त ही सरल, विनम्र स्वाभाव के व्यक्ति थे। उनके अपने कार्य के प्रति सत्य निष्ठा और लगन थी। उनके निधम से इस प्रदेश के जन-जीवन में बड़ी क्षति हुई है। मैं उनके सन्तप्त परिवार के साथ अपनी समवेदना प्रकट करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको शान्ति प्रदान करे और सन्तप्त परिवार को धैर्य प्रदान करे।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य, श्री मान्धाता सिंह जी की असामियिक मृत्यु के समाचार से हम सब दुखी हैं। माननीय नेता सदन ने इस सन्दर्भ में विस्तार से उनकी जीवन चर्या का वर्णन किया है और उनके सामाजिक और राजनीतिक सेवाओं का उल्लेख किया है। श्रीमन्, मैं नेता सदन द्वारा उद्घोषित भावनाओं से अपने तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आप से आग्रह करता हूं कि हम सभी की भाव-भीनी श्रद्धांजलि कृपा कर शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री मान्धाता सिंह जी इस सदन के लगभग १५ साल तक सदस्य रहे और उन्होंने न केवल बलिया, न केवल समस्त पूर्वांचल बल्कि समस्त उत्तर प्रदेश के जन-जीवन की आवाज समय-समय पर सदन में उठायी। श्रीमन, मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस सदन में १२ वर्ष तक निरन्तर श्री मान्धाता सिंह जी के साथ कार्य किया और उनकी गम्भीर विचारधारा और उनकी सलाह से लाभान्वित हुआ। वह अपने प्रकार के विशिष्ट व्यक्ति थे, कम बोलते थे और जब भी बोलते थे तो उनके विचार बरबस सभी का ध्यान आकर्षित कर लेते थे और उनके सुझाओं को मानने के लिए विवश होना पड़ता था। क्योंकि अधिकांशतः वह ऐसे सुझाव देते थे जिसे काशियसनेस यानी सामान्य रूप के सभी का मत जानने के बाद, समान्य अभिमत की उनकी बातें हुआ करती थीं। बलिया जनपद की जो अपूर्णनीय क्षति हुई हैं उनका उल्लेख करना कठिन है क्योंकि बलिया जैसे क्रान्तिकारी जिले से उनका इतना लम्बा सम्बन्ध रहा है। सन् ४२ से, चितू पांडे के सहयोगी होने के नाते, जो बलिया के उस समय के स्वधीनता सेनानी रहे हैं, ऐसे स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी के प्रति हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। उनकी मृत्यु से बलिया जनपद की और पूर्वांचल की विशेष क्षति हुई है। श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मेरा आग्रह है कि आप हमारी भावनाओं को शोक सन्तप्त परिवार तथा पहुंचाने की कृपा करेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय मान्धाता सिंह के बारे में जो विचार माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल ने व्यक्त किए हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्धाता सिंह जी पूर्वांचल के खास कर बलिया जिले के उन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

लोगों में थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में प्रमुख भूमिका अदा की थी। इस माननीय सदन के वह काफी अर्से तक सदस्य रहें। मेरा भी १० साल तक उनका साथ रहा। जो विचार माननीय नेता विरोधी दल ने उनके बारे में व्यक्त किए हैं वह हूबहू सही हैं उनके उठ जाने से पूर्वांचल की ओर खासकर बलिया जिले की बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनके परिवार और उनके मित्रों को बहुत दुख है। जो स्थान रिक्त हो गया है अब उनके जैसे लोग मिल नहीं सकते हैं, उसकी पूर्ति असंभव है। उनके मित्रों और उनके परिवार के लोगों को हमारी ओर से और हमारे दल की ओर से शोक समवेदना का सन्देश पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री लक्ष्मी शंकर यादव (जिला जौनपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने स्वर्गीय मान्धाता सिंह के विषय में जो विचार व्यक्त किए ह उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। नेता सदन ने बहुत विस्तार से उनके जीवन के बारे में प्रकाश डाला है, उससे मालूम होता है कि स्वर्गीय मान्धाता सिंह बड़े बहादुर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता, खासतौर से सामाजिक और शैक्षिक संस्थाओं से उनका सम्बन्ध रहा। वह बड़े सरल स्वाभाव के थे। उनके उठ जाने से बलिया जिले और विशेष तौर से पूर्वांचल की ओर सारे प्रदेश को क्षति हुई है। हमारी आपसे निवेदन है कि हमारी तरफ से और हमारे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार की समवेदना का प्रस्ताव भेजने की कृपा करें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, माननीय श्री मान्धाता सिंह जी की मृत्यु हम सबके लिए दुख की बात है। उनकी असामयिक मृत्यु पर माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय ऊदल जी यादव जी ने जो उदगार व्यक्त किए ह उनसे मैं अपने को और प्रगतिशील विधायक दल को सम्बद्ध करते हुए आपसे यह आग्रह करूंगा कि हमारी ओर से भाव-भीनी श्रद्धांजलि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री मान्धाता सिंह के बारे में जो विचार नेता सदन, नेता विरोधी दल, श्री ऊदल, श्री लक्ष्मी शंकर यादव और श्री राम आसरे वर्मा ने यहां व्यक्त किए हैं, मैं सदन को और अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं। श्री मान्धाता सिंह एक बहुत ही अच्छे प्रश्नकर्ता थे। मुझे याद है कि १९५२ से लेकर १९६७ तक बराबर वह असेम्बली की कार्यवाही में बहुत अधिक हिस्सा लेते थे और प्रश्नों के बारे में उनकी विशेष दिलचस्पी रहती थी। पूर्वांचल के बहुत ही वह अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे और उनके निधन से उस क्षेत्र की विशेष हानि हुई है। मैं सदन की ओर से और सभी नेताओं की ओर से और अपनी ओर से दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके शोक सन्तप्त परिवार तक समवेदनाएं आपकी तरफ से और सदन की तरफ से भेज दी जायेंगी।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंन्द्र प्रताप सिंह के निधन पर शोकोद्गार

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, हम सभी जानते हैं कि स्व० राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जो स्वतन्त्रता संग्राम के महान सेनानी थे उनकी दिल्ली में २९ अप्रैल, १९७९ को मृत्यु हो गयी, वह अन्तर्राष्ट्रीय जगत में प्रसिद्ध थे इसलिए मैं चाहूंगा कि नेता सदन उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करें, इससे हमारे सदन का और हमारे प्रदेश का गौरव बढ़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में पहले नेता सदन से विचार-विमर्श कर लिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं चाहता था कि राजा महेन्द्र प्रताप सिंह के बारे में जब प्रस्ताव आया है तो श्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में भी प्रस्ताव हो जाये तो अच्छा है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय लोगों के बारे में यहां श्रद्धांजलियां अर्पित की गयी हैं। इसलिए मुख्य मन्त्री जी इस पर भी विचार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नेता सदन और अन्य नेताओं से आग्रह करूंगा कि इस सम्बन्ध में पहले विचार विमर्श कर लिया करें तो अच्छा होगा क्योंकि निधन के सन्देश बड़े महत्व के होते हैं।

*मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा अच्छा तो यही होता कि श्री देव बहादुर जी पहले ध्यान आकर्षित करते क्योंकि अभी तक प्रायः प्रथा यही रही है कि जो सदन के सदस्य रहे हैं, कुछ व्यक्तियों को छोड़कर अन्यथा यहां की प्रथा रही है कि उन्हीं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। लेकिन राजा महेन्द्र प्रताप जी का इस देश की स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वह एक बहुत बड़े क्रान्तिकारी रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। आप का जन्म अली गढ़ जिले के अन्दर हुआ था।

यद्यपि वह एक छोटे से राजा थे लेकिन उनमें शुरू से ही देश और समाज की सेवा की लगन थी। इसलिए आपने क्रान्तिकारी आन्दोलन का संगठन किया। आप अफगानिस्तान के अमानुल्ला खान से मिले और सामाजिक क्रान्ति का उनसे मिलकर कार्यक्रम बनाया। जापान और जर्मनी गए और उस वक्त जो क्रान्तिकारी थे—लाला हर दयाल और रास बिहारी बोस, उन सभी के साथ भारतवर्ष की आजादी के लिए योजनाएं बनायीं। आप मानवता के पुजारी थे और शुरू से अखबार निकालते थे। उन्होंने अपनी सारी जायदाद सामाजिक कार्यों के लिय समर्पित कर दी और आपने प्रेम महाविद्यालय चलाया उस समय जब कि प्राविधिक शिक्षा का अभाव था। बाद में यही प्रेम महाविद्यालय राष्ट्रीय आन्दोलन का केन्द्र बना और यहां जुगुल किशोर, प्रो० किशन चन्द्र आदि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को प्रश्रय मिला और वहां के विद्यार्थी ने बड़ी संख्या में ३०, ३१, ३२, ४१ और ४२ के आन्दोलनों में भाग लिया। उनके विचार ऐसे ही क्रान्तिकारी थे और वह इस बात के प्रतिपादक थे कि जाति-पांति तोड़कर व्यवहार किया जाय। यही नहीं, वह चाहते थे कि हिन्दू मुसलमान आपस में शादी विवाह करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसी दास]

आप सुभाष चन्द्र बोस के भी सम्पर्क में आए। जब वह भारत वर्ष के अन्दर आए तो उनका बड़ा स्वागत किया। बुलन्दशहर के तीन बड़े-बड़े गांव जो उनकी जायदाद थे वह सामाजिक कार्य के लिए समर्पित थे। राजा महेन्द्र प्रताप लोक सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वह एक महान देश भक्त थे। उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्ति का जो स्वप्न देखा था उसको अपने जीवन में साकार होते हुए देखा। इस दृष्टि से वह बड़े सौभाग्यशाली थे। वह दीर्घ आयु प्राप्त कर, यश प्राप्त कर, कीर्ति प्राप्त कर, चले गए। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन् सन् ४२ की क्रान्ति के अवसर पर कार्यरत पीढ़ी के लिए राजा महेन्द्र प्रताप का नाम अत्यन्त प्रेरणादायक रहा है। श्रीमन् सदन के कुछ माननीय सदस्य, जो उस पीढ़ी से सम्बन्धित रहे थे, उनको भलीभांति याद होगा कि रास बिहारी बोस और गदर पार्टी के क्रान्तिकारी लोग, यतीन्द्र नाथ जी और नेता सुभाष चन्द्र बोस के साथ जो लोग काम कर रहे थे उन सभी की श्रेणी में राजा महेन्द्र प्रताप का नाम सदैव हृदय को प्रेरणा देने वाले जाज्वल्यमान व्यक्तित्व के रूप में उद्भाषित रहा है। श्रीमन् राजा महेन्द्र प्रताप जी का जिन परिस्थितियों में निष्कासन और निर्वासन भारत से किया गया वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम पन्नों के रूप में अंकित है। ब्रिटिश साम्राज्यशाही जब अपने सम्राज्यवाद का तांडव नृत्य कर रही थी, उस समय राजा महेन्द्र प्रताप ने अपने क्रान्तिकारी कार्यों से उनके तान्डव नृत्य को इस प्रकार चुनौती दी कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही बिलबला उठी और आतंकित हो उठी और उसने इस बात का प्रयास किया कि या तो महेन्द्र प्रताप जी की जीवन लीला ही समाप्त हो जाय या वे इस देश में अपने क्रान्तिकारी संगठन का कार्य न चला सकें। इसी कारणवश महेन्द्र प्रताप जी इस देश में कार्य करने से वंचित रहे लेकिन उन्होंने बाहर जा कर भी जिस प्रकार से भारत के क्रान्तिकारियों का संगठन किया और भारत के स्वतन्त्रता संग्राम की कहानी को निष्पादित किया, वह अपने में ही एक कहानी है। नेता सदन ने जैसा उल्लेख किया कि राजा महेन्द्र प्रताप जब भारत सरकार के निमन्त्रण पर वहां लौट कर आए तो उनका यहां ऐतिहासिक स्वागत हुआ और उसी प्रकार वे बड़े भारी बहुमत से लोक सभा के लिए बिना किसी दलगत राजनीति के निर्वाचित भी हुए। प्रेम महाविद्यालय उनके विचारों का एक प्रतीक रहा है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि आज हम लोग उस प्रेम महाविद्यालय की पुनर्स्थापना नहीं कर सके हैं। अगर हम सब लोग मिलकर उनके आदर्शों के अनुरूप भविष्य में उसको चला सकें तो वह उनकी स्मृति में एक सबसे बड़ा स्मारक होगा। जाति-पांति तोड़ के और मानवता के प्रेरक और अन्तर्जातीय विवाहों के बारे में जो नेता सदन ने उल्लेख किया, वह उनकी उदात्त भावना का परिचायक है। श्रीमन्, ऐसे महान मनीषी आज हमारे बीच में नहीं हैं वे भले ही इस सदन के सदस्य न हों लेकिन आजाद भारत के अमर सेनानियों में से एक हैं, इस दृष्टि कोण से मैं नेता सदन द्वारा व्यक्त भावनाओं से अपने को सम्बन्धित करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं कि हमारे दल की ओर से और इस सदन की ओर से आप उनके निकट सम्बन्धियों, मैं नहीं जानता कि उनके परिवार में कौन है क्योंकि वे सारे भारत को अपना परिवार मानते थे 'वसुधैव कुटम्बकम्, उक्ति में उनकी आस्था थी लेकिन फिर भी जो उनके शिष्य और निकट सम्बन्धी हो उनको भावभीनी श्रद्धांजलि प्रेषित की जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल ने जो भाव राजा महेन्द्र प्रताप सिंह के बारे में व्यक्त किए हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

राज महेन्द्र प्रताप सिंह जी से दो बार मुझे भी मिलने का अवसर मिला, वे महान क्रान्तिकारी थे, हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे चाहे वे गदर पार्टी के हों या भगत सिंह जी या और जो लोग थे, वे इस देश की आजादी, जैसा कि आज इसका स्वरूप है, ऐसी नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद और उसके जो अवशेष हैं इस देश में, उनको क्रान्ति के द्वारा मिटाकर उनके अवशेषों को खत्म किया जाय तभी सच्ची आजादी मिल सकती है और एक दूरगामी प्रभाव आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर हो सकता है, यह उनके विचार थे ये। उनके क्रान्तिकारी शब्द हैं जो आजादी के बाद भी वे जहां कहीं भी भाव व्यक्त करते थे, वहां कहते थे जहां तक मुझे सुनने का अवसर मिला। श्रीमन् उनकी जो भावना थी, जिसके लिए वे काबुल गए, गदर पार्टी के लोगों से मिले, वह भावना साकार नहीं हुई। वह बहुत बड़ी बात थी और अगर उस तरह का परिवर्तन जैसा कि वे और देश के अन्य क्रान्तिकारी चाहते थे, वह होता तो आज भारतवर्ष का नक्शा ही कुछ और होता। श्रीमन्, इस प्रकार के क्रान्तिकारी राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जी थे। उनके निधन से, हालांकि उनकी उम्र काफी हो चुकी थी। आज भी उसी तरीके के थे, क्योंकि हिन्दुस्तान आज ग्रसित है आर्थिक, सामाजिक और राजनतिक क्षेत्र में, पूंजीवाद इसको ग्रसा हुआ है। आज भी बाहरी साम्राज्यवाद का खतरा इस देश को है। उनके पुराने विचार आज भी उसी तरह से कायम हैं, जिस तरह से पहले थे।

माननीय नेता सदन ने माननीय नेता विरोधी दल ने जो भाव व्यक्त किए हैं और उनके साथ ही मैंने जो उद्गार व्यक्त किए हैं उनके विचारों के बारे में, उनके उठ जाने से बहुत बड़ी क्षति, विचारों के क्षेत्र में, क्रान्तिकारी विचारों के क्षेत्र में, इस देश की हुई है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। इसका मुझे बड़ा दुख है। इसलिए मैं अपने को, अपने दल को माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल के विचारों के साथ सम्बद्ध करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि उनके परिवार के लोगों को उनके शुभेच्छु, उनके मित्रों को हमारी सम्वेदना पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री लक्ष्मी शंकर यादव (जिला जौनपुर)—

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और श्री ऊदल जी ने जो विचार व्यक्त किए हैं मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं।

माननीय नेता सदन ने उनके जीवन पर विस्तार से यहां पर चर्चा की। वैसे भी वह भारत के ही नहीं, संसार के ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे जिनके बारे में प्राय सभी लोगों को मालूम है। जो भी उनके जीवन की खूबियां रहीं उन पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। मानवता को लेकर वह तो सारे संसार को एक मानते थे। यहां तक उनकी कल्पना थी कि अगर विश्व सरकार बन सके तो सब से ज्यादा अच्छा हो। जब वह बाहर गये तो ख्याति प्राप्त की और स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों में अग्रणी थे। बाहर जाकर स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों खासतौर पर क्रान्तिकारियों का उन्होंने संगठन किया और वहां तक हमारी जानकारी है, काबुल में उन्होंने भारत सरकार की स्थापना कर दी थी। ऐसे क्रान्तिकारी, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, समाज सेवक, मानव सेवक, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जी थे। यह सही है कि अवस्था उन्हें मिली ९३ वर्ष की। उनके व्यक्तित्व में राष्ट्र था। आज भी वह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मी शंकर यादव]

जितने इस देश के लिए लाभदायक हो सकते थे उनके जाने से बड़ी क्षति हुई देश को और यह निश्चित है कि ऐसे व्यक्तित्व का पुनः देश में आना असम्भव नहीं तो बड़ा कठिन सा जरूर लगता है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी तरफ से और हमारे दल की तरफ से समवेदना का प्रस्ताव उनके परिवार तक पहुंचा दें और जैसा कि कहा गया कि सारा देश ही उनका परिवार है, हम समझते हैं कि इस माननीय सदन के द्वारा सारा देश शोक सन्तप्त है तो सबको भगवान ऐसा बल दे कि इस शोक को सहन कर सकें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जी नहीं रहे। हम सब इससे दुखी हैं। राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए जो सेवाएं उनकी रही हैं उनका वर्णन कर पाना कठिन है। एक स्वन्त्रता संग्राम सेनानी के रूप में जो आदर्श प्रस्तुत किया है देश के सामने वह बेमिसाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वतन्त्रता मिल जाने के बाद जिस तरह के जीवन से राजा महेन्द्र प्रताप जी गुजर रहे थे उसे भी हम एक संघर्ष ही मानेंगे। राजनीतिक क्षत्र में, मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए जीवन के आखरी सांसों तक वह लड़ते रहे। इस महान प्रतिमा के प्रति मैं अपने और अपने दल को उन उद्गारों के साथ सम्बद्ध करता हूं जो माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय ऊदल और यादव जी ने यहां व्यक्त किए हैं और मैं आप से अनुग्रह करूंगा कि हमारे दल की ओर से तथा मेरी ओर से श्रद्धांजलि के पुष्प उनके शोक सन्तप्त परिवार के पास भेजने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय ऊदल तथा माननीय यादव तथा श्री राम आसरे वर्मा ने स्वर्गीय राजा महेन्द्र प्रताप के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं, मैं सदन की ओर से अपने आप को उनसे सम्बद्ध करता हूं। राजा महेन्द्र प्रताप सिंह सुभाष बाबू के दाहिने हाथ कहे जाते थे। वे एक महान क्रान्तिकारी, इस देश के अन्दर थे और उनके निधन से उस पीढ़ी को जिसके कारण देश को स्वतन्त्रता मिली बड़ी क्षति हुई है हालांकि उस पीढ़ी के बहुत कम लोग रह गए हैं। राजा महेन्द्र प्रताप उसमें अग्रणी थे। मैं आप सब की ओर से, सदन की ओर से समवेदना उनके परिवार तक अगर कोई उसमें होगा तो उस तक भेज दूंगा। आपसे निवेदन है कि आप लोग दो मिनट के लिए मौन खड़े होकर उनकी आत्मा की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री जुल्फिकार अली भुट्टो की हत्या के सम्बन्ध में निन्दा का प्रस्ताव लाए जाने की मांग

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनी ताल)--

एक बात कह दूं।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मुझे भी एक बात निवेदन करनी है ....

श्री देव बहादुर सिंह--

पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री भुट्टो को जिस तरह से हत्या की गयी है सदन में उसकी निन्दा करनी चाहिये। यह जनतंत्र की हत्या की गयी है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न हमारे सदन में नहीं उठने चाहिये। इनको लोक सभा अथवा राज्य सभा में ही उठना चाहिये। इस प्रश्न को यहां पर उठाना अनावश्यक है। इससे दूसरे देश के सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता है। जब तक आपस में परामर्श न कर लें तब तक ऐसे प्रश्नों को नहीं उठाना चाहिये। देव बहादुर जी जिम्मेदार सदस्य हैं। मुझे खेद है कि ऐसी चीजों में वह इतनी जल्दबाजी करते हैं। सदन की कुछ मर्यादायें तथा परम्परायें होती हैं जिनका आदर करना चाहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मैंने श्रद्धांजलि की बात कही थी। वह पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री और नागरिक रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके बारे में आपस में बातचीत कर लें।

श्री बनारसी दास--

इस प्रश्न को उठाना नितान्त अनुचित है।

श्याम धर मिश्र--

श्रीमन्, ३०१ से पहले औचित्य के प्रश्न ले लें।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)

मान्यवर, ३०१ होने दीजिये, फ्रांटियर मेल के बाद में ले लेंगे।

आगरा जनपद के फिरोजाबाद क्षेत्र के ग्राम ढकपुरा में बिजली के तार टूट जाने से खलिहान में आग लग जाने से दस किसानों का फसल जल जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान एक सनसनीखेज एवं हृदय-विदारक दुर्घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद के ग्राम ढकपुरा में दिनांक १९-४-१९७९ को सायंकाल ४ बजे बिजली के तारों में आग लगने से तार के टूट जाने पर श्री कंचन लाल, बनवारी लाल के नलकूप पर खलिहान में रखा गेहूं का गल्ला जो १० काश्तकारों सर्व श्री लाल सिंह, मतर सिंह, जमवर सिंह, सोनपाल, रोशन लाल, भागीरथ, बनवारी लाल, राजाराम, बेलाल सिंह

[श्री रघुवर दयाल वर्मा]

प्रधान और गौतम सिंह का था, में आग लग गयी और यह खलिहान जल कर राख हो गया जिससे उपरोक्त काश्तकारों का बसियों हजार का नुकसान हो गया है और काश्तकार नष्ट एवं बरबाद हो गये । इन काश्तकारों के पास कुछ भी खाने को नहीं बचा है और बेचारे असहाय दीन दुखी की हालत में बेसहारा बिजली कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई करने वाला नहीं है । टूटा हुआ तार दो दिन बाद ग्रामीणों की लगातार कोशिश पर बिजली विभाग के लोगों ने आकर जोड़ा जिससे अनेक जानें जाने से बच गयीं ।

मान्यवर, इस क्षेत्र में बिजली की लाइन के खम्भे एक तरफ को झुके हुये हैं और तारों में काफी ढीलापन है । कोई खिंचाव नहीं है जिसके कारण आये दिन तारों में आग लगने और टूटने की घटना होती रहती है । सर्वाधिक दुख की बात है कि खलिहान में दो बीघा जमीन में चारों तरफ बिजली फैल गई । जिससे पानी डालने वाले लोग बिजली के झटकों से मैदान छोड़ कर भाग गये और आग पर तब काबू पाया जा सका जब बिजली की लाइन बन्द हुई और फिरोजाबाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आकर आग पर रात को १० बजे काबू किया । इस खलिहान में लगभग ३/४ हजार मन गल्ला था और लगभग ८/१० हजार मन भूसा होता जो सब जल कर राख हो गया । इन काश्तकारों के पास सरकारी देयों को अदा करने व लगान बिजली का पैसा देने को एक भी पैसा नहीं है । ऐसी परिस्थिति में इन काश्तकारों को मुआवजा दिया जाना आवश्यक है । अस्तु आग से पीड़ित काश्तकारों ने शासन से मुआवजे की मांग की है । यदि इन्हें तुरन्त मुआवजा नहीं दिया गया तो इनकी हालत और ज्यादा खराब होजायेगी ।

अस्तु माननीय सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि राज्य विद्युत् परिषद् उपरोक्त १० उजड़े हुये लोगों को तत्काल ५-५ हजार रुपया प्रति किसान को उसका मुआवजा दे तथा समस्त सरकारी देयों की वसूली स्थगित की जावे तथा बिजली की लाइन पर झुके हुये खम्भे व ढीले तार जिनकी ऊंचाई आदमी की ऊंचाई से अधिक नहीं है उसे तुरन्त ठीक कराया जावे और बिजली की लाइन में इस खराबी के रहते ठीक न किये जाने वाले अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावे ।

प्रदेश के डिप्लोमा फार्मेसिस्टों द्वारा सांकेतिक हड़ताल के विषय में नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिनांक २३-४-७९ से प्रदेश के कोने-कोने से सभी डिप्लोमा फारमासिस्टों ने सभी अस्पतालों में दो घन्टे का सांकेतिक हड़ताल कर दी है । इससे प्रत्येक अस्पताल के मरीजों की दवा लेने देने में भारी अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी है । डिप्लोमा फार्मेसिस्टों की मांगों को देखने से उनकी मांगें न्यायसंगत जनहित तथा लाभदायक हैं । ऐसी दशा में राज्य सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त फार्मेसिस्टों के आमरण अनशन तथा सांकेतिक दो घन्टे की हड़ताल ने प्रदेश में एक विषम स्थिति उत्पन्न कर दी है ।

अतः आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि डिप्लोमा फार्मेसिस्टों की न्यायसंगत मांगों को स्वीकार करके प्रदेश में चल रही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सांकेतिक दो घन्टे की हड़ताल तथा विधान सभा के सामने चल रहे आमरण अनशन को समाप्त करा कर प्रदेश में फैली हुई अव्यवस्था को तत्काल मिटाने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इसकी तरफ ध्यान दें ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मान्यवर, मंत्री जी से वक्तव्य के लिये कह दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कह दिया है कि ध्यान दें ।

श्री सुखपाल पान्डेय--

इस पर मंत्री जी को वक्तव्य-देने के लिये निदेश दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह मैंने कह दिया है।

चीनी मिलों के आरक्षित क्षेत्र में गन्ना खड़ा रहने तथा गन्ना मूल्य का भुगतान न होने से किसानों के समक्ष कठिनाई के विषय का नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन की विफलता के कारण गन्ना काश्तकारों की निरन्तर हो रही बरबादी आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । प्रदेश में चीनी मिलों के आरक्षित क्षेत्र में लाखों टन गन्ना अभी खड़ा है परन्तु मिलों के बंद होने का समय आ गया है और दुबारा सर्वेक्षण नहीं हो रहा है । कुछ चीनी मिलें अभी भी गन्ना आपूर्ति का नकद भुगतान नहीं कर रहे हैं और जो कर भी रहे हैं उन्होंने प्रारम्भ से कुछ दिन बाद तक का मूल्य अभी भी नहीं दिया । महीली चीनी मिल के काश्तकारों को गत वर्ष का भुगतान अभी तक नहीं मिला । एडीशनल बांडिंग के लिए दो रु० प्रति क्विंटल नकद लिया जाता है जब कि काश्तकार को बकाये का भुगतान नहीं हुआ । मिल पर बकाया होने पर भी शासकीय देयों की वसूली स्थगित होने के आदेश नहीं हैं । सरकार द्वारा पुनः सर्वेक्षण कराके गन्ना आपूर्ति की मात्रा बढ़ाने का वायदा पूरा नहीं किया जा रहा है । चीनी के मूल्यों में वृद्धि के बाद भी काश्तकार को कोई लाभ नहीं है । कुल मिलाकर गन्ना काश्तकार विनाश की कगार में खड़ा है ।

मान्यवर, माननीय गन्ना विकास मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह यह व्यवस्था तत्काल करने की कृपा करें कि जब तक सभी गन्ना समाप्त नहीं हो जायेगा, मिल बंद नहीं होंगे, सभी बकाया भुगतान तुरन्त किया जायगा, जिनके गन्ने का मूल्य बकाया है उनसे शासकीय देयों की वसूली में प्रताड़ना की कार्यवाही नहीं होगी, एडीशनल बांडिंग के लिए उनसे नकद धन नहीं लिया जायेगा जिनका बकाया मूल्य देना है तथा आरक्षित क्षेत्र में तुरंत सर्वेक्षण कराया जायेगा।

यह भी आशा है कि वह कार्य की प्रगति से इस आदरणीय सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय गन्ना विकास मंत्री इसके ऊपर तुरन्त ध्यान दें यह विषम समस्या गन्ना काश्तकारों के लिए है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने ध्यान आकर्षित करने की कृपा की, इसलिए कृपा होगी यदि माननीय मंत्री जी का बयान आ जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर बयान देना चाहेंगे तो वह दे दें वैसे मैंने कह दिया है कि काश्तकार विषम स्थिति में है ।

बांदा जिले की नरैनी तहसील के कर्मचारियों द्वारा दो हरिजन महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

डाक्टर सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)—

मान्यवर, नरैनी तहसील के अन्तर्गत नन्दवारा की दो हरिजन, मां, बेटी बाढ़ से पीड़ित, बेघर, भूख से छटपटाती अहेतुक सहायता के लिए २३ दिसम्बर, १९७८ को तहसील हहुंची । ढूंढ़ने पर लिस्ट में नाम नहीं था । परन्तु तहसील के कर्मचारियों ने उनसे कहा कि रुक जाओं भीड़ ज्यादा है रात में नाम ढूंढ़ा जायेगा और गेहूं, दलिया रुपया दिया जायगा । भूख से बिलखती हरिजन मां बेटी रुक गई और उनको ठहरने के लिए कमरा दिया गया । रात में कर्मचारियों द्वारा उन हरिजन मां बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया उनके चिल्लाने पर पहरे दार और कुछ लोग दौड़े जिन्हें रुपया देकर चुप किया गया । ताकि तहसील का राज न खुले ? दोनों हरिजन मां, बेटियों को डरा, धमका कर खिसका दिया गया और कहा गया कि अगले दिन गल्ला, कम्बल, रुपया, दलिया दिया जायेगा । यदि हीं बात कही तो कुछ न दिया जायेगा । आज भी अनैतिक बलत्कार की सताई, मां, बेटी चुप हैं और लज्जा के कारण गांव छोड़ कर कहीं बाहर चली गई हैं । तहसीलदार नरैनी एवं परगनाधिकारी इस कांड को छुपाने का हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं ।

उपरोक्त समस्त जानकारी स्थानीय समाचार पत्र देहात स्वामी एवं क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक के द्वारा मिली है । इस कान्ड से क्षेत्र में तनाव व्याप्त है ।

अतः इस कांड की जाँच गुप्तचर विभाग द्वारा कराई जाय । माननीय उपाध्यक्ष, जो मौजूदा सरकार के लिए इससे ज्यादा कलंक की बात और क्या हो सकती है । दुखी मां, बेटी के साथ बलात्कार किया गया । इसलिए मुख्य मंत्री जी को आदेश दें कि वह आज ही इस पर सी० आई० डी० से जांच के आदेश दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी विशेष जांच करा लें ।

इलाहाबाद के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में जूनियर डाक्टरों और नर्सों की हड़ताल से मरीजों के समक्ष उत्पन्न कठिनाई के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, लोक महत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके द्वारा सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इलाहाबाद नगर में स्वरूप रानी हास्पिटल में जो मेडिकल कालेज के अन्तर्गत आता है। लगभग एक सप्ताह से जूनियर डाक्टरों और नर्सों की हड़ताल के कारण हास्पिटल का सारा कार्य ठप हो गया है। रोगियों की हालत बहुत खराब हो गई है और रोगियों का कोई पुरसाहाल नहीं।

हास्पिटल से सैकड़ों मरीज अपना विस्तर बांध कर नर्सिंग होम में चले गये। जिन गरीबों का कोई पुरसा हाल नहीं है वह वार्डों में कराह रहे हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, ३०-४-७९ को इमरजेन्सी वार्ड में केवल ३ मरीज थे। उन्हें भी देखने वाला कोई नहीं है। एक पूरा महिला वार्ड बन्द पड़ा है। ५ मजदूर शास्त्री पुल से गिर गिये गम्भीर रूप से घायल हो गये थे। जब उन्हें एमरजेन्सी वार्ड में लाया गया तो उन्हें कोई भर्ती करने वाला नहीं था ऐसी स्थिति में मजदूरों ने जुलुस निकाला और नारे बाजी करने लगे फिर भी इमरेजेन्सी वार्ड में न कोई डाक्टर न कोई स्टाफ आया, बल्कि पी० ए० सी० तैनात कर दी गई।

हास्पिटल में जूनियर डाक्टरों तथा नर्सों ने तो हड़ताल कर ही रखी है, परन्तु सीनियर डाक्टरों ने हास्पिटल में आना अपना दायित्व नहीं समझा और हास्पिटल में नहीं आए जो मरीज हास्पिटल से चिकित्सा के अभाव में चले गए हैं, उनसे दोगुनी तिगुनी फीस लेकर अपने घरों में उपचार कर रहे हैं।

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को आदेश दें कि स्वरूपरानी हास्पिटल में मरीजों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसे बन्द करानें और हड़ताल समाप्त करा के मरीजों को उचित उपचार की व्यवस्था तत्काल करन का कष्ट करें।

चिकित्सा मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)--

मैं आपको बता दूं, अब सारा प्रबन्ध ठीक किया जा रहा है और जूनियर डाक्टरों की हड़ताल समाप्त हो गयी है।

छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप सदन में प्रस्तुत करने तथा चर्चा की मांग के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं, वह इस प्रकार है इस प्रदेश की सरकार ने योजना का प्रारूप बनाकर केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग के पास भेजा है। इस बारे में जो कुछ है हम लोग पत्रों के माध्यम से जान पाते हैं और उसी से श्रीमन, मालूम हुआ है कि ७-८ हजार के करीब की योजना बनाकर इन्होंने भेजी है, जिसमें से योजना आयोग ने ४०३० की ही स्वीकृति दी है। अब यह चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस कटौती के खिलाफ संसद इनकी पैरवी करें। लेकिन यह हमें बताने वाले नहीं हैं कि इसका आकार क्या है? श्रीमन्, आपको याद होगा पिछले सत्र में और उसके पूर्व भी छठी योजना और दूसरे संबंध में, यद्यपि वह दूसरे सिलसिले में थी, उस समय के मुख्य मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि छठवीं योजना का प्रारूप क्या होगा, यह हमारे सबके सामने आएगा। तो अब मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका प्रारूप हमारे सामने नहीं आया और यह दूसरों से मदद मांग रहे हैं। क्या यह समझते हैं कि उसकी पैरवी हम नहीं करेंगे या उसके लिए हम लड़ाई नहीं करेंगे? या

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामधर मिश्र]

हम उनको रोक देंगे ? क्या कारण है कि उसके संबंध में एक श्वेत-पत्र बन कर यह हम लोगों को नहीं दे रहे हैं । इसलिए मैंने सोचा कि यह आपके सामने में रखूं । यह केन्द्र और अखबार वालों को बता रहे हैं । कुछ अखबार वाले इसे छापते हैं और जब मर्जी होती है नहीं छापते हैं । जब मर्जी होती है यहां कुछ रहते हैं और जब मर्जी होती है यहां नहीं रहते हैं, यह चीज तो हम आपके सामने बाद में उठायेंगे । लेकिन हम लोग जो यहां बैठते हैं और जो अध्ययन करना चाहते हैं सदस्यगण, उनको तमाम बातें क्यों नहीं एक श्वेतपत्र में बताते हैं, कि योजना क्या है, वस्तुस्थिति क्या है, क्या प्रारूप है, क्या कमियां हैं । आखिर भारत सरकार और योजना आयोग इस तरह की जयादतियां क्यों कर रहे हैं ? इस तरह से औचित्य के रूप में प्रश्न उठाते हुए, व्यवस्था के रूप में जानना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी यह प्रश्न कई बार उठाया जा चुका है । माननीय श्यामधर मिश्र ने स्वयं उठाया है । इसके बारे में आप प्रकाश डाल दें ।

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूं, माननीय सदस्य श्यामधर जी का । इसमें तो सदन के सभी सदस्य दिलचस्पी रखते हैं कि हमारी छठी पंच वर्षीय योजना का आकार हमारे प्रदेश के आकार के अनुसार हो संसद सदस्य से योजना के बारे में नहीं, बल्कि उद्योग मंत्री से कुछ चर्चा करेंगे इस सम्बन्ध में कल कुछ बातें करना हैं और संसद सदस्यों की सहायता भी इस बारे में चाहते हैं । मैंने पहले भी अपने विचार व्यक्त किये थे कि छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो हमारे सामने आया उस पर हम बहस करें । वह प्रारूप अभी नहीं छप पाया । फिर अभी तक योजना आयोग ने छठी पंच वर्षीय योजना का अन्तिम रूप क्या होगा, निश्चय भी नहीं किया यद्यपि छठी, पंचवर्षीय योजना का दूसरा साल है, केवल १९७९-८० के लिए हमारी योजना का क्या रूप होगा हमारी उनसे कुछ सहमति प्राप्त हुई है । लेकिन अन्तिम रूप पंच वर्षीय योजना का क्या होगा अभी तक पूर्णतया वहां से स्वीकृति नहीं हुई है । ७ और ८ तारीख को अधिकारी स्तर पर, फिर अन्त में उच्च स्तर पर केन्द्रीय योजना आयोग से विचार विमर्श होगा । जहां तक १९७९--८० की योजना का सवाल है, इस वर्ष के बजट का अंग होगा । उस पर पूर्णतया समान्य विवाद में, उसके बाद में भी, आपका विचार विमर्श का पूर्ण अवसर मिलेगा । अभी तक योजना का रूप पूर्णतया स्वीकार नहीं किया गया । यह ठीक है कि पत्रों से कुछ चीजें आती हैं । हमने प्रदेश की आवश्यकता और योजना का लक्ष्य गरीबी का निवारण, विषमता को कम करने का, रोजगार देने आदि लक्ष्यों की दृष्टि से हमने जो योजना बनायी थी वह संसाधनों की वजह से केन्द्रीय आयोग ने उसको स्वीकार नहीं किया । लेकिन अभी तक उसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं । बजट में आपको अवसर मिलेगा ही और उसमें छठी पंच वर्षीय योजना के वर्ष १९७९-८० का आपके सामने पूर्णतया विवरण आएगा । उसमें आपको पर्याप्त अवसर इस पर विचार विमर्श करने का होगा चूंकि अभी तक प्रारूप का अन्तिम रूप नहीं है इसलिए हम छाप नहीं पाये जिससे माननीय सदस्यों के सामने उनके विचारार्थ रखें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मैं माननीय श्यामधर मिश्र का आभारी हूं कि उन्होंने पुनः इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया जैसा कि आपने स्वयं सम्मति व्यक्त की यह प्रश्न कई बार इस सदन में उठ चुका हैं, माननीय रामनरेश यादव के मुख्य मंत्रित्व काल में कई बार उठा। फिर माननीय बनारसीदास के मुख्यमंत्री के पद को ग्रहण करने के तुरन्त बाद ही उनके सामने यह प्रश्न रखा गया। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ अगर नेता सदन कहने की आज्ञा दें, उन्होंने कहा कि अंतिम रूप जब दिया जायेगा तब इस सदन के सामने आयेगा मान्यवर, योजना का प्रारूप सामने आना चाहिए। जब उसका अन्तिम रूप हो जायेगा तो यह सदन क्या सुझाव देगा। जब उसका अन्तिम रूप तैयार हो जायेगा तो फिर यह कहेंगे कि यह अब बन चुका है। उस पर विचार करने का समय तो अभी है और इससे सरकार को सहायता मिलेगी। हमें इस अवसर से वंचित किया जा रहा है कि उस पर हम लोग अपने सुझाव दे सकें। आपने अपनी सहमति दी, योजना उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आती तो उससे लाभ होता। लोग अपने विचार रखते। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ बाते बतायीं कि गरीबी को कम करने का काम करेंगे आदि, लेकिन प्राथमिकता क्या है, प्रायरिटी किसको दी गयी है, यह सदन जानना चाहता है। सड़कों की क्या प्रायरिटी है, सिंचाई को क्या प्रायरिटी दी गयी है और उसमें माइनर इरीगेशन को क्या प्रायरिटी दी गयी है, यह चीज हमें मालूम होनी चाहिए। अगर यह चीजें हमारे सामने आ जाती तो हम कह सकते हैं कि इस पर और अधिक प्रायरिटी की आवश्यकता है आप उसे दें इस पर कम प्राथमिकता की आवश्यकता है।

मान्यवर, ४ तारीख को बजट ५ बजे पेश हो रहा है। आपकी योजना फाइनल नहीं है और उसका प्रारूप भी फाइनल नहीं हुआ है। योजना पूरी नहीं है और बजट पेश हो रहा है। यह दूसरा साल है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष माना जायेगा। तो वह वर्ष बीत चुका है और अब यह दूसरा वर्ष है। आप कल्पना करें कि दूसरे वर्ष के आरम्भ होने के बाद भी ३ महीने के बाद भी मूल बजट योजना के अनुसार नहीं बन सका है यह कितना आश्चर्य है। जो बजट है वह योजना के आधार पर नहीं है। दो साल बीत रहे हैं और आपकी योजना फाइनल नहीं है। तो वह योजना आपकी कैसी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात रखी है जैसा मैंने सुना उन्होंने यह कहा कि छठी योजना का पूरा विवरण परसों पेश हो जायेगा क्या आपने कहा...।

श्री बनारसी दास—

मैंने स्पष्ट कहा कि १९७९-८० का जो बजट है वह परसों पेश होगा और वह उसका एक अंग होगा। आपके सुनने में फर्क लग रहा है। मैंने कहा कि अभी पहला वर्ष बीता है यह दूसरा वर्ष है। मैंने कहा कि यह रिकार्ड के अन्दर है। किसको क्या प्राथमिकता दी गयी है यह जो योजनागत बजट है उसमें उसका पूरा विवरण मिल जायेगा। अभी तक योजना आयोग से सहमति नहीं मिली है और माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए उसको हिन्दी में अभी नहीं छपवा पाये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसी दास]

मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होती अगर उसे सदन के विचार जानने के लिये हम यहां पेश कर देते । पर अब तो आपका मकसद पूरा हो जायेगा क्योंकि परसों १९७९-८० के बजट में योजना का बजट भी शामिल है । उस बजट से आपको मालूम होगा कि हमने क्या-क्या प्राथमिकतायें दी हैं ।

(श्री नारायणदत्त तिवारी के खड़े होने पर)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

एक व्यवस्था का प्रश्न उठाकर उस पर आपने जनरल डिस्कशन करा दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह जनरल डिस्कशन नहीं है, यह तो निर्णय मेरा है, मैंने औचित्य का प्रश्न समझ कर इजाजत दी है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

यह क्या योजना के प्रारूप पर बहस हो रही है ? अगर उस पर आप बहस का मौका देते हैं तो हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी प्रारूप सदन के सामने नहीं आया है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्थिति बताई है, अभी बहस की कोई बात नहीं है (व्यवधान) । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अब स्थिति स्पष्ट कर दिया है माननीय नेता, विरोधी दल को अब और कुछ इस वक्त कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

माननीय मुख्य मंत्री जी तो योजना मंत्री भी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप कृपया बैठ । बहस के लिये आगे टाइम मिलेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

(श्रीनारायणदत्त तिवारी के खड़े होने पर) आपकी व्यवस्था के बाद भी माननीय नेता विरोधी दल उसे मानने को तैयार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

वे मान गये, वे बैठ गये हैं ।

प्रदेश के विभाजन के सम्बन्ध में दो वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये जाने पर सदन का ध्यानाकर्षण

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, इधर थोड़े दिनों से प्रदेश एक असमंजस्य और संशय की स्थिति में पड़ गया है क्योंकि मंत्रि-परिषद् के एक दो वरिष्ठ मंत्रियों ने परस्पर विरोधी वक्तव्य दे दिये हैं । श्री नारायण सिंह, उप मुख्य मंत्री ने वक्तव्य दिया है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिये, पर श्री राम नरेश यादव का वक्तव्य आया है कि विभाजन नहीं होना चाहिये (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसको यहां सदन में उठाने की इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

यह जो प्रश्न उठाया जा रहा है क्या उसे लिख कर दिया है माननीय सदस्य ने ?

श्री उपाध्यक्ष--

हां, लिख कर दिया है ।

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त नें इस प्रश्न को उठाकर, मैं समझता हूं, स्वयं एक विवाद पैदा किया है । जहां तक इस प्रदेश का पुनर्गठन का सवाल है ऐसी शासन की कोई नीति नहीं है और न ही मंत्रि-परिषद् का कोई निर्णय है कि विभाजन हो । इस प्रदेश के विषय में समय-समय पर बहुत से लोग अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं । माननीय सदस्यों को इस बात का ज्ञान भी होगा कि कांग्रेस दल जब एक था, अभी आंध्र में एक ने इसके लिए आमरण अनशन किया और अपना बलिदान किया, जिसके परिणामस्वरूप विभाजन हुआ, पुनर्गठन आयोग बना । पुनर्गठन आयोग जिस समय में था, कांग्रेस दल में स्वयं मतभेद था और स्वर्गीय पंडित पंत यहां के मुख्य मंत्री थे, उस वक्त भी हमारे ही दल के बहुत से सदस्यों ने जो विशेष कर पश्चिमी जिलों के थे, उन्होंने इस प्रदेश के विभाजन की बात रखी थी । पंत जी इसके विरुद्ध थे । इसके बाद कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश का विभाजन हुआ । तो इस प्रश्न को सदन में उठाना, मैं समझता हूं कोई विवाद करने के लिए यह सदन नहीं, मंत्रि-परिषद् भी नहीं और न यह प्रश्न किसी दल विशेष का है । जिन उप मुख्य मंत्री ने अपना विचार व्यक्त किया, वह उनका व्यक्तिगत विचार है और यह विचार तो चलता रहेगा । लेकिन यह मैं जरूर समझता हूं, क्योंकि इस अवसर पर राजेन्द्र कुमार जी ने जो प्रश्न किया है, यहां पर उप मुख्य मंत्री श्री नारायण सिंह जी भी मौजूद हैं और आपके माध्यम से....।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, उप मुख्य मंत्री नारायण सिंह जी हैं ।

श्री बनारसी दास--

मैं यह कहूंगा कि यह सवाल अभी विचार में नहीं है और इस तरह जो योजना, जो कार्य होते हैं, उससे ध्यान बंटता है । यह हमारे ही प्रदेश का सवाल नहीं, अगर पुनर्गठन होगा, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान यह सब क्षेत्र हमारे प्रदेश से बड़ा है, अगर होगा तो रिआर्गनाइजेशन कमीशन बनेगा । इसलिए जब तक कोई कमीशन न बने, उस पर सार्वजनिक रूप से विचार माननीय सदस्य न करें, तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे फिर योजना बनती है, कहां डैम बने, कहां पर विद्युत्गृह बने । तो इससे लोगों का दृष्टिकोण प्रभावित हो सकता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इसको अस्वीकार कर दिया था, लेकिन मुख्य मंत्री जी, उसके ऊपर कुछ कहना चाहते थे, तो कह दिया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने ही यह बात कही थी, यह बात सही है, जो मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं, दोनों उप मुख्य मंत्री जी क्या कोई आन्दोलन पैदा करना चाहते हैं, भड़काने की चेष्टा करना चाहते हैं, क्या माननीय मुख्य मंत्री ज. अपने दोनों उप मुख्य मन्त्री जी की तथा अन्य मन्त्रियों को इस आशय से स्पष्ट आदेश देने की कृपा करेंगे कि जब तक कि मंत्रि-मंडल ने कोई निर्णय नहीं लिया है, तब तक अनर्गल बात नहीं करना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सदन के संज्ञान में लाने की बात नहीं थी । इसलिए मैंने इसे अस्वीकार किया है ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, जब आपके संज्ञान में राजेन्द्र कुमार जी एक प्रश्न लाये, आपने अस्वीकार कर दिया और मुख्य मंत्री जी ने अपना विचार प्रकट कर दिया, तब तो इस पर प्रतिक्रियायें इस सदन में हो ही सकती है । जब मुख्य मंत्री जी का उनके नीचे के लोगों से मतभेद रहे, एक उप मुख्य मंत्री सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि प्रदेश का बटवारा होना चाहिए और दूसरे उप मुख्य मंत्री कहते हैं कि इस प्रदेश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में मुख्य मंत्री जी यह स्पष्ट कर दें कि वह इस प्रदेश का बंटवारा कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं। मान्यवर, हम भी इंसान हैं, हम भी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं । हमारा आप से कहना है कि माननीय राजेन्द्र कुमार जी गुप्त ने जो सवाल उठाया है, वह संवैधानिक सवाल है । वह मंत्रि-परिषद् की संयुक्त जिम्मेदारी का प्रश्न है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसकी व्याख्या कर दी । जो प्रश्न है वह संयुक्त जिम्मेदारी का बना हुआ है । माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि नारायण सिंह जी ने निजी रूप से कहा है, राम नरेश जी ने निजी रूप से कहा है । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर बोलें और हम लोग न बोलें ? इस पर बहस होनी चाहिए और हम लोगों को भी विचार प्रकट करने की अनुमति आप दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह का जब कोई प्रस्ताव होगा तब इस पर विचार किया जायेगा । इस समय इस तरह का कोई प्रश्न सदन के सामने नहीं है ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, हमारा अधिकार है, जब माननीय मुख्य मंत्री जी विचार प्रकट कर दें तो हमें उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए । हम तो यह जानना चाहते हैं कि दोनों उप मुख्य मंत्रियों ने इस तरह के परस्पर

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विरोधी वक्तव्य क्यों दिये । यह कितने आश्चर्य की बात है कि वह इस तरह की गैर जिम्मेदारी की बात सार्वजनिक स्थानों पर कहते हैं । इस तरह की ढील माननीय मुख्य मंत्री जी को अपने सदस्यों को नहीं देनी चाहिए । पहले उन-को अपने मंत्रि-परिषद् के सदस्यों को डिसिप्लिन करना चाहिए । एक मंत्री के घर पर मीटिंग हुई । एम० एल० एज० तथा मंत्रियों को बुलाया गया । तो सरकार आन्दोलन चलाना चाहती है विभाजन का क्या ? मैं जानना चाहता हूं । नहीं तो इसे रोकना चाहिए और सार्वजनिक रूप से इसकी भर्त्सना करनी चाहिए लेकिन इस पर माननीय मुख्य मंत्री चुप हैं और सदन के सदस्यों को कहते हैं कि आप इस प्रश्न पर चुप रहें, इसे रोकना होगा ।

जब माननीय पन्त जी मुख्य मंत्री थे, मैं विरोधी दल में था और यह प्रस्ताव आया था । उस समय दो मंत्री थे जो इसके विरोध में थे लेकिन पन्त जी ने सार्वजनिक रूप से उनको नहीं आने दिया । मुझे यह अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने कहा था कि जब तक तुम हमारे मंत्रि-परिषद् के सदस्य हो, हमारी नीतियों का विरोध नहीं कर सकते । तो श्रीमन् वह अपने मंत्रि-परिषद् के सदस्यों को डिसिप्लिन्ड करें यह म आग्रह करूंगा ।

*श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मान्यवर, यह जो प्रश्न माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने उठाया है और जिसका उत्तर दिया गया मैं समझता हूं कि वह प्रश्न उस तरह का नहीं है । प्रश्न सिर्फ यह है कि क्या कैबिनेट के मंत्रियों को अपनी निजी राय जाहिर करने का अधिकार है जब तक कि वह मंत्रि-मंडल में हैं ? सामूहिक उत्तर दायित्व है । मंत्री भारसाधक सदस्य हैं । बाहर वह अपनी कोई बात कहने लग जायं और ऐसा कोई बयान देते हैं तो दूसरे और तीसरे मंत्री उसके खिलाफ हो जायेंगे और तमाम मंत्रि-परिषद् में जबरदस्त लतियाड़ हो जायगा । २-३ मंत्रियों के बयान के बाद जब मैं पश्चिमी क्षेत्र में गया । केन्द्र के राज्य मंत्री भी बोल गये । ऐसी बातों ने प्रदेश और देश में निरर्थक बवंडर मचवा दिया । मैं समझता हूं ऐसी बातें नहीं होनी चाहिये । जब ऐसी बातें होती हैं तो उसका जवाब हम जनता में ठीक से नहीं दे पाते हैं । यह प्रश्न दूसरे ढंग का है इसको इसी तरह लेना चाहिये कि क्या मंत्रिपरिषद् के सदस्य बाहर ऐसी बातें कह सकते हैं । इसका निराकरण करके बताना चाहिये । भार साधक मन्त्री इस तरह के अपने विचार इस पर नहीं दे सकते हैं ।

उप मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि जो विचार आये हैं उसमें कहीं पर जो पिछले शासन का मंतव्य रहा है या जिस प्रकार की प्रदेश की स्थिति है उसके विपरीत मैंने कोई वक्तव्य दिया है । समय-समय पर कुछ इस प्रकार की बातें आती रही हैं, समय-समय पर कुछ ऐसे प्रश्न विभाजन के सम्बन्ध में आते रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुये यदि प्रदेश के विभाजन की चर्चा होती है तो प्रदेश की प्रगति में अवरोध आ सकता है । इसलिये इस बात को ध्यान में रखते हुये जो प्रदेश की स्थिति है, आज की परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये । अगर इस तरह की बात आती है तो प्रदेश के हित के विरुद्ध है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम नरेश यादव]

इस बात को ध्यान में रखते हुये, मैंने प्रदेश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये ऐसी बात कही है। शासन की नीति के विरुद्ध, कहीं कभी अनुशासन के परे जाकर मैंने कोई बयान नहीं दिया था। यह बात सही है कि प्रदेश का विकास हमारे सामन सर्वोपरि है इसी को ध्यान में रखते हुये मने अपनी बात कही थी।

(शोर)

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं किसी को इसके ऊपर इजाजत नहीं दूंगा।

श्री बनारसी दास—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने यह प्रश्न विवादास्पद नहीं है कि इस प्रदेश का पुनर्गठन हो जिस पर माननीय सदस्य अपने अपन विचार व्यक्त करें। प्रश्न केवल यह ह कि क्या मंत्रि परिषद् के सदस्य मंत्री होकर वह अपने विचार प्रकट कर सकते हैं पुनर्गठन के बारे में और क्या इससे संयुक्त उत्तरदायित्व का हनन होता है। मेरा कहना है कि जो पूर्व का इतिहास है और जो पूर्व की परम्परायें हैं उसके अनुसार जहां तक संयुक्त उत्तरदायित्व का प्रश्न है, प्रदेश की नीतियों के बारे में जो निर्णय हुआ है उस निर्णय का किसी मंत्रि-परिषद् के सदस्य ने विरोध नहीं किया है। इससे संयुक्त उत्तरदायित्व जो मंत्रि-परिषद् का है वह नहीं है। इसलिए इस प्रश्न को इस समय उठाना असामयिक है, उचित नहीं है, मंत्रि-परिषद् के सदस्यों के लिये। हमने शुरू में ही कहा है कि यह प्रश्न जैसे विकास का, योजना का है तो उसमें पुनर्गठन आयोग हो तो यह स्थिति आ सकती है, लेकिन काल्पनिक प्रश्न लेकर विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है। जैसे टेहरी के अन्दर डैम बनाना है तो यह इस समय ठीक है लेकिन जब विभाजन होगा तो लोग कहेंगे कि टेहरी में डेम क्यों हो दूसरी जगह हो। इसलिये मंत्रि-परिषद् के सदस्यों के लिये इस तरह के सार्वजनिक प्रश्न उठाना उचित नहीं है। लेकिन निर्देश देना एक नैतिक कर्तव्य है।

श्री देव बहादुर सिंह—

इन लोगों को डांटिये।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

आप लोगों को वहां से डांट खाने की आदत पड़ी है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुये आपका ध्यान संविधान की धारा १६४ (२) की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको मैंने अब समाप्त कर दिया। यह नहीं। आप बैठें।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जैसा कि इसमें स्पष्ट लिखा है कि मंत्रि-परिषद् संयुक्त रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी, तो मंत्रि-परिषद् जो है वह विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है और विधान सभा के अन्दर संयुक्त जिम्मेदारी का निर्वहन होना चाहिये और एक उप मुख्य मंत्री ने जवाब दिया है कि सूबे के हित में कहा है। दूसरे मुख्य मंत्री ने कहा है कि संयुक्त जिम्मेदारी का मंत्रि-परिषद् के लोग निर्वहन करें।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको कहने का आपके पास दूसरा माध्यम है, यहां यह चर्चा का विषय नहीं होना चाहिये। इसलिये पहले ही इसको हमने अस्वीकृत कर दिया था।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश १९७९†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामाधार पाण्डेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर एवं माल कर) (संशोधन) अध्यादेश, १९७९†

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर एवं माल कर) (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९७९†

वन मंत्री (श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) अध्यादेश, १९७९†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामाधार पाण्डेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) अध्यादेश, १९७९ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९७९†

कृषि मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९७९ को सदन की पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, १९७९†

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अध्यादेश, १९७९†

कृषि मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९७९†

पशुधन मंत्री (श्री अब्दुल हलीम खां)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९७९ को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक महाविद्यालय (प्रबन्ध-ग्रहण) अध्यादेश, १९७९†

चिकित्सा मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक महाविद्यालय (प्रबन्ध-ग्रहण) अध्यादेश, १९७९ को सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-२ की विज्ञप्तियां††

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-२ की दिनांक २८ फरवरी, १९७९ के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-२-१७६७/दस-६(१९)-७८-उ० प्र० अधि० १५/४८-आदेश-७९, दिनांक २८ फरवरी, १९७९ को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९७८ की धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-२ की दिनांक २८ फरवरी, १९७९ के असाधारण गजट में प्रकाशित :—

(१) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-२-१७६९/दस-६(१९)/७८-उ० प्र० अधि० १५/४८-आदेश-७९, दिनांक २८ फरवरी, १९७९ एवं

(२) विज्ञप्ति संख्या एस० टी० २-१७७०/दस-६(१९)/७८-उ० प्र० अधि० १५/४८-आदेश-७९, दिनांक २८ फरवरी, १९७९ को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९७८ की धारा ३-घ की उपधारा (८) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

††छापी नहीं गयी ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-२ की दिनांक १ मार्च, १९७९ के असाधारण गजट में प्रकाशित :—

(१) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-२-२१७५/दस-६(१९)/७८-उ० प्र० अधि० १५/४८-आदेश-७९, दिनांक १ मार्च, १९७९;

(२) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-२-२१७६/दस-६(१९)/७८-उ० प्र० अधि० १५/४८-आदेश-७९, दिनांक १ मार्च, १९७९; एवं

(३) विज्ञप्ति संख्या एस० टी० २-२१७७/दस-६(१९)-७८-उ० प्र० अधि० १५/४८-आदेश-७९, दिनांक १ मार्च, १९७९ को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, १९७८†

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-४ की अधिसूचना संख्या ११९४-टी/तीस-४-५०-पी-६८, दिनांक २२ मार्च, १९७८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सत्रहवाँ संशोधन) नियमावली, १९७८ को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (अठारहवां संशोधन) नियमावली, १९७८†

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-४ की अधिसूचना संख्या २४५४-टी/तीस-४-१३२-के० एम०-७७, दिनांक ५ जून, १९७८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (अट्ठारहवां संशोधन,) नियमावली, १९७८ को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश वृत्ति व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९७९†

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्त-(बिक्री-कर) अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या एस० टी० २-५६४६/दस-यू० पी० ए०-२१-१९६५-रूल-१९६६-ए० एन० (३)-१९७८, दिनांक २ जनवरी, १९७८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९७९ को उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम, १९६५ की धारा २४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) की (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९७९†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से संसदीय अनुभाग की अधिसूचना संख्या १७५५-सं०/सत्तरह-७९-२४१-सं० ७५, दिनांक ७ मार्च, १९७९ द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) की (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९७९ को उत्तर प्रदेश साधारण खन्ड अधिनियम, १९०४ की धारा २३-क की उपधारा (१) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नगर महापालिका लखनऊ जल परिव्यय विनियमन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७८†

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामाधार पान्डेय)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से स्वायत्त शासन अनुभाग--२ की अधिसूचना संख्या ४७५०/९-२-४(२३)-डब्लू० टी०-६८-यू० पी० ए०-२/५९-रूल-१९६८-ए० एम० (२)-७७, दिनांक २९ जुलाई, १९७८ द्वारा प्रख्यापित नगर महापालिका लखनऊ जल परिव्यय विनियमन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७८ को दिनांक १९ मार्च, १९७९ के उपवेशन में सदन के पटल पर पुनः रखी गयी थी तथा जिसके पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के फलस्वरूप पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ में किए गए शाब्दिक संशोधनों का विवरण

सचिव विधान सभा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ में किए गए शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(संशोधनों के लिए देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १५४ पर)

विधान सभा द्वारा पारित श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल द्वारा आभार प्रदर्शन

श्री उपाध्यक्ष--

दिनांक ८ मार्च, १९७९ को विधान मन्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के उत्तर को मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १९(८) के अन्तर्गत पढ़ कर सुना रहा हूं:--

प्रिय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके पत्र दिनांक ३१ मार्च, १९७९ के लिये जिसे आपने तथा सदन के सचिव ने आकर मुझे भेंट किया,

†छापी नहीं गयी।

अनुगृहीत हूं। मैंने विधान मंडल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष जो अभिभाषण दिनांक ८ मार्च, १९७९ को दिया उसके प्रति विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान सभा की बैठक में तद्विषयक प्रस्ताव स्वीकृत करके धन्यवाद की जो अभिव्यक्ति की है, उसे मैंने परम संतोषपूर्वक प्राप्त किया। उसमें निहित भावना के लिये मैं अपना आभार प्रकट करता हूं।

भवदीय,

ग० दे० तपासे।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मैं जानना चाहता हूं कि इस धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर कौन-कौन माननीय सदस्य राज्यपाल से मिले थे।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं स्वयं गया था और सचिव गये थे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सदस्य कोई नहीं था ? शासन मनोनीत करता है और विधान सभा के सदस्य भी जाया करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा कभी नहीं हुआ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

ऐसा हमने किया है।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७९

सचिव विधान सभा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७९ जो विधान सभा द्वारा २६ मार्च, १९७९ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक २९ मार्च, १९७९ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७९

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उ०प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७९, जो विधान सभा द्वारा २६ मार्च, १९७९ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक २९ मार्च, १९७९ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उ०प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८, जो कि विधान सभा द्वारा २७ मार्च, १९७९ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक १७ अप्रैल, १९७९ को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७९

सचिव, विधान सभा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७९ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २६ मार्च, १९७९ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनाँक २९ मार्च, १९७९ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३० मार्च, १९७९ को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९७९ का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, १९७९

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, १९७९ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २२ मार्च, १९७९ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री उपाध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २९ मार्च, १९७९ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३० मार्च, १९७९ को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९७९ का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७९

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७९ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २६ मार्च, १९७९ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २९ मार्च, १९७९ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३० मार्च, १९७९ को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९७९ का उत्तर प्रदेश का ११ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २७ दिसम्बर, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १३ फरवरी, १९७९ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १० अप्रैल, १९७९ को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९७९ का उत्तर प्रदेश का १२ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २७ मार्च, १९७९ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १६ अप्रैल, १९७९ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १८ अप्रैल, १९७९ को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९७९ का उत्तर प्रदेश का १३वां अधिनियम बन गया ।

श्री चेतराम गंगवार, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

विधान सभा के विगत अधिवेशन के पश्चात् श्री चेतराम गंगवार, सदस्य विधान सभा, बरेली की गिरफ्तारी तथा रिहाई इत्यादि की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त हुई है जिसकी सूचना बुलेटिन नम्बर ३५ द्वारा माननीय सदस्यों को प्रसारित की जा चुकी है ।

पी० टी० आई० लखनऊ के मैनेजर के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

सर्वश्री आरिफ मोहम्मद खां, अरुण कुमार सिंह तथा छेदी लाल, सदस्यगण, विधान सभा ने ८ मार्च, १९७९ को पी० टी० आई० लखनऊ के मैनेजर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी । माननीय सदस्यगण का कहना है कि पी० टी० आई० द्वारा प्रसारित एक समाचार २८ फरवरी, १९७९ को लखनऊ से प्रकाशित होने वाले नेशनल हेराल्ड तथा पायनियर में छपा था जिस में उत्तर प्रदेश विधान मंडल का बजट सत्र ८ मार्च, १९७९ से महामहिम राज्यपाल द्वारा आहूत किये जाने की सूचना दी गयी थी । माननीय सदस्यों का कहना है कि महामहिम राज्यपाल मंत्रिमन्डल की सलाह पर ही विधान मन्डल का सत्र आहूत कर सकते हैं तथा २८ फरवरी, १९७९ को मंत्रि-मंडल कार्य कर रहा था वह अपना त्याग पत्र स्वीकार हो जाने के बाद सत्र बुलाने के लिये

[श्री उपाध्यक्ष—]

सलाह देने के लिये सक्षम ही नहीं था न ही माननीय सदस्यों को बजट सत्र की अधिसूचना २७ फरवरी, १९७९ को जारी की गयी।

मैंने इस सम्बन्ध में पी० टी० आई० के मैनेजर एवं माननीय मुख्य मन्त्री से वस्तु स्थिति की जानकारी मांगी थी जो अब प्राप्त हो गई है।

माननीय मुख्य मन्त्री ने अपने १९ मार्च, १९७९ के पत्र में कहा है कि पी० टी० आई० को शासन की ओर से कोई ऐसा समाचार नहीं दिया गया था कि सदन को दिनांक ८ मार्च, १९७९ से आहूत किया जायगा। जहां तक सदन को ८ मार्च, १९७९ से आहूत किये जाने के सम्बन्ध में भूतपूर्व मंत्रि-मंडल द्वारा श्री राज्यपाल को परामर्श दिये जाने का सम्बन्ध है, माननीय मुख्य मन्त्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुये यह कहा है कि शासन स्तर पर संवैधानिक दृष्टिकोण से अथवा अन्यथा कोई अनियमितता नहीं बरती गयी और न ही किसी भी प्रकार से माननीय सदस्यों अथवा सदन के विशेषाधिकार का भंग हुआ है।

श्री हरपाल नैयर, मैनेजर, पी० टी० आई० ने अपने ३० मार्च, १९७९ के पत्र में कहा है कि समाचार लेखन में कुछ असावधानी के कारण यह समाचार अधिकृत घोषणा के पूर्व ही प्रसारित कर दिया गया और उन्होंने इसे अनिच्छित भूल स्वीकार करते हुये खेद प्रकाश किया है।

सदन को ८ मार्च, १९७९ से आहूत किये जाने के सम्बन्ध में अधिकृत अधिसूचना जारी होने के पूर्व पी० टी० आई० द्वारा इस समाचार को प्रकाशित करना शिष्टाचार के विरुद्ध प्रतीत होता है किन्तु उन्होंने इसके लिये अनिच्छित भूल स्वीकार करते हुये खेद प्रकाश किया है।

अतः इस मामले में किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

श्री राज मंगल पान्डेय, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना माननीय सदस्य श्री राज मंगल पान्डेय के विरुद्ध दिनांक २३ मार्च, १९७९ को दी। श्री त्रिपाठी का यह कहना है कि श्री राज मंगल पान्डेय ने पत्र प्रतिनिधि को यह बताया कि "इससे भी दिलचस्प बात तो यह थी कि दो मंत्रियों, श्रीमती चन्द्रावती और श्री रामाधार पाण्डेय ने सदन के नियम के विरुद्ध मतदान किया।" श्री त्रिपाठी ने अपनी सूचना के साथ दिनांक २३ मार्च, १९७९ के "आज" अखबार (कानपुर संस्करण) की एक प्रति भी संलग्न की है। श्री त्रिपाठी का यह कहना है कि वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के तृतीय अनुपूरक अनुदान की मांगों पर मतदान के समय अनुदान संख्या ३ पर हाथ उठाकर किये गये विभाजन में जिन सदस्यों ने मतदान किया है वे सब विधान सभा के सदस्य थे और श्री राज मंगल पाण्डेय ने श्रीमती चन्द्रावती और श्री रामाधार पाण्डेय द्वारा जो मतदान करने की बात कही है, वह निराधार व असत्य है।

इस सम्बन्ध में दिनांक २६ मार्च, १९७९ को मैंने श्री सत्यदेव त्रिपाठी तथा श्री राज मंगल पाण्डेय को सुना। श्री पाण्डेय ने एक लिखित स्पष्टीकरण भी उसी दिन मेरे पास भेजा। श्री त्रिपाठी ने सदन में उक्त "आज" दैनिक अखबार की ओर सदन का ध्यान दिलाते हुये यह कहा कि "२२ मार्च को जो यहां मतदान हुआ उसके बारे में उन्होंने नियमों के सर्वथा विपरीत जा कर कहा है।" साथ ही श्री त्रिपाठी ने मेरा ध्यान नियमावली के नियम २९८(२) की ओर आकृष्ट किया जिसमें यह प्राविधान है कि "विभाजन का परिणाम अध्यक्ष द्वारा तत्काल घोषित किया जायगा और उस पर कोई आपत्ति न की जा सकेगी।" इसका उल्लेख करते हुए श्री त्रिपाठी ने यह भी कहा कि इस प्रकार उन्होंने मत विभाजन के निर्णय को समाचार पत्रों द्वारा चुनौती दी है।

श्री पाण्डेय ने दिनांक २६ मार्च, १९७९ के अपने स्पष्टीकरण में यह कहा है कि तथ्य यह है कि दोनों मंत्री श्रीमती चन्द्रावती तथा श्री रामाधार पाण्डेय ने दिनांक २२ मार्च, १९७९ को सदन में हुए मतदान में भाग लिया, जबकि वे इस के अधिकारी नहीं थे। श्री पाण्डेय ने यह भी कहा है कि मतदान की अनियमितताओं के सम्बन्ध में उन्होंने उसी दिन सदन में आपत्ति उठायी थी परन्तु सदन में शोर गुल के कारण मेरा ध्यान उस ओर आकृष्ट नहीं हो सका। श्री पाण्डेय ने अपने स्पष्टीकरण में इस बात को स्वीकार किया है कि इस तथ्य को उन्होंने समाचार पत्रों के संवाददाताओं को बताया है। सदन में २६ मार्च, १९७९ को बोलते हुये श्री पाण्डेय ने यह अनुरोध किया कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय। इस पर मैंने उस समय यह कहा था कि यदि प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है तभी यह निर्दिष्ट किया जा सकता है, किसी माननीय सदस्य के कहने से नहीं।

मैंने दिनांक २२ मार्च, १९७९ की कार्यवाही भी देखी। अनुदान संख्या ३ पर हाथ उठाकर मत विभाजन हुआ और गणना के तुरन्त बाद ही मैंने यह घोषणा की कि पक्ष में २२१ और विपक्ष में १४९ मत पड़े। यह सही है कि इस सम्बन्ध में मेजें थपथपाये जाने के कारण व्यवधान हुआ किन्तु उसके बाद अन्य अनुदान पर मतदान हुआ और विनियोग विधेयक भी प्रस्तुत एवं पारित हुआ। इस बीच किसी ने इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की और न ही हाथ उठा कर मत विभाजन के बाद किसी ने पुनः लाबी में भेजकर मत विभाजन की मांग की। विनियोग विधेयक पारित हो जाने के पश्चात् श्री राज मंगल पाण्डेय ने यह आपत्ति की कि सदस्यों के उपस्थिति रजिस्टर के हिसाब से कुल उपस्थिति ३६४ आती है फिर विभाजन में हुई गिनती ३७० कैसे हो सकती है। मैंने उसी समय आपत्ति को निरस्त करते हुए कहा कि मंत्रियों द्वारा उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं होते हैं और यदि माननीय सदस्य उसी समय मांग करते तो लाबी में भेज कर विभाजन करा दिया जाता है, अब यह आपत्ति उचित नहीं है। जहां तक रामाधार पांडेय और श्रीमती चन्द्रावती द्वारा मत विभाजन में मतदान करने का प्रश्न है, यह तथ्य विषयक मामला है और माननीय सत्यदेव त्रिपाठी का कहना है कि उन्होंने मतदान नहीं किया किन्तु श्री राज मंगल पाण्डेय का कहना है कि उन्होंने मतदान किया। सदन की परम्परा के अनुसार माननीय सदस्यों के कथन को सत्य माना जाना चाहिये किन्तु यहां कठिनाई यह है कि दो माननीय

[श्री उपाध्यक्ष---]

सदस्यों के परस्पर विरोधी कथन हैं। हाथ उठाकर मतदान कराये जाने की दशा में मत अभिलेख नहीं रखा जाता है कि किस माननीय सदस्य ने मत दिया और किसने नहीं। माननीय सदस्यों ने अपने कथनों के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए हैं अतः तथ्य सम्बन्धी जांच किये जाने से एक ओर तो इस सदन की पूर्व परम्परा का उल्लंघन होगा और दूसरी ओर तथ्यात्मक साक्ष्य के अभाव में निश्चयात्मक रूप से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना भी संभव न हो सकेगा। इस सम्बन्ध में जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, यदि तत्काल आपत्ति की जाती तो विचार किया जा सकता था या लाबी में भेज कर मत विभाजन की मांग की जाती तो उसे स्वीकार किया जा सकता था किन्तु जैसा कि मैंने ऊपर स्पष्ट किया है, यह आपत्ति विनियोग विधेयक के पारित हो जाने के बाद ही की गयी और लाबी में डिवीजन की कोई मांग नहीं की गयी। एक अन्य मामले में श्री रामाधार पांडेय और श्रीमती चन्द्रावती के विरुद्ध दिनांक २२ मार्च, १९७९ को उनके द्वारा मतदान किए जाने के सम्बन्ध में उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न पर मैंने दिनांक २७ मार्च, १९७९ को निर्णय देते हुए कहा था कि यदि उन्होंने मतदान किया है तो यह अनियमित हो सकता है, किन्तु इससे विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। दिनांक २२ मार्च, १९७९ की कार्यवाही को देखने से यह स्पष्ट है कि उस दिन माननीय सदस्य श्री पांडेय के बारे में भी जो आपत्ति की वह इस आधार पर नहीं की कि श्री रामाधार पांडेय और श्रीमती चन्द्रावती ने, जो इस विधान सभा के सदस्य नहीं हैं, मतदान किया है। इस सम्बन्ध में सदन के विभाजन के निर्णय पर बाहर समाचार-पत्रों में उल्लेख करना सदन के अवमान के प्रश्न की परिधि में आ सकता है।

कौल तथा शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के हिन्दी संस्करण के पृष्ठ २४५- २४६ में यह दिया हुआ है कि "सभा या उसकी समितियों के स्वरूप या कार्यवाही या संसद के रूप में किसी सदस्य के चरित्र या आचरण पर या उसके सम्बन्ध में कोई भाषण देना या मानहानिकारक बात छापना या प्रकाशित करना सभा का विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान है।" यह स्थिति १६ फरवरी, १७८१ को हाउस आफ कामन्स द्वारा पास किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आधारित है---

> "हाउस आफ कामन्स की कार्यवाही पर आक्षेप करने वाली या उसके किसी सदस्य पर सभा की सेवा के लिये किये गये काम पर या उसके सम्बन्ध में किये गये काम के लिए आक्षेप करने वाली पुस्तक या मान-हानिकारक लेख छापना या प्रकाशित करना हाउस आफ कामन्स के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का भंग है।"

उपर्युक्त को देखते हुए माननीय सदस्य श्री राज मंगल पांडेय का सदन द्वारा किये गये निर्णय पर इस प्रकार समाचार-पत्रों में टिप्पणी या आलोचना करना उनके जैसे वरिष्ठ सदस्य के लिए अनुचित होने के साथ-साथ सदन की अवमानना की भी परिधि में आ सकता है। ऐसे वरिष्ठ सदस्य से इस प्रकार के आचरण की अपेक्षा नहीं की जाती। फिर भी मैं समझता हूं कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसे सदन संज्ञान में ले। अतः मैं समझता हूं कि इस मामले को समाप्त किया जाय।

स्वायत शासन मंत्री (श्री रामाधार पाण्डेय)--

मान्यवर, जो व्यवस्था आपने अभी दी इसमें मेरा जिक्र आया। वैसे मुझसे कोई सूचना नहीं मांगी गयी, न ही चन्द्रावती जी से मांगी गयी। मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

निर्णय के बाद अब कुछ कहना अनावश्यक है। मैं इसके लिए आज्ञा नहीं देता। कृपया बैठें।

श्री हीरा लाल खण्डेलवाल निवासी मकन्दूगंज, चौक, प्रतापगढ़ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष--

श्री संगम लाल शुक्ल, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक १८ अप्रैल, १९७९ को श्री हीरा लाल खण्डेलवाल, मकन्दूगंज चौक, प्रतापगढ़ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान की इस आशय की सूचना दी थी कि २२ मार्च, १९७९ को कार्यसूची के नत्थी "ग" में उनके नाम से जो तारांकित प्रश्न संख्या २८ पूछा गया था उसकी सूचना उन्होंने नहीं दी थी तथा उन्हें श्री अशोक कुमार पाण्डेय, पाण्डेय भोजनालय, कचेहरी रोड, प्रतापगढ़ एवं नगर के कुछ अन्य व्यक्तियों से ज्ञात हुआ कि प्रश्न की सूचना पर श्री हीरा लाल खण्डेलवाल, मकन्दूगंज, चौक, प्रतापगढ़ ने उनके जाली हस्ताक्षर बनाकर उक्त प्रश्न की सूचना डाक द्वारा भेजी थी और खण्डेलवाल ने ही मिल मिलकर प्रश्न की प्राप्ति की सूचना डाक विभाग से प्राप्त कर ली थी जिस कारण माननीय सदस्य को उक्त सूचना नहीं मिल सकी। अतः सदन में प्रश्न पूछे जाने तक वे इस बात का खण्डन नहीं कर सके कि प्रश्न की सूचना उन्होंने नहीं दी थी। माननीय सदस्य का कहना है कि इसमें श्री हीरालाल खण्डेलवाल का निजी स्वार्थ था क्योंकि वे अपनी जमीन अधिग्रहण से बचाना चाहते थे जिसमें कि वे सफल नहीं हुए परन्तु इससे माननीय शुक्ल की लोक प्रियता उनके क्षेत्र में घटी तथा उनकी बदनामी हुई।

प्रश्नों की सूचना देना सदन की कार्यवाही का एक अंग है। सदन में इस प्रश्न का उत्तर भी दिया गया। सदन को इस प्रकार से जाली हस्ताक्षर बनाकर धोखा देना या गुमराह करना सदन का अवमान माना गया है। अतः मैंने इस प्रश्न को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ६६ के अन्तर्गत परीक्षा, जांच तथा प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया है।

भूतपूर्व कारागार मंत्री, श्री ओम प्रकाश सिंह के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

श्री गुलाब सेहरा, सदस्य विधान सभा ने २९ दिसम्बर, १९७८ को भूतपूर्व कारागार मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह) के विरुद्ध एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने यह संकेत किया था कि २६ दिसम्बर, १९७८ को राजनीतिक बन्दियों के सम्बन्ध में भूतपूर्व कारागार मंत्री द्वारा सदन में कही गयी बातें सही नहीं थीं। माननीय श्री सेहरा का कथन है कि राजनीतिक बन्दियों में जिनमें विधान सभा के माननीय सदस्य भी शामिल हैं, के सम्बन्ध में भूतपूर्व कारागार मंत्री ने अपमानजनक बातें कही हैं, इस कारण भूतपूर्व कारागार मंत्री ने सदन को गलत सूचना देकर सदन को गुमराह किया और इससे सदन का अवमान हुआ।

[श्री उपाध्यक्ष—]

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय न्याय एवं कारागार मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी। श्री ओम प्रकाश सिंह के न्याय एवं कारागार मंत्री के पद से त्यागपत्र स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप वर्तमान कारागार मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति की जानकारी दी है।

२६ दिसम्बर, १९७८ को विधान सभा की कार्यवाही के अनुसार भूतपूर्व कारागार मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें कही थीं—

(१) आगरा में इन लोगों ने तोड़-फोड़ और आगजनी की।

(२) भारतीय इतिहास में आज तक जितने भी राजनीतिक आन्दोलनकारी जेल गये होंगे, सब से कलंक का कांड इन आन्दोलनकारियों द्वारा किया गया है। इटावा जेल के जेलर के घर पर इन लोगों ने धावा बोलकर तोड़-फोड़ की और जेलर की लड़की के प्रति अशोभनीय बातें कहीं।

(३) जेल में जो घटनायें घटी हैं उसका कारण यह है कि अधिकांश बन्दी राजनीतिक चरित्र के नहीं हैं। वह किराये पर लाये गये हैं। यह आम चर्चा है कि इन लोगों के जेल जाने से अपराध घट गये हैं वर्तमान कारागार मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने उपर्युक्त कथनों की जांच करायी और उस जांच का निम्नलिखित परिणाम मुझे सूचित किया है—

(१) यह सही है कि आगरा जेल में आगजनी की घटना हुई थी जिसकी रिपोर्ट पुलिस में करा दी गयी थी। घटना की जांच की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(२) इटावा जिला जेल में हुई घटना के बारे में मैजिस्टीरियल जांच रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि होती है कि जेलर के निवास स्थान पर राजनीतिक बन्दियों ने उत्पात मचाया था और जेलर के परिवार वालों को अपशब्द कहे थे।

(३) जहां तक इस कथन का सम्बन्ध है कि जेलों में ऐसी घटनाओं का कारण यह है कि अधिकांश बन्दी राजनीतिक चरित्र के नहीं हैं वे किराये पर लाये गये हैं तथा यह आम चर्चा है कि इन लोगों के जेल जाने से अपराध घट गये हैं, वर्तमान कारागार मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा का यह कहना है कि वह बातें भूतपूर्व कारागार मंत्री के या तो अपने निजी विचार थे अथवा उन्हें प्राप्त सूचना पर आधारित थे।

कौल एवं शकधर ने अपनी पुस्तक "संसदीय प्रणाली एवं व्यवहार" के पृष्ठ २६१ पर कहा है—

"यदि कोई सदस्य या मंत्री सदन में ऐसा वक्तव्य देता है जो किसी अन्य सदस्य के विचार में असत्य, अपूर्ण या गलत हो तो वह विशेषाधिकार का भंग नहीं है। यदि कोई गलत वक्तव्य दिया जाता है तो इस मामले का निपटारा करने के लिए दूसरे रास्ते हैं। विशेषाधिकार भंग तभी होता है जबकि कोई सदस्य या मंत्री कोई गलत सूचना या असत्य वक्तव्य जानबूझ कर और सोच समझ कर और यह जानते हुए देता है कि यह गलत या असत्य है।

विभिन्न अवसरों पर इस अध्यक्ष पद से दिए गए निर्णयों से भी इस मत की पुष्टि होती है। माननीय श्री गुलाब सेहरा ने अपनी सूचना में यह आरोप नहीं लगाया है कि भूतपूर्व कारागार मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह ने जानबूझ कर गलत सूचना दी है और न कोई ऐसा प्रमाण ही प्रस्तुत किया है जिससे इस परिणाम पर पहुंचा जा सके कि भूतपूर्व कारागार मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह ने २६ दिसम्बर, १९७८ को सूचना दी वह जानबूझ कर सदन को गुमराह करने हेतु गलत सूचना दी गई।

अतः मैं श्री गुलाब सेहरा द्वारा अभिसूचित प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

श्री बाबूलाल वर्मा, सदस्य विधान सभा ने २६ अप्रैल, १९७९ को माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाबगंज से कन्दूघर जाने वाले मार्ग तथा नवाबगंज ब्लाक के तीन और सम्पर्क मार्गों पर फर्जी काम दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।

माननीय श्री बाबूलाल वर्मा का यह भी कहना है कि ग्राम्य विकास मंत्री ने प्रश्नोत्तर काल में अपने उत्तर में सदन को सूचना दी थी कि बी० डी० ओ० तथा बी० ओ० (पी० बी० डी०) को निलम्बित किया गया है तथा जिला विकास अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है किन्तु मुख्य मंत्री ने अधिकारियों तथा राजनीतिक घटकवाद के दबाव से ग्राम्य विकास मंत्री के सभी आदेश निरस्त कर दिए और जिला विकास अधिकारी का स्थानान्तरण भी रोक दिया।

इस शिकायत में जो आरोप लगाये गये हैं उनमें विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ६४ के दूसरे पैराग्राफ के अनुसार शिकायत की दो प्रतियां नहीं दी गई हैं। इस कारण भी यह सूचना नियमानुसार अग्राह्य है।

अतः मैं माननीय श्री बाबूलाल वर्मा द्वारा दी गयी सूचना को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

जिला अस्पताल बरेली के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

श्री कृष्णवीर सिंह कौशल, सदस्य विधान सभा ने आज एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि दिनांक ३१ अप्रैल, १९७९ यह गलत लिख दिया है यह ३१ मार्च है इसमें तो ३१ अप्रैल लिखी है, को लगभग ११ बजे नवाबगंज, बरेली के माननीय विधायक श्री चेतराम गंगवार, जो जिला अस्पताल, बरेली में दवायें लेने गये थे, के साथ ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी व अन्य कर्मचारियों ने उनके साथ दुर्व्यहार किया व मारा-पीटा। यह स्पष्ट है कि माननीय श्री कौशल ने दिनांक का उल्लेख करने में त्रुटि की है और उनका

[श्री उपाध्यक्ष]

आशय किसी अन्य दिनांक से है । इस सम्बन्ध में मुझे माननीय श्री धर्मदत्त वैद्य सदस्य विधान सभा से भी एक शिकायत प्राप्त हुई थी और मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री को आवश्यक जांच करके कार्यवाही करने को लिखा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, जरा सुन लें, एक सदस्य के अधिकार का प्रश्न है ।

चिकित्सा मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)--

वह सदस्य नहीं आये हैं, उन्हें आने दीजिए । फिर इसमें सी० आई० डी० की जांच हो रही है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)--

मान्यवर, सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

ग्राह्यता के बारे में...

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, इसमे ग्राह्यता का कोई प्रश्न नहीं उठता । जो शिकायत की थी उस पर सी० आई० डी० की जांच हो रही है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, ग्राह्यता के अलावा और क्या विचार हो सकता है ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

आपको सारी स्थिति मालूम है और जैसा माननीय उपाध्यक्ष जी ने कहा कि पत्र भेज दिया गया है ।

(श्री कृष्णवीर सिंह कौशल के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन, ऐसा लगता है कि निर्णय आपने ले लिया है...

श्री उपाध्यक्ष--

जो कुछ आप लिखकर भेजते हैं, उसी पर तो निर्णय लेते हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उसमें तिथि की गलती हो गई है, उसे मार्च कर दीजिए...

श्री उपाध्यक्ष--

इसके अलावा दूसरी अनियमितता है, उसे भी सुनें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

किन्तु इसके शाब्दिक रूप में न जाकर इसके तथ्य में जाएं कि इसके पीछे भावना क्या है । यह चेतराम जी का सवाल नहीं बल्कि हर सदस्य का सवाल है। इसमें इस विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को दिए गए अधिकार का सवाल निहित है...

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

श्रीमन्, यह तो तथ्यों पर आ गए, जब जांच हो जाएगी तब हो तो उस पर होगा । जब जांच हो जाए, तब इस पर निर्णय होगा । यह स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है । तथ्यों को आप जांच होने दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

घटाना-बढ़ाना आप चाहें तो बता दें और निर्णय तो मैंने ले लिया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आप तथ्यों पर जाएं, इस पर मैं समझता हूं कि किसी को आपत्ति नहीं होगी । यह सदन के सदस्य के अधिकार का प्रश्न है । यदि यह होगा, इस तरह से सदस्य अपमानित किये जाते रहेंगे तो कैसे उनका कोई प्रभाव पड़ सकता है ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

यह जब साबित हो जाएगा, तब तो होगा, कानून के ऊपर तो कोई नहीं है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

जांच की ही बात मान ली जाए तो सबसे ज्यादा गैर-जिम्मेदाराना आचरण इन्हीं का रहा है इस पूरे प्रकरण में । इन्होंने बिना जांच किए एकतरफा बयान दे दिया और उनके विरुद्ध बयान दे दिया और उनका रिवाल्वर जब्त कराने की कार्यवाही कराई...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इसकी इजाजत नहीं दी है, न इसका कोई जिक्र है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अब आप श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष पद द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के संचालन को देखें, तो उसके पृष्ठ ३१६-३१७ में जो रूलिंग दी गई है, उसका निष्कर्ष यह है--"किसी सदस्य को उसके सदस्य की हैसियत से किए गए कार्यों के लिए बदनाम करना विशेषाधिकार की अवहेलना हो सकती है ।" इसी प्रकार पृष्ठ ३१३ पर अध्यक्ष की रूलिंग है--"किसी सदस्य को गिरफ्तारी में बदनीयती सिद्ध होने पर विशेषाधिकार की अवहेलना हो सकती है ।"

श्री मधुकर दिघे--

सिद्ध होने पर ही तो, इसमें तो अभी सिद्ध होना है । गिरफ्तारी की खबर आप तक आई है । उनका दोष यह था, उनको अधिकार है दवा लेन का और वह दवा लेने वहां गये थे । उन्होंने यह कहा कि ७ दिन की दवा दे दी, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

आप तथ्यों को तोड़ मरोड़कर गलत कह रहे हैं । यह आप गलत कह रहे हैं कि वह दवा लेने गये थे । बल्कि वह तो उन्होंने एक आदमी भेजा था और वह भी उनको दवा मिल गई थी ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप आपस में वार्ता न करें ।

श्री मधुकर दिघे--

यह तो श्रीमन्, स्वयं प्रश्न को बिगाड़ रहे हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

पता नहीं, क्यों इनको इतनी तकलीफ हो रही है ।

श्री मधुकर दिघे--

सदस्यों की गरिमा के बारे में कोई तकलीफ या मतभेद नहीं है, लेकिन जो तथ्य की बात आपने कही, उस पर मतभेद है ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस (उन्नीसवां एडीशन) में यह है कि--

It may be stated generally that any act or omission which obstructs or impades either House of Parliament in the performance of its functions, or which obstructs or impades any member or officer of such House in the discharge of his duty, or which has a tendency. directly or indirectly, to produce such results may be treated as a contempt even though there is no precedent of the offence

इसमें यह कहा है कि यह कहा जा सकता है कोई भी कार्य या कोई ऐसा कार्य जो न किया गया हो, किसी सदन के बारे में या सदन के किसी सदस्य के बारे में जो अपने कर्त्तव्य के अनुपालन में किया गया कार्य हो उसमें किस प्रकार की रुकावट डालता हो, चाहे उसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी न हो तब भी वह कंटम्ट माना जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आबस्ट्रक्शन कहां है ? यह सदन की कार्यवाही में आबस्ट्रक्शन की बात है । यह कहां पैदा होता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सदन की कार्यवाही का प्रश्न नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

हैं ।

"which obstructs or impedes either House of Parliament in the performance of its functions"

सदन की कार्यवाही से इसका सम्बन्ध नहीं था ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं ऊपर वाला पढ़ रहा हूं ।

"Any act or omisslon which obstructs or impedes any member or officer of such House ln the discharge of his duty or which has a tendency, directly or indirectly, to produce such results

श्री उपाध्यक्ष--

आगे और देख लीजिए । इसके आगे देख लीजिए ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अब आगे चल कर देख लें, पृष्ठ १३८ में--

"Disobedience to the order of either House, whether such orders are of general application."

*मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल यह साफ करना चाहते हैं कि किसी सदस्य के कर्तव्य पालन करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बाधा डाली जाय तो वह सदन का अपमान है । इसमें कोई दो राय नहीं है । प्रश्न यहां पर यह है कि जो विशेषाधिकार की अवहेलन की सूचना दी है क्या श्री चेतराम अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे थे ? इस सम्बन्ध में श्रीमन, आप अपनी रूलिंग देने जा रहे थे । क्योंकि यह प्रश्न एक सदस्य से सम्बन्धित है मैंने माननीय नेता विरोधी दल को कल भी वैसे सूचित किया था, स्वयं माननीय चेतराम गंगवार मेरे पास आये थे । उन्होंने मुझसे दो अनुरोध किये, जिनको मैंने माना । एक तो यह था कि मुझे को गिरफ्तार किया गया है । मेरे हथियार न लिये जायं । मैंने तुरन्त आदेश दिया कि श्री चेतराम गंगवार के फायर आर्म्स न लिये जायं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

क्या न लिये जायं ?

श्री बनारसी दास--

फायर आर्म्स न लिये जायं। दूसरा उनका कहना था कि इस मामले की जांच सी० आई० डी० से करा ली जाय । मैंने यह भी आदेश दिया कि इस सारे प्रश्न की जांच सी० आई० डी० करेगी । उनको दोनों प्रश्नों पर संतोष हो गया । इस मामले का ताल्लुक बरेली के एक अस्पताल से है । यह भी मैं कहना चाहता हूं कि यह मामला इतना सेंसिटिव है (माईक्रोफोन खराब होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक सदस्य--

आवाज नहीं आ रही है ।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)--

मुख्य मन्त्री जोर से इसको बोलें फिर से ।

श्री बनारसी दास--

जब माननीय सदस्य की दोनों बातें मान ली गयीं और इसकी विवेचना सी० आई० डी० कर रही है । मैं यह कह रहा हूं कि एक तरफ तो कई दफा तमाम डाक्टर हड़ताल कर चुके हैं । उनका कहना है कि हमको अपने कर्तव्य पालन नहीं करने दिया जाता है । हमको मारा पीटा जाता है और फिर हड़ताल हो और काम रोको प्रस्ताव आवे कि डाक्टरों ने हड़ताल की । मैं नेता विरोधी दल से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई सदस्य चाहे इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम भी उतने ही चिन्तित हैं जितने आप । नेता विरोधी दल मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं । उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि हमको नागरिकों से विनम्र होना चाहिये । जब हम टिकट लेने जाते हैं तो लोग व्यंग्य करते हैं, जब दवा लेने जाते हैं तो लोग व्यंग्य करते हैं । जब हम लाइन तोड़ कर जाते हैं और अपने विशेष अधिकारों का लाभ उठाते हैं । हमने सी० आई० डी० की जांच उनकी मांग पर की है और उनकी दूसरी मांग थी कि उनके हथियार न लिए जायें । मैंने इसके लिए भी आदेश दे दिये हैं । आप इसको सदन में उठायें, आप मुझसे इस प्रकार की बातें कर सकते हैं । हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं । किसी भी सदस्य की गरिमा या आदर किसी भी तरह से कम नहीं होने दिया जायेगा । लेकिन अन्य नागरिकों के अधिकारों को भी देखना है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मेरे ऊपर अन्याय होगा । हमारा दृष्टिकोण आपके सामने नहीं आया । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने अपने वक्तव्य से स्पष्ट किया और उन्होंने माननीय सदस्य की दो मांगों को मान लिया और उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं । यह प्रश्न इस समय सदन का है, शासन का नहीं है । माननीय सदस्य की अवमानना हुई है । माननीय मुख्य मन्त्री जी अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उसे वे स्वीकार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसका सदन की कार्यवाही से तो कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

बहुत से ऐसे प्रश्न आये हैं जो सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं हैं और वे विशेषाधिकार समिति के सामने जा चुके हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

किसी माननीय सदस्य ने कहा होगा कि उसे विधान सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने नहीं दिया गया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कोई माननीय सदस्य बीमार हो और जो निर्धारित दवा है वह उसको न दी जाये और मांगने पर कहा जाये कि सिर्फ ६ गोलियां मिलेंगी । तीन बार मारा

जाये और उनका इलाज न हो । बीमार होने पर भी दवा से वंचित रहते हैं...। उनको दवा नहीं मिली ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो गलत बात है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

दवा प्राप्त करने का उनका अपना एक अधिकार है और उसके लिए इस हाउस का अधिनियम भी बना हुआ है । दवा न मिलने के कारण वे यहां नहीं आ सके । यह उनका विशेषाधिकार है । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूरी तरह सहमत हूं कि हमें भी अपने कर्मचारियों के प्रति विनम्र होना चाहिये, विनम्रता भी गरिमा के साथ होनी चाहिये, विनम्रता का अर्थ कदापि यह नहीं होना चाहिये कि वह याचना करे । यह हो सकता है कि कहीं किसी विधायक की किसी बातचीत में कोई त्रुटि हुई हो, हर समय संसदीय भाषा का प्रयोग वे न कर सके हों, पर हमारे विधायकों का सम्मान भी पूरी तरह होना चाहिये । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कितना कर रहे हैं यह मैं नहीं जानता, पर इस मामले को प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न मान कर इसे विशेषाधिकार समिति को आपको भेजना चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि कौन दोषी है, पर अगर कोई भी विधायक अपमानित होता है तो इस पर इस सदन को विचार करना चाहिये । माननीय नेता सदन की वाणी में कोई कलुष नहीं है, लेकिन दूसरों की वाणी में कलुष है ।

श्री बनारसीदास--

ऐसा नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

दूसरे विधायकों के साथ भी यह हो सकता है, यह सदन के अवमान का प्रश्न है । डाक्टर वर्ग से किसी को कोई विरोध नहीं है । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने काल्पनिक स्थिति बता दी कि डाक्टर हड़ताल करेंगे तो आप काम रोको प्रस्ताव ले आयेंगे । अगर कोई डाक्टर गलती करता है तो डाक्टर वर्ग कभी हड़ताल नहीं करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी, अब आप निर्णय सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, जहां तक विधायकों के सम्मान का प्रश्न है, हम लोगों में कोई भी इस राय का नहीं है कि उनका सम्मान न हो । इस घटना के बाद मैंने जो बयान दिया उसमें मैंने एक तो यह बात कही कि डाक्टरों का पहला फर्ज यह है कि वह जनता की पूरी सेवा करें और दूसरी यह कि जन-प्रतिनिधियों को समुचित आदर मिले, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है । यह तीन बातें ही मैंने अपने बयान में कही हैं ।

जहां तक तथ्यों का सवाल है कि उनको गिरफ्तार किया गया आदि, तो यह सारा मामला सी० आई० डी० की जांच में है, वह जांच कर रही है, इसलिए मैं

[श्री रमा शंकर कौशिक--]

उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि दवा लेने सक्सेना साहब गये थे, उन्होंने यूनिइनजाइम की ६० गोली मांगी, ३० उनको दे दी गयीं, एक और दवा की १२ गोली मांगी, ६ दे दी गयी, एक और दवा की ६ गोली दे दी गयी, १२ मांगी थीं। डाक्टर का कहना यह है कि वह जो दवायें थी, वह अस्पताल के प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं बल्कि वह किसी प्राइवेट डाक्टर के जरिये से लिखी हुई दवायें थीं। शासन का एक यह भी आदेश है कि जो प्रिस्क्रिप्शन डाक्टर लिखेगा, वह दवायें दी जायंगी। ऐसी कई बार शिकायतें आई कि दूसरे लोगों से जो प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं और दवा अस्पताल में मांगने जाते हैं। तो श्रीमन्, सक्सेना को जो दवायें दी गयी थीं, उस दवा की मात्रा ऐसी कम नहीं थी, दवा सक्सेना नाम के व्यक्ति को दी गयी। हकीकत यह है कि श्री चेतराम गंगवार ने एक व्यक्ति सक्सेना हैं, उनको अपना पर्चा पैड का देकर दवा लेने के लिये भेजा, दवा भी दे दी गयी, उसके बाद भी अगर कोई अधिकारवाली बात थी कि उन्हें दवा बहुत कम लगी थी, डाक्टरों का कहना यह है कि दवा सिवाय यूनि-इनजाइम के कम इस्तेमाल करनी चाहिए। वह तो दवा ३० दिन की खूराक होती है। मेरा निवेदन यह है कि प्रिस्क्रिप्शन डाक्टर का लिखा हुआ नहीं था। सक्सेना साहब दवा लेकर चले गये, उसके बाद चेतराम गंगवार उसी व्यक्ति को लेकर आते हैं, उस वक्त वह दवा लेने नहीं गये बल्कि वह झगड़ा करने गये कि दवा मुझे कम क्यों दी और यह सारी बातें, घटनाक्रम चला, डेढ़ बजे एस० एस० पी० वगैरह सब पहुंच गये, उनकी सारी सुरक्षा की व्यवस्था का प्रबन्ध किया गया। उनसे यह पूछा गया कि क्या कोई शिकायत किसी डाक्टर के बारे में कहना है, हम रिपोर्ट दर्ज करा दें। डाक्टर ए० एस० गुप्ता से पूछा गया तो उन्होंने लिखित रिपोर्ट एक दे दी। उसके बावजूद भी मुख्य मन्त्री जी ने सी० आई० डी० की जांच के लिए आदेश दे दिया है।

श्री श्यामधर मिश्र--

अभी निर्णय यह हुआ कि तथ्यों की सी० आई० डी० की जांच होगी। मंत्री के नाते आप किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं कहना चाहिये चाहे वह डाक्टर के संबंध में हो या किसी के संबंध में हो।

श्री उपाध्यक्ष--

इसीलिए उनको मैंने रोक दिया।

श्री राम आसरे वर्मा--

मुझको उपाध्यक्ष जी सुन लें। आपने सबको सुन लिया।

श्री उपाध्यक्ष--

अब क्या सुन लिया जाय ?

श्री राम आसरे (जिला हरदोई)--

आज हम लोगों के अन्दर इतनी दहशत है कि कोई विधायक वहां नहीं जा सकता और वहां पर अगर माननीय मंत्री जी जायं, तो बिना मार खाये नहीं आ सकते हैं। मान्यवर, बड़ी गम्भीर बात है। एक सदस्य के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वह केवल उसी सदस्य के लिए नहीं, बल्कि सभी सदस्यों के लिए है। इसको गम्भीरता से लेना चाहिए, केवल सी० आई० डी० की जांच करा देने से काम नहीं चल सकता है।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

श्रीमन्, जो दवाई के बारे में कहा कि एक गोली खाई जाती है ऐसा लगता है कि इन्होंने डाक्टरी पढ़ी है या किसी डाक्टर की संगत की है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मेरा निवेदन यह है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है ....

एक सदस्य—

हमारे विरोधी दल के नेता जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी दोनों आधे-आधे डाक्टर हैं ।

श्री ऊदल—

विशेषाधिकार समिति को आप अगर भेजेंगे तो यही तथ्य जिनका जिक्र माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कर रहे हैं नेता विरोधी दल कर रहे हैं, उन्हीं पर जांच करेगी कोई दूसरा पहाड़ नहीं गिरेगा जिन पर पूरी जांच करेगी । एक प्रश्न अभी नेता विरोधी दल ने यह उठाया कि दवा लेना भी विधायकों को ड्यूटी और कर्तव्य में आता है तो क्या उसमें कोई दखल विशेषाधिकार बनता है ? इस प्रश्न की जांच सी० आई० डी० कैसी करेगी ? ड्यूटी में जो आता है जैसे दवा लेना, कमेटी में आना, सदन में आना इसकी विवेचना विशेषाधिकार समिति ही कर सकती है । अतएव म चाहता हूं कि इसका निर्णय हो जाना चाहिये और जो अधिकार सदस्यों को मिले हैं उसकी व्याख्या हो जाय । इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आज मैंने इस प्रश्न को सुना है तो मैं इस पर अपना निर्णय कल दूंगा, आज इसे स्थगित करता हूं ।

२३ मार्च, १९७९ को सदन में श्री औसान सिंह के निलम्बन के प्रस्ताव संबंधी कार्यवाही को निरस्त किये जाने की मांग पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

उपाध्यक्ष—

दिनांक २३ मार्च, १९७९ को माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा माननीय श्री केसरी नाथ त्रिपाठी नें उसी दिनांक को श्री औसान सिंह, सदस्य, विधान सभा को निलम्बित किये जाने की प्रक्रिया को नियमों की अवहेलना बताते हुए यह मांग की कि उस नियम विरुद्ध कार्यवाही को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये । दिनांक २६ मार्च, १९६९ को माननीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने भी इसी संबंध में एक औचित्य का प्रश्न उठाने की सूचना दी और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ६३, ६५ (१) (ख) तथा संविधान के अनुच्छेद १९४ (३) का हवाला देते हुए यह मत व्यक्त किया कि श्री औसान सिंह के मामले में माननीय सदन द्वारा दिनांक २३ मार्च, १९७९ को दिया गया निर्णय असंवैधानिक एवं माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार के बाहर है और यह निवेदन किया कि चूंकि श्री औसान सिंह को दिया गया दण्ड उनके द्वारा पूरी तरह से भोगा जा चुका है और प्रक्रिया नियमावली के नियम ७३(३) के

[श्री उपाध्यक्ष--]

अन्तर्गत उसे निरस्त करने का प्रस्ताव भी नहीं लाया जा सकता, अतएव इस पर उन्हें सुनने की अनुमति दी जाये और राज्य की महाधिवक्ता को भी उनकी राय लेने हेतु सदन में बुलाया जाये ।

इस प्रश्न पर मैंने दिनांक २६ मार्च, १९७९ को माननीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री गोविन्द सिंह नेगी, श्री रमा शंकर कौशिक' श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, माननीय नेता विरोधी दल, श्री नारायण दत्त तिवारी श्री सोहन वीर सिंह तोमर को सुना । मैंने उसी दिन जैसा कि माननीय सदस्यों को स्मरण होगा, यह प्रश्न इन सभी माननीय सदस्यो से और विशेषकर श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री केशरी नाथ त्रिपाठी से किया था कि वे मुझे वह नियम बतायें, जिसके अनुसार मैं सदन के निर्णय का पुनर्विलोकन करके उसे बदल सकता हूं । लेकिन इन सभी माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने श्री औसान सिंह के निलंबन के बारे में आपत्ति की थी, यह तो कहा कि उक्त निलंबन प्रक्रिया नियमावली के अनुसार नहीं है लेकिन यह नहीं बताया कि उसे अब किस प्रकार मैं अपने निर्णय से बदल सकता हूं । मैंने यह भी उल्लेख किया था कि यह सदन अपनी प्रक्रिया का मालिक है और यदि किसी नियम का पालन नहीं भी हुआ है तब भी सदन के निर्णय की वैधानिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

इसके अतिरिक्त दिनांक २३ मार्च, १९७९ को विधान सभा द्वारा माननीय सदस्य श्री औसान सिंह को निलंबित करने के लिए सदन द्वारा पारित प्रस्ताव कार्यान्वित हो चुका है और उसके संबंध में किसी आपत्ति पर मेरे द्वारा विचार किया जाना उचित नहीं है और न तो मैं इसके लिए सक्षम हूं ।

स्वयं माननीय सदस्य श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने अपनी सूचना में स्वीकार किया है कि सदन द्वारा दिया गया दंड भी औसान सिंह द्वारा भोगा जा चुका है, अतएव अब उसको निरस्त करने का प्रस्ताव भी नहीं लाया जा सकता इस प्रकार इस संबंध में अब चर्चा किया जाना कि श्री औसान सिंह के निलंबन की प्रक्रिया में कोई अनियमितता हुई है या नहीं, कोई माने नहीं रखता और न मैं इस विषय में जाना ही चाहूंगा । यह बात मैं ज्यादा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नियम २९९ की कार्यवाही नियम ६३ से भिन्न है । नियम २९९ सदन में शांति एवं व्यवस्था कायम रखने के संबंध में मुझे और सदन को कुछ अधिकार देता है । इसके यह माने नहीं हैं कि शांति एवं व्यवस्था कायम करने के संदर्भ में यदि कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो उस पर नियम ६३ के अंतर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान की कार्यवाही भी नहीं की जा सकती है । दूसरे शब्दों में यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में व्यवधान डाला जाता है या उसकी कार्यवाही में रुकावट पैदा की जाती है तो या तो शांति व्यवस्था से संबंधित नियम २९९ के अंतर्गत उसको इंगित करके दंडित किया जाता है या सदन को स्थगित करके उत्तेजना के शांत होने की प्रतीक्षा की जाती है । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सदन अपने विशेषाधिकार या सदन के अवमान से संबंधित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता ।

उपर्युक्त कारणों से मैं उठाई गई आपत्तियों को निरस्त करता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । मैं आपसे स्पष्टीकरण पूंछ सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब इसकी इजाजत नहीं है। अब मैं इस संबंध में व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी इजाजत नहीं देता हूं। यह लिखा नहीं जायगा।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के समय के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष--

कार्यसूची जो आपको मिली है उसमें नत्थी (ङ) में कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी २६ अप्रैल, १९७९ की बैठक में यह सिफारिश की है कि सदन के दिनांक २ मई, १९७९ से १५ जून, १९७९ तक के उपवेशनों में निम्नलिखित कार्यक्रम रखा जाय :--

मई, १९७९

२ बुधवार--११ बजे पूर्वान्ह	१--औपचारिक कार्य यथा अध्यादेशों, विज्ञप्तियों, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना विधेयकों का पुर : स्थापन आदि।
	२--असरकारी दिवस।
३--गुरुवार	विधायी कार्य।
४--शुक्रवार	असरकारी कार्य।
५--शनिवार	विधायी कार्य।
६--रविवार	बैठक नहीं होगी।
७--सोमवार	वित्तीय वर्ष १९७९-८० के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
८--मंगलवार	
९--बुधवार	
१०--गुरुवार	
११--शुक्रवार	बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश — बैठक नहीं होगी।
१२--शनिवार	द्वितीय शनिवार का अवकाश
१३--रविवार	

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री उपाध्यक्ष--]

१४--सोमवार	वित्तीय वर्ष १९७९-८० के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ।
१५--मंगलवार १६--बुधवार १७--गुरुवार	वित्तीय वर्ष १९७९-८० के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर मतदान ।
१८--शुक्रवार	असरकारी दिवस ।
१९--शनिवार	वित्तीय वर्ष १९७९-८० के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर मतदान ।
२०--रविवार	बैठक नहीं होगी ।
२१--सोमवार २२--मंगलवार २३--बुधवार २४--गुरुवार २५--शुक्रवार २६--शनिवार	वित्तीय वर्ष १९७९-८० के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर मतदान ।
२७--रविवार	बैठक नहीं होगी ।
२८--सोमवार २९--मंगलवार ३०--बुधवार ३१--गुरुवार	वित्तीय वर्ष १९७९-८० के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर मतदान ।
जून, १९७९	
१--शुक्रवार २--शनिवार	वित्तीय वर्ष १९७९-८० के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर मतदान ।
३--रविवार	बैठक नहीं होगी ।
४--सोमवार ५--मंगलवार ६--बुधवार ७--गुरुवार	वित्तीय वर्ष १९७९-८० के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर मतदान ।

अध्यक्ष विधान सभा

८—शुक्रवार असरकारी कार्य ।

९—शनिवार } द्वितीय शनिवार का अवकाश } बैठक नहीं होगी ।
१०—रविवार

११—सोमवार } वित्तीय वर्ष १९७९-८० के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर मतदान ।
१२—मंगलवार

४ बजे अपरान्ह

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७९ का पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उस का पारण ।

१३—बुधवार } विधायी कार्य ।
१४—गुरुवार

१५—शुक्रवार असरकारी कार्य ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई, सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

दस्यु सुन्दरी हसीना बेगम की मृत्यु पर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की पुलिस के बीच खींचातानी के सम्बन्ध में अग्रेत्तर वक्तव्य

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, दिनांक ८-९-७८ को सदन में प्रश्नगत विषय पर वक्तव्य दिया गया था । अनुपूरक प्रश्नों के दौरान माननीय सदस्यों ने कतिपय बिन्दु उठाये थे तथा पुनः वक्तव्य की मांग की थी । इसके अतिरिक्त सदन में दो प्रदेशों के अधिकारियों में मतभेद होने तथा सरकारों के सम्बन्ध खराब होने के फलस्वरूप प्रशासकीय शिथिलता पैदा होने और अपराधों में वृद्धि होने पर भी आशंका व्यक्त की गई थी ।

(इस समय २ बजकर ३८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधे श्याम शर्मा पीठासीन हुए ।)

प्रश्नगत मुठभेड़ की घटना मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हुई थी । मध्य प्रदेश शासन ने मामले से सम्बन्धित मजिस्ट्रीयल जांच निष्पक्ष रूप से कराये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये थे । इन आदेशों से प्रदेश शासन के सम्बन्धित अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है । मजिस्ट्रीयल जांच पूर्ण होने पर ही पूर्ण तथ्य सामने आ सकेंगे ।

कमासिन से बांदा जाने वाली प्राईवेट बस के चालक सहित चार व्यक्तियों की बांदा में दिन-दहाड़े हत्या की तथाकथित घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

मान्यवर, दिनांक २० मार्च, १९७९ की तथाकथित घटना के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रसाद, निवासी ग्राम जौरही, थाना कोतवाली, जनपद बांदा ने थाना कोतवाली पर रिपोर्ट लिखाई कि एक मुकदमें के सिलसिले में जब वादी कमतू, नत्थू, मलखान सिंह आदि के साथ प्रातः ८-३० बजे ग्राम जौरही से एक प्राईवेट बस द्वारा बांदा जा रहे थे कि थोड़ी दूर आगे तीन अन्य व्यक्ति बस में सवार हुए। बस के राजा भइया की बगिया के पास पहुंचने पर कतिपय सशस्त्र व्यक्तियों ने बस को रोकने का प्रयास किया। ड्राइवर के बस न रोकने पर एक व्यक्ति ने खिड़की से बस ड्राइवर पर फायर कर दिया और अभियुक्तों ने बस में घुसकर मलखान सिंह, कमतू व अलमस्ता पर फायर कर दिया। मलखान सिंह, कमतू व बस ड्राइवर बस के अन्दर ही मर गये। फायर से अलमस्ता व बस के एक अन्य यात्री चन्द्रिका को चोटें आईं। अभियुक्त एक अन्य यात्री चाद्रपाल की दुनाली बन्दूक भी छीन ले गये। इस रिपोर्ट को थाना कोतवाली पर अपराध संख्या २१८ पर धारा १४७/१४८/१४९/३०२/३०७/३९५ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया। स्थल का निरीक्षण क्षेत्राधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक दोनों ने किया। जांच से घटना ग्राम जौरही के दो दलों की लम्बी दुश्मनी के कारण होना पाई गई। प्राप्त सूचना के अनुसार इस घटना से सम्बन्धित सभी नामजद अभियुक्त हिरासत में लिए जा चुके हैं। घटना के बाद अन्य बस चालकों ने सुरक्षा की भावना व्यक्त की थी, किन्तु प्रबन्ध किए जाने पर स्थिति सामान्य हो गई। ग्राम जौरही में स्थानीय अधिकारियों ने एक सेक्शन पी० ए० सी० भी नियुक्त की और प्राईवेट बस मार्गों पर पुलिस गश्त भी प्रारम्भ करा दी है।

थाना भटौंध क्षेत्र के अन्तर्गत एक स लूट जाने व एक व्यापारी की हत्या की घटना के अभियुक्त भी प्रकाश में आ गये हैं और पुलिस इनमें से तीन अपराधियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कानपुर जाने वाली व्यापारी बस पर प्रति मंगलवार को सशस्त्र गार्ड भी भेजा जाता है।

जिले की अपराध स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार हुआ है और पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही में तत्परता दिखा रही है। बांदा जनपद में जनजीवन सामान्य है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, जो माननीय मन्त्री जी ने वक्तव्य में कहा है कि जिले में अपराध की स्थिति में सुधार हुआ है, तो क्या उनके पास इन सम्बन्ध में कोई आंकड़े हैं ? क्या यह मान लिया जाय कि सुधार हुआ है ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

इस पर कोई प्रश्न तो है नहीं। आप जानकारी दे दें।

श्री अधिष्ठाता--

फिर भी कृपया स्पष्ट कर दें।

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, ३०१ में तो कोई प्रश्न उठता नहीं है, लेकिन अगर नेता विरोधी दल चाहते हैं तो इसकी जानकारी करा दी जायेगी ।

श्री नरायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, जिले की अपराध की स्थिति में सुधार हुआ है---ये तो केवल कैटोगरिकल स्टेटमेन्ट है--इन्होंने वैसी कोई सूचना मांगी नहीं । तो सुधार कैसे हो गया--कृपया इसको स्पष्ट करें ।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)--

आपने ३०१ की सूचना माँगी, उन्होंने दे दी । अब आप चाहते हैं कि सूचना के आंकड़े दे दिए जायं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अगर आंकड़े नहीं हैं तो लिखने की आवश्यकता नहीं थी--वह रिहर्ड्रेट हो गया ।

विशेषाधिकार समिति के समक्ष लम्बित प्रश्नों पर प्रतिवेदन देने हेतु समय में वृद्धि का प्रस्ताव

*श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :--

चूंकि भगवती सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री कुंवर बहादुर मिश्र, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध शिकायत तथा श्री काशीनाथ मिश्र, विधान सभा द्वारा श्री हरिकेवल, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध शिकायत से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न,

श्री काशीनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री डी० पी० वरुण, तत्कालीन सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न,

श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री वेद प्रकाश गौतम, थानेदार, नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न,

श्री मुनीन्द्र पाल सदस्य, विधान सभा द्वारा पीलीभीत की बस संख्या २२५५ के ड्राइवर एवं कन्डक्टर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न,

श्री रामगोविन, सदस्य, विधान सभा द्वारा गोरखपुर के ट्रैफिक कांस्टेबिल नं० २७३ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न,

श्री शत्रुद्ध प्रकाश, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित श्री गुलाब सेहरा, सदस्य विधान सभा के विरुद्ध सदन के कथित जाली अभिलेख प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री देवबहादुर सिंह--]

और चूंकि उक्त प्रश्नों पर सदन क ७ दिसम्बर, १९७८ के निर्णय के अनुसार समिति को अपने प्रतिवेदन वर्तमान वर्ष के बजट सत्र के अन्तिम दिन तक प्रस्तुत करना था और चूंकि ८ मार्च, १९७९ से प्रारम्भ होने वाले सत्र, जिसमें वित्तीय वर्ष १९७९-८० का आय-व्ययक प्रस्तुत किया गया और लेखानुदान पारित किया गया, का ६ अप्रैल, १९७९ से सत्रावसान हो गया है,

और चूंकि श्री सुखपाल पान्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित श्री गोकरण सिंह, अधिशासी अभियन्ता, डी० सी० यू०, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न २९ दिसम्बर, १९७८ को समिति को निर्दिष्ट किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २६८ के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति को अपना प्रतिवेदन २८ जनवरी, १९७९ तक प्रस्तुत करना था,

चूंकि श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न २२ मार्च, १९७९ को समिति को निर्दिष्ट किया गया था,

श्री मुकीमुर्रहमान, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित श्री औसान सिंह एवं श्री रणवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध तथा श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित श्री मुकीमुर्रहमान, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न २६ मार्च, १९७९ को समिति को निर्दिष्ट किया गया था,

और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २६८ के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत उपर्युक्त दोनों प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति को अपना प्रतिवेदन क्रमशः २५ अप्रैल तथा २५ अप्रैल, १९७९ तक प्रस्तुत करना था,

और चूंकि समिति उक्त अवधियों के भीतर उपर्युक्त सभी प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी है और समिति सदन की स्वीकृति की प्रत्याशी में माननीय उपाध्यक्ष की अनुमति से उक्त प्रश्नों पर अपना कार्य करती रही है,

अतः यह सदन निश्चय करता है कि विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान के उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि श्री देव बहादुर सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७९†

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७९ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७९ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बनारसी दास—

अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७९ को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, १९७९†

सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हरी किशन श्रीवास्तव)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, १९७९ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, १९७९ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, १९७९ को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७९†

सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हरी किशन श्रीवास्तव)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७९ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

---

†दिनांक ४ मई, १९७९ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७९ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७९ को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कार्य-स्थगन की जो ६ सूचनाएं थीं, उनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्यों मान्यवर ।

श्री अधिष्ठाता—

क्यों का जवाब मैं नहीं दे सकता । जो विषय मैंने पढ़ा ही नहीं और मेरे संज्ञान में नहीं आया, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता ।

*श्री देव बहादुर सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सुन लें ।

व्यवस्था की बात यह है कि कार्य-स्थगन का जो आइटम है अब आ रहा है और उपाध्यक्ष या किसी व्यक्ति ने इसको पहले ही कैसे रद्द कर दिया बिना विचार किए ? इसलिए हमारा तो अधिकार यह है कि जब विचार करने का समय आयेगा कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर, तब इसके औचित्य पर, गुण-दोष पर निरस्त कर सकते हैं या अग्राह्य कर सकते हैं, लेकिन बिना सदन में बताये अग्राह्य करना, यह नियम और प्रक्रिया के विरुद्ध है । कार्य-स्थगन प्रस्ताव उन दिनों में नहीं आते जब धन्यवाद का प्रस्ताव चल रहा हो या बजट प्रस्तुत कर दिया जाय और बजट पर चर्चा हो रही है । आज न तो बजट पर चर्चा हो रही है और न धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, इसलिए हमारा अधिकार है कार्य-स्थगन रखने का ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

आज यह विधान सभा का पहला दिन है और पहले दिन मुझे याद नहीं आता कि जब महत्वपूर्ण विषयों पर कामरोको प्रस्ताव बिना सुने इस प्रकार कह दिया गया हो कि अग्राह्य हो गया । यह बहुत आश्चर्यजनक है, श्रीमन्, स्वायत्त शासन विभाग में प्रदेश के हजारों कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, उस बारे में सारा शहरी क्षेत्र चिन्तित है उत्तर प्रदेश का, उसके बारे में एक कामरोको प्रस्ताव आपके पास है । नैनी हैवी कम्प्रेशर्स में गोली कांड हुआ, यह महत्वपूर्ण

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

घटना है, इसके बारे में जानकारी किसी कामरोको प्रस्ताव में है। आखिर जो महत्व का प्रश्न है, उसके बारे में ही तो कामरोको प्रस्ताव दिया जाता है? मेडिकल कालेज और बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में जो हड़ताल चल रही है, अकबरपुर में सूत मिल म गोली कांड हुआ उसके बारे में प्रियदर्शी जी का कामरोको प्रस्ताव ह। एक किशन लाल वर्मा जी के बारे में कामरोको प्रस्ताव है। अभी आपकी ओर से यह सूचना दी गई कि हमने कार्य स्थगन प्रस्तावों की अनुमति नहीं दी। मैं चाहता हूं कि ये सारे प्रश्न लिए जायं, उनको आप सुनें और इसे शासन से पूछें।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

आपको यह तो अधिकार है कि आप एक भी कार्य स्थगन प्रस्ताव न लें, लेकिन ६-६ जो प्रस्ताव आए और छहों आपको अस्वीकार हैं और यहां तक कि विषय तक नहीं बताया जाए, विषय तक की जानकारी सदन को न हो, यह अभूतपूर्व घटना है इस सदन की····।

श्री अधिष्ठाता--

एक-एक सूचना को लेकर आपको बताऊंगा।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, अभी तो ६ के ६ अस्वीकार कर दिये गये थे? एक मैंने भी दिया था। नियम भी है धारा ५६ से लेकर ६२ तक। आप स्वयं एक-एक माननीय सदस्यों से कहते कि बताओ, इस तरह से यह विषय आता। आपको अधिकार है कि आप अग्राह्य कर दें, हम सुनकर बैठ जाते, हमें सन्तोष हो जाता। हमने भी एक सूचना आपको दी थी। अभी २७ तारीख को ज्ञानपुर में एक घटना हुई, मुझे उसका दुख है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप दूसरी ओर जा रहे हैं। अब आप बैठिए।

२ मई, १९७९ के उपवेशन में कार्य स्थगन प्रस्ताव की कुल ६ सूचनायें प्राप्त हुयीं थीं।

१--श्री देव बहादुर सिंह--३१ मार्च, १९७९ को श्री चेतराम गंगवार, सदस्य, विधान सभा के साथ बरेली जिला अस्पताल में डाक्टरों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के सम्बन्ध में। यह अविलम्बनीय महत्व का नहीं है, ,सलिए इसको मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह--

श्रीमन्, मेरी एक बात तो सुन लें····।

(इस समय २ बजकर ५४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद पुनः पीठासीन हुए:)

अभी इसके बारे में विशेषाधिकार की बात चली। सदन में इसकी चर्चा हुई। इसमें सिर्फ इतना ही संबंधित था कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है या नहीं। काम रोको प्रस्ताव के मामले में हमने इसमें यह लिखा है कि मान्यवर, आवश्यकता से कम दवाई दी गई। जब वह कहने गये कि दवाई कम क्यों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देव बहादुर सिंह--]

दी गई तो इस पर विवाद हो गया । उन्हें मारा पीटा गया । उसके बाद पुलिस आई । पुलिस के सामने उन्हें मारा गया । उनकी घड़ी छीन ली गयी, जेब से पैसे निकाल लिये गय । इसके बाद थाने में रपट लिखाने गये कि दूसरों को गिरफ्तार किया जायगा इनकी गिरफ्तारी कर ली गयी। कितना दुख हुआ । त्याग-पत्र अपने पद का दिया है जिसकी प्रति आपके पास भी भेजी । इससे जितने विधायक हैं सब असंतुष्ट हैं । उनमें क्षोभ व्याप्त है ।

बरेली की जनता यह समझती है कि विधायकों की कोई गरिमा, कोई गौरव नहीं है । वहां के अस्पताल की यह परम्परा है । वहां पहले भी जो विधायक हमारे बहेड़ी के थे उनको भी मारा गया । आज भी वहां वही स्थिति है । अस्पतालों में गुन्डागर्दी की रक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं यहां । डाक्टरों में जो बाहरी लोग हैं, उद्दन्ड कर्मचारी बरेली अस्पताल में हैं क्या उनके बल बूते पर यह सरकार चलेगी ? जब तक विधायक असंतुष्ट हैं, उनमें क्षोभ व्याप्त है तब तक यह सरकार अच्छी तरह चल सकेगी ? हम चाहते हैं कि मुख्य मंत्री जी विधायक लोगों को कैसे संतुष्ट करेंगे । विशेषाधिकार के प्रश्न की बात मैं नहीं कहता । कौन सा कदम आप उठा रहे हैं मुख्य मंत्री जी इसकी जानकारी हमको दे दें । हम तो यह चाहते हैं कि इस प्रश्न को काम रोको प्रस्ताव के रूप में ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम ५६ के अन्तर्गत मैं नहीं समझता कि यह लिया जा सकता है इसलिए इसे अस्वीकार किया । इसके बारे में अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री श्यामधर मिश्र का दिनांक २७ अप्रैल, १९७९ को वाराणसी जिले के ज्ञानपुर तहसील के मुख्यालय पर विद्यार्थियों व पुलिस में ।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

झगड़ों के कारण यह प्रशासन से संबंधित होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, सुन तो लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसे अनावश्यक समझता हूं । आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं । आप इसे चर्चा का विषय क्यों बना रहे हैं । आप बैठें ।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, मैं कोई ऐसी चीज नहीं कहूंगा जो अमर्यादित हो । मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी का इज्जत करता हूं और वह बड़े सरल व्यक्ति हैं। जो घटना हुई है मैं उसकी निन्दा करता हूं । पी० ए० सी० ने वहां के विद्यार्थियों

को जो वकील क्लास था उनको घरों से निकाल-निकाल कर पटका, मारा। इसकी मैजिस्टोरियल जांच न हो तो न्यायिक जांच हो जाय। नहीं तो कमिश्नर से तो जांच कम से कम करायी जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

इसको मैंने निरस्त किया है। स्थानीय प्रशासन से संबंधित हैं। यह परम्परा रही है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां का है २० अप्रैल, १९७९ से सभी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों द्वारा आम हड़ताल किये जाने के संबन्ध में .. (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

पूरे शहर में गन्दगी फैली हुई है और जम्हूरियत के दावेदार इस सरकार के मंत्री ने कहा कि मजदूरों के नुमाइन्दों से बात नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसी सूरत आ रही है कि समझौता होने वाला हो तो आप इसे नामंजूर करते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं होता....

श्री उपाध्यक्ष--

यह स्वायत्त शासन से संबंधित है। इससे निपटने के लिए शासन कोशिश करेगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

निपटने की कोशिश करते तो मैं इसे वापस ले लूंगा। उनका बयान कल ही अखबारों में छपा है कि न किसी निलंबित कर्मचारी को वापस लिया जायगा। किसी मजदूर नेता से बात की जायेगी। इतना बड़ा प्रदेश है, लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ हो रहा है। मजदूरों की जिन्दगी से, आम नागरिक की जिन्दगी से खिलवाड़ हो रहा है। बीमारियां फूट निकली तो क्या होगा ? इसे आप मंजूर कर लें ताकि इस पर विचार हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

इसी सिलसिले में कृष्णवीर कौशल जी का नम्बर ५ पर प्रस्ताव है। इसे भी मैंने अस्वीकार कर दिया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

पूरे प्रदेश की नगरपालिकाओं की यह समस्या है। अगर आप कामरोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं तो कम से कम सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये स्वायत्त शासन मंत्री या मुख्य मंत्री जी को यह निदेश दे दें कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी को निदेश देता हूं कि सदन में वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य शीघ्रातिशीघ्र दे दें।

(श्री बनारसी दास के खड़े होने पर)

श्री देव बहादुर सिंह--

बड़ी खुशी की बात है कि माननीय नेता सदन खड़े हुए हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि सभी प्रस्तावों के सिलसिले में वह सरसरी तौर पर बयान दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

सब विषय पर नहीं।

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में जानकारी

*श्री मुख्य मंत्री (श्री बनारसीदास)--

पहले तो मैं नियम ५९ की ओर माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। उसमें लिखा है कि एक दिन में एक ही प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। श्री श्यामधर जी यहां परिषद् की परिपाटी अपनाना चाहते हैं। अगर यह मान लिया जाय तो यहां ४२६ सदस्य हैं, मंत्री परिषद् के सदस्य आप निकाल दें। अगर प्रत्येक सदस्य एक कामरोको प्रस्ताव दे दे, प्रत्येक पढ़ कर फिर सुनाया जाय तो मेरा ख्याल है कि एक दिन का समय भी काफी नहीं है और इसके लिये सदन का समय बढ़ाना होगा। इसलिये नियम यह है कि पहला जो प्रस्ताव हो उसकी ग्राह्यता पर विचार कर लिया जाय। जहाँ तक नगरपालिकाओं के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का सम्बन्ध है उनसे अपील की गयी है कि हड़ताल वापस ले लें तो उनके खिलाफ कोई भी प्रतिशोधात्मक कार्यवाही नहीं होगी। कई नगरपालिकाओं में काम जारी भी हो गया है। कानपुर में जिलाधीश से भी और वहां के कर्मचारियों से बातचीत की गयी और हमारे सहयोगी हरी किशन श्रीवास्तव खास तौर से दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन हड़ताल के बारे में सूबे भर में क्या स्थिति है इस बारे में स्वायत्त शासन मंत्री जी ही बतलायेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मांगें क्या हैं?

श्री बनारसी दास--

जो मांगें थी उनमें से ३ तो स्वीकर कर ली गयीं। जैसे उनके कपड़े धोने की बात थी। जो मुख्य मांग है वह यह है कि उनका अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन हो। जब वक्तव्य आयेगा तो पूरी तौर से इस पर प्रकाश डाला जायगा। आप जानते हैं कि यह आदेश सरकार द्वारा निकाला जा चुका है किसी भी स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का जो वेतन होगा वह ५० प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। जितना वेतन है उसका नगरमहापालिका के कर्मचारियों के वेतन का २३ प्रतिशत, नगरपालिकाओं में २५ प्रतिशत तथा टाउन एरियाज के वेतन का २२ प्रतिशत सरकार वहन करती है। तो प्रदेशीय सरकार के लिये यह मांग सिद्धान्ततः ठीक होते हुए भी यह मानना कि वेतन समान होगा, मैं समझता हूं ठीक नहीं है क्योंकि जहां तक वेतन का प्रश्न है यह तो स्थानीय निकायों का उत्तर दायित्व है कि वह अपने संशोधन जमा करें। सरकार एक तो वेतन का भाग देती है और दूसरे सड़कों को देखती है। इसलिये स्वायत्त शासन मंत्री ने प्रयास किया है कि वह.... (व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मेरा एक लाइन का सवाल है... क्योंकि आप जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायें। जब वे बैठ जायें तब आप अपना सवाल कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मेरा सवाल यह है कि क्या स्थानीय निकायों के कर्मचारियों से १४ जनवरी, १९७८ को सरकार ने कोई समझौता किया था ? यदि हां, तो उसके अनुपालन में क्या दुश्वारी हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता। उन्होंने आदेश दिया है कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देंगे ....

श्री बनारसी दास—

मैंने यह नहीं कहा .. . (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

प्रदेश में तमाम हरिजन मजदूर हैं, बाल्मीकी हैं परसों कई जगहों पर लाठी चार्ज हुआ है। मान्यवर, आप हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिये। इस तरह से कैसे काम चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। आप अपनी बात कह चुके हैं, क्यों फिर दुहरा रहे हैं... (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य जो कुछ बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा।

स्वायत शासन मंत्री (श्री रामाधार पान्डेय)—

मान्यवर, मैं तथ्यों से अवगत करा देता हूं। मुझे पूरे फैक्ट्स मालूम हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी सभी तथ्यों से मालूम हमें करा देंगे ? क्योंकि जैसा मैंने निवेदन किया था और गाजीपुर का विशेष नाम लिया था। इसी तरह पूरे प्रदेश में बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज हैं जहां हड़ताल चल रही है। इसलिये

नोट—[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री ऊदल—]

अगर मंत्री जी के पास पूरे तथ्य मौजूद हों तो वे बतायें कि हड़ताली लोगों के साथ सरकार की क्या बात हुई है और इन कर्मचारियों की मांगें सरकार को मान्य हैं अथवा नहीं तथा हड़ताल समाप्त करने के सम्बन्ध में सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

नियम ५६ में जो आपके पास नोटिस है उनको सुनने के बाद मंत्री जी जवाब दें तो अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह पूरे प्रदेश का मामला है । यदि माननीय मंत्री जी चाहें तो वे इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दे दें । वैसे मैंने इसको अस्वीकार किया है । यह चर्चा का विषय नहीं है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

१४ जनवरी को एक समझौता हुआ था. .

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें । (व्यवधान)

श्री रामाधार पान्डेय—

मान्यवर, इस प्रदेश में ३ यूनियनें हैं जो स्वायत्त शासन में काम करती हैं । एक तो पंच नगरी कर्मचारी संघ है जो ५ नगर महापालिकाओं तक ही सीमित है । दूसरा स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ है जो कहते हैं कि उनके सदस्यों की संख्या ६७३ लोकल बाडीज में फैली हुई है । तीसरा उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर महासंघ है । जो कहते हैं कि हम भी पूरी स्वायत्त शासन संस्थाओं में अपनी यूनियन रखते हैं । सफाई मजदूर महासंघ की कोई मांग नहीं थी और उनका बयान भी आ चुका है कि वह हड़ताल के साथ नहीं हैं । इसलिए उनके प्रति कोई विवेचना देने की बात नहीं है । (व्यवधान) या तो आप बात कर लीजिये या फिर हमें सुनें ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

यह गलत कहते हैं नहीं सुनेंगे ।

श्री रामाधार पान्डेय—

आपको सुनना पड़ेगा जितनी ट्रेड यूनियनों का नाम आपने सुना है उससे ज्यादा ट्रेड यूनियनिज्म में कर चुका हूं । जब मैं मंत्री हुआ तो उस समय १८ ट्रेड यूनियनों से संबद्ध था । आप की तरह ५ यूनियनें कागज में बनाकर नहीं आया हूं । (व्यवधान) चुपचाप रहिये, जरा सुन लीजिये । (व्यवधान) मान्यवर, कृपा कर इन्हें शांत करायें ।

श्री उपाध्यक्ष—

शांति पूर्वक सुनें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामाधार पांडेय--

अब दो यूनियनों का झगड़ा बचा एक तो पंचनगरी कर्मचारी संघ और दूसरा स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ पंचनगरी कर्मचारी संघ ने १४ तारीख को यहां प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन में मैं खुद गया और उनको संबोधित किया उनसे मेरी वार्ता हुई। १७ तारीख से हड़ताल का नोटिस दिया था। १५ तारीख को अधिकारियों से वार्ता हुई और १६ को मेरी उनसे वार्ता हुई जो ८ घंटे हुई। तमाम बातें हुई जिसमें खास मुद्दे यह थे कि जो समझौता रेशनालाइजेशन के बारे में या छुट्टी के इनकैशमेंट के बारे में या रेगुलराईजेशन आफ टेम्पोरेरीज इम्पलाइज के बारे में निर्णय हुआ है उसका ६ सप्ताह या दो महीने में इम्पलीमेंटेशन करा देंगे। यह भी तय हुआ कि जो आदमी २४० दिन लगभग काम किये हैं उनको भी ६ हफ्ते के अंदर रेगुलर कर देंगे। एक मुद्दा यह भी था कि उसकी तनख्वाह जो जिला स्तर के कर्मचारी हैं उनके साथ इक्वेल कर दी जाय या उनको ७३ से जो डिफरेंस आफ सेलरी है उसका इनकैशमेंट करा दिया जाय। इसमें हमने असमर्थता व्यक्त की कि ७३ के बाद का जो पैसा है उसको नहीं दे सकते हैं क्योंकि यह पैसा शासन को नहीं देना है उसको स्वायत्तशासी संस्थाओं को देना है। इस प्रकार जिनके ऊपर साढ़े चार करोड़ तनख्वाह का बाकी है कहीं १८ महीने, कहीं २२ महीने और कहीं २३ महीने बनता है। मैंने यह भी अर्ज किया कि ७ करोड़ रुपया प्राविडेंट फंड का स्वायत्त शासन संस्थायें बांट चुकी हैं और साढ़े तीन करोड़ रुपया जो हमने अनुदान के रूप में दिया था नहर, नालियां तथा सड़क बनाने के लिए भी वे तनख्वाह में बांट चुकी हैं जिससे प्रगति का काम रुक चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिये। इस हिसाब से साढ़े १२ लाख रु० सरकार के ऊपर बोझ आता था। बुनियादी तौर पर इस चीज का समझौता हो गया कि ४ सौ रुपया तक सेलरी पाने वाले इम्पलाइज जो हैं उनसे जिला स्तर के कर्मचारियों के बराबर पहली नवम्बर, १९७९ को तनख्वाह कर देंगे और वह लागू तभी होगा जब वित्त विभाग से स्वीकृति मिल जाय। इन शर्तों पर उन्होंने कहा कि हम हड़ताल १७ तारीख से नहीं करेंगे। पंचनगरीय महापालिका के कर्मचारी या उनकी यूनियनों के सदस्य कहीं भी हड़ताल पर नहीं हैं। दूसरे महासंघ ने जो नोटिस दिया था उसमें तारीख २० दी थी। १७ तारीख को उनका प्रदर्शन हुआ जिसमें मैं नहीं जा सका मगर उनके प्रतिनिधि रुके हुए थे और १८ ता० को मेरी दिन भर बात हुई और आखिर में उनसे यह तय हुआ कि जो उनकी मूल मांगें थीं--डेढ़ रुपया धुलाई, दो रुपया टोकरी और झाड़ू और डोरों का ७५ रुपया जो भत्ता दिया जाता है, उसको बढ़ाया जाए, उसे हमने स्वीकार कर लिया और उनके बारे में हमने कहा कि इसे तत्काल डेढ़ से दो रुपया से ६ रुपया और ७५ रुपया से १०० रुपया किया जाता है और यह निर्णय १ अप्रैल से लागू हो जाएगा। दूसरी मांगों को भी मान लिया हमने। जैसे उनकी रेगुलराइजेशन की जो मांग थी, उसको मान लिया और कह दिया कि २४० दिन की सर्विस वाली बात जो सबके साथ है, उस शर्त के साथ उनका भी रेगुलराइजेशन हो जाएगा। जो दूसरी बातें थीं कि छुट्टी के दिन जो काम किया हो, उसे भी मान लिया और कह दिया कि छुट्टी के दिन काम करने पर दूसरे दिन छुट्टी दे देंगे या उस दिन का पैसा दे देंगे। तो इस प्रकार ५ मुद्दों पर उनके साथ समझौता हुआ था। किन्तु इनकी पांचवीं--पे समानता वाली बात को आर्थिक कारणवश हम एकदम से स्वीकार करने में असमर्थ थे। क्योंकि जितनी स्वायत्तशासी संस्थाओं की कमाई है, उसका ११० सैकड़ा इनकी सेलरी पर खर्चा है। कहीं-कहीं पर २० हजार जहां आमदनी है, तो खाली इनकी तनख्वाह पर ८० हजार का खर्चा है। तो विकास के काम तो बिलकुल गये, वे कहां से हो।

[श्री रामाधार पान्डेय—]

जैसे मैंने कहा डेढ़ करोड़ प्राविडेन्ट फन्ड का और साढे तीन करोड़ रुपया विकास कार्यों का हम इनको बांट चुके हैं। इसलिए मैंने इनसे कहा है कि यह देना हमारे लिए सम्भव नहीं होगा किन्तु शर्त यह है कि सिद्धान्त रूप से हम इसे मानते हैं कि ४ सौ रुपया तक मासिक वेतन पाने वाले जिला कर्मचारियों के बराबर इनकी तनख्वाह करनी चाहिए। हमने कहा इसके लिए हमें रिपोर्ट लेनी होगी कि ५० परसेंट स्टाफ पर कितनी सैलरी होती है और बाकी कर्मचारियों की हमें फर्स्ट कम फर्स्ट गो की शैली पर मजबूरन छटनी करनी होगी, इसलिए आप इस पर खूब सोच लीजिए और हम भी तमाम स्वयत्तशासी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति के बारे में चार्ट मंगा लें और १५ दिन के अंदर हम फिर आपसे बात करेंगे। वह सब बात मान गये और कहा कि अच्छा अब २० तारीख से प्रस्तावित हड़ताल नहीं होगी। मैंने उन्हें यह भी इंगित कर दिया था कि हमारे मंत्रिपद संभालने से पहले, फरवरी, १९७९ में एक आदेश सरकार ने निकाला था कि स्वयत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवायें आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत आती हैं, अतः उनको हड़ताल से मना किया जाता है। यह प्राविधान भी आपके ऊपर लागू है, यह भी आपको मानना होगा, यदि कहीं फिर भी गलती होगी तो तदनुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसलिए आप उन्हें आवश्यक सूचना भिजवा दीजिए कि कहीं हड़ताल नहीं होगी। इस संबंध में मैंने भी एक प्रेस-नोट दिया और उन्होंने कहा कि हम भी ऐसी सूचना दे देंगे और आप अब हमें छुट्टी दे दीजिए। खेद है कि फिर भी चन्द जगहों पर हड़ताल हुई। नगरमहापालिकाओं में कानपुर के कर्मचारी हड़ताल पर गये और विशेषकर सफाई मजदूर इसमें इन्वाल्वड हैं और आफिस स्टाफ में आज की तारीख में करीब-करीब नार्मल सिचुवेशन है। इसके अलावा जो शहर ज्यादा एफेक्टेड हैं, वे सीतापुर, मेरठ, रायबरेली, गाजीपुर, बलिया व मिर्जापुर आदि रहे हैं। इस तरह के १० शहर हैं। अब बलिया व मिर्जापुर में हड़ताल समाप्त हो गई है और गाजीपुर में भी आज की सूचना के अनुसार समाप्त हो गई है।

श्री सत्य पाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

शाहजहांपुर में क्या है ?

श्री रामाधार पान्डेय—

वहां पार्शियल है।

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

आपका स्टेटमेंट कतई गलत है, वहां पूर्णतया हड़ताल चल रही है..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी का आप लोग बयान तो सुनिये।

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

आप धमकाते क्यों हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप क्या चाहते हैं कि वह पूरा वक्तव्य न दें ?

(शोर के मध्य)

शोर के मध्य—

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

मर्यादित ढंग से बोलें। वह धमकी दे कर, सदन को धमका कर हम लोगों को न सम्बोधित करें। हम नगरपालिकाओं के नौकर नहीं हैं। हमारी भी मर्यादा है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

माननीय दीक्षित जी, धैर्य के साथ सुनिए।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

माननीय मुख्य मंत्री जी, आप शान्त वातावरण बनाएं।

श्री उपाध्यक्ष—

स्वायत्त शासन मंत्री, आप लिख कर एक बयान कल दे दें, जब कल आपको मौका मिले।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

आज ही बतलाएं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बतलाने देते नहीं। आप उठ कर खड़े हो जाते हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

बोलने तो आप नहीं दे रहे हैं। हम सुनना चाहते हैं लेकिन आपने पहले अस्वीकार कर दिया हालांकि माननीय मुख्य मंत्री बोलना चाहते थे, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री भी बोलना चाहते थे, इसमें हरिजनों, छोटे स्तर के लोगों के ऊपर समस्या है। कानपुर में उन पर डंडे बरसाये गये हैं, आप उनकी दशा की कल्पना नहीं कर सकते। मुझे एक ऐतराज है यह झूठी खबरें देर (घोर व्यवधान)

(कुछ सदस्यों के खड़े रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आपको बैठ जाना चाहिए जब मैं खड़ा हूं।

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी अपना वक्तव्य दे रहे हैं। काफी यह किस्सा बता चुके हैं। कुछ और सूचनाएं जो उनके पास हैं, नगरपालिकाओं के बारे में वह दे रहे हैं। सुन तो लें। अवरोध पैदा करेंगे तो सदन का समय नष्ट होता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी वक्तव्य दे रहे हैं । व्यवस्था का प्रश्न यह है कि एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आपके सामने उपस्थित हुआ उसको आपने मामंजूर कर दिया । लेकिन समस्या की गम्भीरता को देखते हुए आपने, उससे मैं भी सहमत हूं, स्थिति विस्फोटक है, आपने अहसास किया और उसके बाद माननीय मंत्री को निर्देश दिया कि वक्तव्य दे दें । मैं जानना चाहता हूं कि वक्तव्य किस नियम में है । माननीय सदस्यों और मेरे मन में आशंका पैदा हो रही है । क्या वक्तव्य के बाद आप स्पष्टीकरण का मौका देंगे या नहीं ? मेरा सुझाव यह है कि नियम ५१ की भी सूचनाएं आयी होंगी । स्वायत्त शासन मंत्री जी आज ही चार बजे तक लिखित वक्तव्य दे दें और सदस्य उसका अध्ययन करके स्पष्टीकरण मांग ले तो विधिवत् चर्चा हो जायगी । यह बात सही है कि कई सूचनाएं जो मंत्री जी ने दी हैं वे गलत हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि एक लिखित वक्तव्य दिला दें । हम उसका अध्ययन कर लें और स्पष्टीकरण कर लें । स्थिति साफ कर ली जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

यही मैंने कहा । जो आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया सरकार अपनी तरफ से कोई वक्तव्य इसी समय दे सकती है । उसमें रूकावट नहीं डाली जा सकती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप स्पष्टीकरण का मौका देंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

स्वायत्त शासन मंत्री जी, उपयुक्त यह होगा यदि आप लिखित वक्तव्य कल दे दें ।

एक सदस्य--

आज चार बजे तक ।

श्री उपाध्यक्ष--

आज चार बजे तक तैयार नहीं हो सकता । कल लिखित वक्तव्य आप दे दें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

चर्चा के लिए रखें इसको ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो नोटिस देने के बाद होगा । तब उस पर विचार किया जायगा । इस समय वक्तव्य वह देंगे । प्रदेश की गम्भीर समस्या है उसके बारे में, उसके महत्व को देखते हुए वह वक्तव्य दे देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--आप लिखित वक्तव्य दे दें तो अच्छा रहेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामाधार पान्डेय--

कल में ३ बजे अपना वक्तव्य दे दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसको मैंने स्वीकार किया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

बड़ी मेहनत से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी वक्तव्य दे रहे थे । उनकी सहायता के लिए अगर चर्चा हो जाय तो अच्छा रहेगा । यह बड़े महत्व का विषय है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं निश्चित करूंगा कि आपको किस समय वक्तव्य देना है ।

श्री रामाधार पान्डेय--

कल ३ बजे दे दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो कार्य सूची होगी, उस में इस के लिए समय निर्धारित किया जायेगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

२ घंटे की चर्चा रख लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब दो शेष रह गये हैं, वे अनिश्चित होने के कारण तथा अविलम्बनीय महत्व के न होने के कारण मैंने उनको स्वीकार नहीं किया है ।

श्री मन्जूर अहमद--

चर्चा का टाइम और निर्धारित करा दीजिए ।

उत्तर प्रदेश जाति प्रथा उन्मूलन विधेयक, १९७८ (क्रमागत)†

श्री उपाध्यक्ष--

श्री शम्भू नाथ जी आप इस पर बोल रहे थे । इसलिए आप अपना भाषण जारी करें ।

*श्री शम्भू नाथ (जिला जौनपुर)--

माननीय अधिष्ठाता जी, इस समय साढ़े तीन बजे हैं जब मैं अपना भाषण प्रारम्भ करने जा रहा हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश म वर्ग स्तर पर पिछड़ा वर्ग मानकर आरक्षण समाप्त किया जाना चाहिए ।

(इस समय ३ बजकर २८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बीरेन्द्रपति यादव पीठासीन हुए ।)

---

†२३ मार्च, १९७९ की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शम्भू नाथ—]

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह परा रह गया तो यह बिल पास नहीं हो सकता है। घोषित नीति के अनुसार आरक्षण किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया। जिस निर्णय के विरुद्ध शासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और यह इस समय सबजुडिस हैं। ऐसी हालत में पहले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को देख लेना चाहिए और सभी लोग उस ओर देख रहे हैं। तो इस हाउस में कोई चीज डिसकस नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर यह क्लाज इस बिल में रहा तो हाउस काम्पीटेन्ट नहीं है कि इस पर वह चर्चा करे, पास करने की तो दूसरी बात है।

अधिष्ठाता महोदय, इसके व्यवस्थात्मक खंड (२) में कहा है कि राज्य के विवेकाधीन वर्गीकरण की शक्ति का प्रयोग, धनी वर्ग और निर्धन वर्ग के रूप में किया जायेगा। इन्होंने इसका आधार आर्थिक पिछड़ापन लिया है। जबकि इसका कारण सामाजिक है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया)—

सदन में लिखित भाषण पढ़ने की परम्परा नहीं है। माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं।

एक सदस्य—

क्या कह रहे हैं यह समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया माननीय सदस्य को शान्ति के साथ सुनें।

श्री शम्भू नाथ—

मैं बिल से पढ़ रहा था, लिखित भाषण नहीं है।

(व्यवधान)

इस बिल को पेश करके माननीय सदस्य ने जो विद्वता दिखाई है उससे संविधान की बहुत सी धाराओं का उल्लंघन होता है। संविधान में ट्राइबल्स की जो परिभाषा दी गयी है मैं पूछता हूं कि क्या इस बिल से उसका उल्लंघन नहीं होता ? मैं इसलिये इस बिल का विरोध करता हूं। इसमें आपने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ धर्म मूलवंश, जाति, वर्ण, रंग, लिंग जन्मस्थान के आधार पर किसी प्रकार का वि ेद नहीं किया जायेगा। यह भी केन्द्र द्वारा बनाये गये कानन में है, इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री शम्भू नाथ—

आपने दंडात्मक खंड में जो खंड ४ (२) जोड़ा है कि ७ वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी जायेगी, इसका भी प्राविधान पहले से ही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स इस पर हो चुकी हैं। गलत प्रमाण-पत्र देने वाले

के खिलाफ सजा का प्राविधान पहले से ही है और इसके लिये कानून बना हुआ है । इसलिये इसको भी लाने की जरूरत नहीं है ।

एक बात और मैं माननीय चतुर्वेदी जी से कहूंगा । वे अपने ही नाम को देखें, वे अपने नाम के आगे शब्द "चतुर्वेदी" लिखते हैं । वे खुद क्यों नहीं उस शब्द को हटाते ? इस बिल को पेश करते वक्त तो वे अपने नाम से इस शब्द "चतुर्वेदी" को हटा दें ।

लेकिन मैं चतुर्वेदी से यह कहना चाहूंगा कि ३० वर्ष की आजादी के बाद इन्होंने धारा ३३५ का भी उल्लेख किया है और यह भी कहा है, जरा सा इसको पढ़ें । आप देख इसमें इन्होंने कहा है कि १० वर्ष, २० वर्ष और ३० वर्ष तक आरक्षण बढ़ता गया है, जोकि स्पष्टः मूल संविधान निर्माताओं की मंशा के यह विपरीत है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री शम्भू नाथ—

मैं चतुर्वेदी जी से अनुरोध करूंगा कि जिस समय संविधान बन रहा था, उस वक्त संविधान नेताओं द्वारा बैठ कर सोचा गया था कि यह सारी बुराइयां १० वर्ष में दूर हो जायंगी, परन्तु चतुर्वेदी जी जैसे व्यक्ति जोकि राजनीति में बैठे हुए हैं बाहर बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अन्दर से जड़ काटने की बात करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री शम्भू नाथ—

आप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी-अभी ४ दिन पहले वित्त विभाग ने एक आडीटर को आफिसर की जगह पर प्रोमोट किया, जहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट का सवाल है, वहां पर रिजर्वेशन और प्रोमोशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फसला उनके पक्ष में है । लेकिन आप उसको एकदम मटियामेट कर देना चाहते हैं । आप सरकार के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं । पहले मंशा यह थी कि १० वर्ष में सबको बराबर कर दिया जायगा, लेकिन उतने समय में हम कर नहीं पाये हैं और देश की पुकार है, यहां की जनता की आवाज है, जिसके कारण आज ऐसा करने को मजबूर हैं और मैं ऐसा मानता हूं अधिष्ठाता महोदय, कि इस तरह की घुसपैठी अगर कायम रही, तो वह ३० वर्ष नहीं, ३०० वर्ष तक भी आवश्यकता होगी, तो वह आरक्षण रहेगा, जो सामाजिक विषमता के नाम पर बराबर अपने हक से दूर किया गया है, वह हक लेकर रहेगा और वह आरक्षण चलेगा ।

श्री मख्तार अनीस (जिला सीतापुर)—

जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसको आप समझ पा रहे हैं माननीय अधिष्ठाता महोदय ।

श्री अधिष्ठाता--

यह शब्द मैं समझता हूं कि आपत्तिजनक है, भविष्य में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए । अगर ऐसा हुआ, तो मुझे चेतावनी देना पड़ेगा ।

श्री शम्भू नाथ--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो हमारे अनीस भाई मंत्रि-मंडल से हट गये हैं और अब वह किस रास्ते पर हैं, मैं खुद भी इसको नहीं समझ पाया हूं । चूंकि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए । इसके लिए मैं चतुर्वेदी जी से प्रार्थना करूंगा कि इससे इस देश का और जनता पार्टी का खासकर फायदा है ।

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

डाक्टर राकेश जी ने यह विधेयक जिस भावना से प्रेरित होकर, जो इन्होंने प्रस्तुत किया है, यह समझ में नहीं आया । मैं समझता हूं कि उनकी समझ से भी यह बाहर की चीज है । आपने कहा, उत्तर प्रदेश जाति प्रथा उन्मूलन विधेयक, १९७८ । श्रीमन्, जब इस दृष्टिकोण से हम विचार करेंगे, तो हमारी दृष्टि जायगी, पहले जाति प्रथा पर, कि शुरूआत कहां से हुई । हिन्दुस्तान की जाति का विश्लेषण में बता देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की आदिम जाति को उन्होंने आकर हराया और उन्होंने एक प्रथा को जन्म दिया । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार भाग पहले किये गये । इसके बाद शूद्रों को कई जातियों में बांट दिया गया । तीन श्रेणियों में कोई विभाजन नहीं हुआ यह इसलिए कि उनकी शक्ति क्षीण हो जाय और वे सदा-सदा के लिए उन पर राज्य शासन करते रहें । अभी हमारे एक प्रश्न का जवाब आया कि वर्ग १ और २ में कितने राजपत्रित आधिकारी हैं और उनमें हरिजन और पिछड़ी जातियों की संख्या क्या है । इसमें गत ३ वर्ष में ३९५० हरिजन हैं और मात्र २९८ पिछड़ी जाति के । इतना संरक्षण देने के बावजूद यह हाल है । मैं कहूंगा कि जिस डाक्टर अम्बेदकर ने यह संविधान बनाया था उनका लक्ष्य था कि १० वर्ष में २० सैकड़ा जो आबादी है हरिजनों की, उनको नौकरी दिला देंगे लेकिन आज १९७९ समाप्त हो रहा है, हरिजनों की संख्या नौकरियों में वर्ग १ में ७.४ ही है ।

मान्यवर, इनका कहना है कि अहीर क्यों शामिल हैं, कुर्मी, काछी क्यों शामिल हैं । तो आंकड़े आप देख लें । अहीर की आबादी उत्तर प्रदेश में ६ प्रतिशत, ब्राह्मण ७ प्रतिशत हैं । वर्ग एक में पिछड़ी जातियों को १.२ तथा वर्ग २ में ४.१ प्रतिशत नौकरी में स्थान है । उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ३० सैकड़ा से कम किसी भी नौकरी में नहीं हैं । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों के लोग ५५ सैकड़ा, २० सैकड़ा हरिजन और अन्य का प्रतिशत १० सैकड़े के लगभग है । तो यह नक्शा है उत्तर प्रदेश का । जो १६ सैकड़ा लोग हैं वे कुर्सी पर बैठे हैं । ८०, ९० सैकड़ा जो लोग हैं आज उनको १२ सैकड़ा कुर्सी नसीब नहीं है । स्थिति जब यह है तो समता कैसे लायी जायेगी और जाति प्रथा कैसे समाप्त होगी ?

श्रीमन्, अगर चतुर्वेदी जी इस विधेयक में यह कहते कि जाति प्रथा समाप्त न होने का सबसे बड़ा कारण है धन या संपत्ति, तो उचित होता । जाति प्रथा को समाप्त करने के लिये संपत्ति का महत्व खत्म करना होगा । इसके अलावा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन, विलोम विवाह जबकि राकेश जी की लड़की और शंभू नाथ चौधरी का लड़का, यह विलोम विवाह है। मान्यवर, बुरा न मानेंगे इसका मैंने उद्धरण दिया है बुरी नीयत से नहीं दिया। हमारी लड़की आपका लड़का हो ऐसे विलोम विवाह होने चाहिये। विलोम विवाह का प्रचलन होना चाहिये लेकिन इसका भी इसमें जिक्र नहीं है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ी जातियों के लिये १५ सैकड़ा का आरक्षण दिया, मैं डाक्टर लोहिया का सैनिक रहा हूं, उन्होंने ६० सैकड़ा की नीति अपनाया थी। उसमें औरतों को भी शामिल किया गया था। लेकिन हमको मालूम नहीं होता है कि औरतों और हरिजनों को आज शामिल किया गया है। तो मेरा कहना है कि अगर जाति प्रथा को खत्म करना है तो डाक्टर लोहिया के सिद्धांत पर चलना होगा।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य अब केवल ५ मिनट बोलेंगे।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

डाक्टर लोहिया का कहना था कि नौकरियों में, सार्वजनिक क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में पिछड़ी जातियों और औरतों को स्थान मिलना चाहिये। पूज्य गांधी जी ने और लोहिया जी ने जाति प्रथा पर गहरा प्रहार किया है। उनकी मान्यता थी कि जब तक पिछड़ी जातियों और दबे हुये लोगों और हरिजनों को नौकरियों में नहीं लाया जायगा तब तक नया इंसान और नया हिंदुस्तान नहीं बनेगा। अब मैं नहीं जानता कि भाई राकेश चतुर्वेदी ऐसी बात की कल्पना करते हैं कि नहीं। मैं तो कल्पना करता हूं कि हिंदुस्तान में जो ६२ करोड़ लोग रहते हैं, हिंदुस्तान को बनाने या बिगाड़ने में साझेदार ६२ करोड़ की हो। योग्यता का विकास जो मात्र मुट्ठी भर लोगों की बात रही है वह हिंदुस्तान के १०० सैकड़ा जो लोग हैं उनमें होना चाहिये तो मैं आज भी कहता हूं कि जिस दिन हिन्दुस्तान की योग्यता का विकास १०० सैकड़ा से पैदा होगा उस दिन चीन हमारे मुकाबले में हार जायेगा और दुनिया में हिन्दोस्तान दूसरी शक्ति के रूप में साल भर में बन जायेगा। लेकिन इस प्रकार का कोई विधेयक में जिक्र नहीं है। इसलिए नौकरी, जातिप्रथा समाप्त करने की एक कड़ी है। जब हरिजन लोग गरीबी में रहेंगे और कुर्सी में नहीं बैठेंगे तो अन्तर्जातीय शादी कौन करेगा। इसलिये यदि परिवार में एक भी आदमी हरिजन या पिछड़ी जाति का अच्छा नहीं रहता तो कोई उनके साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं करेगा। इसलिये इस विधेयक को माननीय सदस्य को वापस लेना चाहिये। इसके साथ ही मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, राकेश जी का जो यह विधेयक है वह बचकानी समझ का परिचायक है। इससे देश का नुकसान होता है। मैं नाम नहीं लूंगा। गृहमंत्री महोदय जिस लाइन पर प्रदेश के टुकड़े-टुकड़े करना चाहते थे और देश बरबादी पर जा रहा था उसी तरह का यह विधेयक राकेश जी लाये हैं। मान्यवर, मिलना इससे कुछ नहीं है। शम्भू नाथ चौधरी जो बोल रहे थे तो मुझे लगा कि उनमें कोई समझदारी नहीं है। एक और चौधरी जो बोल रहे थे तो वह क्या बोल गये, मैं नहीं समझ सका।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

समझदारी का फेर है ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, यहां पुराने और नये दोनों सदस्य हैं । कुछ पुरानी सरकार में भी रहे हैं । १५ साल तक भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार ने अपनी जड़ जमाने की कोशिश किया था और इसमें १५ प्रतिशत रिजर्वेशन हरिजनों का किया । वही प्रगतिशील सरकार उन्हीं कदमों पर चल रही है । १५ प्रतिशत हरिजन में एम०एल०ए०, एम० पी०, मंत्रियों और सचिवालय के अधिकारियों के लड़के, कलेक्टर के लड़के जो हरिजन हैं उनके बेटों को इसमें नौकरी मिलती है । मैं पहले ही इस पर कहना चाहता था । मैं पूछना चाहता हूं राकेश चतुर्वेदी जी से कि क्यों आपका दिल टूट रहा है ? क्यों आप विष बो रहे हैं । सत्ता के लिए विष बोने की प्रक्रिया को आपने देख लिया । हम चैलेंज करते हैं--जब आप गांव जाते हैं तो वहां की स्थिति को देखें--वहाँ किसी भी गरीब के बच्चे को चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती । कांग्रेस की भूतपूर्व प्रधान मंत्री-इन्दिरागांधी--जो हरिजनों के लिये चिल्लाती रही, लेकिन हरिजनों को १५ प्रतिशत क्या ५ प्रतिशत भी नौकरी नहीं मिल सकी । इतनी बड़ी आबादी में जो अच्छी तादाद में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये नौकरी दे देंगे ? इनके पास कोई व्यवस्था नहीं, कोई रोजगार नहीं और २६ प्रतिशत आरक्षण करेंगे ? मैं तो कहूंगा कि जो दिवालियापन अपनी अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिये जातियों का बंटवारा करके भूतपूर्व सरकार की प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने किया था, वही आप भी कर रहे हैं ।

हरिजन-हरिजन करके जहां हरिजनों की इतनी बड़ी पिटाई हुयी, उसकी कोई सीमा नहीं । सबसे ज्यादा उत्पीड़न कांग्रेस हुकूमत में हरिजनों का हुआ । इसका जीता-जागता उदाहरण है । हमारे यहां जाति का डिवीजन नहीं होना चाहिये । शम्भू नाथ चौधरी जी जरा इधर मुखातिब हों । जब हमारे यादव जी भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे, एक गांव में यादव की ऐसी पिटई हुयी, उसकी कोई सीमा नहीं और कहते हैं कि नौकरी देंगे । शम्भू नाथ चौधरी जी ने कहा कि अगर नौकरी में पिछड़ी जाति के लोग पहुंच जाते हैं, तो बड़ा फायदा हो जाता । नया हिन्दोस्तान हो जाता, नया इन्सान हो जाता । माननीय शम्भू नाथ चौधरी स्वर्गीय लोहिया की ओर घूम रहे हैं । मान्यवर, जितने सोशलिस्ट हैं, वे स्वर्गीय लोहिया जी को बेच खा रहे हैं जैसे कि कांग्रेसियों ने गांधी जी को बेच खाया ।

श्री अधिष्ठाता--

किसी पर आक्षेप नहीं होना चाहिये ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

अगर उसी नक्शेकदम पर चलते रहे तो तीन साल बाद कोई भूजे के लिये भी पूंछने वाला नहीं । मैं बताऊं मुझे याद है भूतपूर्व मुख्य मंत्री मेरे सरहद के पास के हैं जहां जाति नाम पर आग लग गयी । अगर किसी अहीर को नौकरी मिल जाती, तो आपको क्यों तकलीफ ? अगर कोई कुर्मी आता है, तो आपको क्यों तकलीफ ? अहीर का नाम लेंगे, कुर्मी का नाम लेंगे । लेकिन और दूसरी पिछड़ी जाति के लोगों का नाम नहीं लेंगे जैसे केवट, भर, नाई का नाम नहीं लेंगे । न शम्भू नाथ चौधरी और न दूसरे । मान्यवर, ऐसी जातियों, जो गांवों में बिलबिला रही हैं, जिनके पास न अचल सम्पत्ति है और न कोई जमीन, लेकिन उनके बच्चों को, फर्स्ट डिवीजन आने वाले लड़कों को भी कोई पूछने वाला नहीं है । (लाल बत्ती होने पर) मैं तो अकेला हूं । आप बोलने तो देते नहीं ।

मान्यवर, इस तरह के विधेयक लाने से काम नहीं चलेगा। राकेश जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यहां से दिल्ली तक आरक्षण है। हम जब सदन में चुन कर आते हैं तो जन्त हो जाते हैं और जब वोट मांगने जाते हैं तो जाति से परे हो जाते हैं। चाहे संविद सरकार केरल की रही हो या बंगाल या त्रिपुरा की रही हो, याद कर लेंकि जहां समाजवादी व्यवस्था का प्रयास हो रहा है। अन्य मुल्क में जहां पूंजीवादी व्यवस्था जैसे जापान या अन्य मुल्कों में है वहां भी जाति व्यवस्था थी। लेकिन वहां पर लोगों के लिए रोजगार ढूंढा गया और तब शासन की व्यवस्था बदली। हम लोगों को रोजगार देने की दिशा में क्यों नहीं सोचते। यह जो आरक्षण और नई व्यवस्था सरकार ने लादी है यह दुरुस्त है, जायज है, बहुत अच्छी है। मगर नीति अच्छी है, नीयत बद है। उसी तरह से बद है जिस तरह से भूतपूर्व इन्दिरा सरकार ने हरिजनों को १५ प्रतिशत आरक्षण दे कर उनकी जिन्दगी से खिलवाड़ किया। उसी प्रकार आप २६ प्रतिशत पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे कर बंटवारा करना चाहते हैं और अपनी कुर्सी को मजबूत करना चाहते हैं।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं राकेश जी का आभारी हूं कि उन्होंने सदन में एक बिल रख कर लोगों को अपने दिलोदिमाग की बात कहने का मौका दिया। फिर भी मुझे दुख है कि मैं इनके बिल का समर्थन नहीं कर सकता कि इनका जो प्रस्ताव है वह ठीक नहीं है। वाकई में अगर जाति पांति और छुआछूत मिटाना चाहते हैं तो अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि जो हिन्दू समाज है, वह एक पूंजीवाद समाज के ऊपर खड़ा हुआ है और इसका सब से बड़ा प्रमाण यह है कि जब कोई समाज पूंजीवादी समाज होता है तो अपना धन घर से बाहर नहीं जाने देता। चुनांचे इसी बेसिस पर अपने देश के सारे कानून बने और मैं एक कानून की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उत्तराधिकार के कानून की ओर। कानून बना हुआ था कि जो एक ही जाति से लड़का पैदा होगा, वही सम्पत्ति का अधिकारी होगा और वाकई में जाति-पांति को हटाना चाहते हैं तो यहां से शुरू करके उसी कानून को आप उलट दें। कहने का अर्थ यह है कि अगर वाकई में चाहते हैं कि जाति-पांति समाप्त हो तो आज सदन यह प्रस्ताव पास करे कि उत्तराधिकार का कानून जो आज तक मौजूद है उसके बदले यह कर दें कि अब से जो बच्चा पैदा होगा, अगर वह एक ही जाति के विवाह से पैदा होगा तो उसका जायदाद में कोई अधिकार नहीं होगा। अगर इस तरह का कानून आप पास करवा दें तो यकीनन जाति-पांति और छुआछूत दूर हो जाएगी। मेरे भाई अभी बड़े जोरों से बोल रहे थे। मैं अधिष्ठाता महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर हमारी सलाह मान लें और उत्तराधिकार का कानून बदल दें तो भविष्य में जो बच्चा दूसरी जाति के औरत और मर्द की शादी से नहीं पैदा होगा, उसकी वही हालत होगी जो आज तक उस बच्चे की रही है, सड़कों पर घूमा है, जिसकी उत्पत्ति अलग-अलग जाति के औरत मर्द की शादी से हुई है। मेरा अपना ख्याल यह है कि समाज में मनुष्य का सब से बड़ा अरमान यह होता है कि हमने जो धन अर्जित किया है, उसका भविष्य में कौन उपभोग करे? अगर लोगों को पता चल जाए कि हमारी जायदाद में हमारे लड़के का कोई अधिकार ही नहीं हो सकता है अगर हमने एक ही जाति से शादी की, तो अधिष्ठाता महोदय, मैं आप को और इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर इसी तरह की व्यवस्था करा दें तो यकीनन ही जो काम हजारों वर्ष में पूरा होने वाला है, वह बहुत जल्दी हो

[श्री गनेशी लाल चौधरी]

जाएगा। इसके साथ ही मैं राकेश जी से यह कहूंगा कि इस बिल को वापस लेलें और इस प्रकार का प्रस्ताव सदन में लायें और सदन एक तरफा इस प्रस्ताव को पारित करे ताकि भारत सरकार इस कानून को बदल सके।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, डाक्टर राकेश जी ने यहां जो बिल रखा है, उसका न तो पूरी तौर पर समर्थन किया जा सकता है और न पूरी तौर पर विरोध किया जा सकता है। इस बिल की भावना जो है वह निश्चित तौर पर स्वागत के काबिल है। इस देश में जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक इस देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। लेकिन अगर बिल को रखने वाले इस दिमाग के हों कि इस देश में जो गरीबी है, जो गैर बराबरी है, वह केवल आर्थिक आधार पर है, तब निश्चित तौर पर उस दिमाग से असहमत होना पड़ेगा। देश के अन्दर और खास कर उत्तर प्रदेश में जहां एक ओर आर्थिक गरीबी और गैरबराबरी है, वहां सामाजिक आधार पर भी गैर बराबरी है उसने आर्थिक आधार पर जो गैर बराबरी और गरीबी देश में और उत्तर प्रदेश में है उसको प्रभावित किया है।

मैं, मान्यवर, आपके मार्फत माननीय राकेश जी से पूछना चाहूंगा कि अभी कुछ रोज पहले जब श्री जगजीवन राम, रक्षा मंत्री जी बनारस गये थे तो वहां पर डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी की मूर्ति के अनावरण के समय वहां कुछ ब्राह्मण लोगों ने अनावरण के बाद उस मूर्ति को गंगा जल से केवल इसलिये स्नान कराया क्यों कि उसका अनावरण श्री जगजीवन राम कर रहे थे। आर्थिक आधार पर और पद की गरिमा के हिसाब से जगजीवन राम जी उन ब्राह्मण विद्यार्थियों से किसी माने में किसी दर्जे से नीचे नहीं थे। लेकिन सामाजिक आधार पर जो मानसिकता बनी हुई है हिन्दुस्तान के अंदर उसके आधार पर वह नतीजा निकला कि चूंकि हरिजन जाति के नेता इस देश के सुरक्षा मंत्री हैं वह कैसे बनारस के अन्दर डाक्टर सम्पूर्णानन्द की मूर्ति का अनावरण कर सकते हैं और यदि डाक्टर सम्पूर्णानन्द की मूर्ति का अनावरण हरिजन नेता करेगा तो वहां के संस्कृत विश्वविद्यालय के ब्राह्मण विद्यार्थी उस मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराते हैं। यही नहीं इसी देश के अंदर, बनारस के अंदर जो काशी विश्वनाथ मन्दिर है उसमें हरिजन केवल इसलिए प्रवेश नहीं कर सकते चूंकि वे बड़ी जाति में पैदा नहीं हुये हैं और इस देश के राजनारायण जैसे आदमी को केवल इस लिए संघर्ष करना पड़ता है चूंकि वहां पर हरिजनों को प्रवेश करने के लिए समाज का मजबूत तबका सदियों से जो रहा है, निरन्तर प्रतिरोधी रहा है।

अगर सचमुच में इस बिल की यह भावना है कि इस देश में जाति व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिये तो जाति के आधार पर जो सीढ़ियां बनी हुई हैं उनको खत्म करना जरूरी है। मेरी राय में डाक्टर अश्विनी कुमार राकेश जी सहमत होंगे कि यदि जाति व्यवस्था को खत्म करना होगा समाज को सक्षम बनाना होगा तो कहीं न कहीं विशेष अवसर उनको भी देना होगा जो सदियों से पिछड़े रहे हैं, जिनका पिछड़ेपन का इतिहास रहा है। इस देश में ऐसा भी हुआ है कि एक खास जाति को इस बात का अधिकार मिला हुआ है कि वह शिक्षा ग्रहण कर सकती है, मंदिरों के अंदर प्रवेश कर सकती है और दूसरी जाति के लोगों को चाहे वे योग्यता भी रखते हों अपने गुरू से शिक्षा हासिल करने का अधिकार नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय अश्विनी कुमार 'राकेश' ने जिस समाजवादी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्कूल में शिक्षा पायी है, जहां पर उनके अध्यापक डाक्टर लोहिया रहे हैं वहां पर भी. . . (व्यवधान) मैं यह कह रहा था कि जिस स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया है वहां पर भी यह नीति रही है कि पिछड़ों के लिए ६० प्रतिशत का अवसर मिलना चाहिये और वह ६० प्रतिशत अवसर केवल आर्थिक आधार पर नहीं होगा। सामाजिक आधार भी एक जबरदस्त आधार होगा।

मैं उनकी बात से सहमत हूं कि पिछड़ेपन में महिलाओं को भी स्थान मिलना चाहिये। पिछड़ेपन में हरिजनों को भी स्थान मिलना चाहिए, अल्पसंख्यकों को भी स्थान मिलना चाहिये समाज का जो सर्वांगीण पिछड़ा तबका है, उस सब को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। लेकिन उन्होंने जो बिल में कल्पना की है कि जाति उन्मूलन जिस दिन होगा उस दिन आरक्षण की बात उठायी जा सकती है। लेकिन जब तक जाति की सीमा नहीं टूटती तब तक पूरी तौर पर जाति उन्मूलन नहीं होता है तब तक समाज के अंदर आरक्षण की परिधि को जारी रखना होगा। यह सच है कि आरक्षण लागू करने के बाद भी कोई न कोई सरकार चाहे केन्द्र की हो चाहे सूबे की हो छात्रों को, नौजवानों को पूरी तरह रोजगार नहीं दे सकती। नौजवानों के लिए नम्बर एक की समस्या है, रोजगार की समस्या। जब तक आर्थिक विकेन्द्रीकरण नहीं होगा, सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा, योजनाओं का विकेन्द्रीकरण गांव तक नहीं होगा तब तक आरक्षण की नीति लागू करने के बाद भी उसके आधार पर रोजगार की समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि आरक्षण का सवाल जहां एक ओर विशेष अवसर प्रदान करता है..

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं यह भी गुजारिश करूंगा कि आरक्षण के सवाल को सही मानते हुए बेरोजगारी की समस्या को इससे जोड़ा जाय। बेरोजगारी की समस्या को अलग दृष्टिकोण से रखा जा सकता है। बेरोजगारी के सवाल के निराकरण के लिए भी यदि आर्थिक आधार देखा जायगा तो सामाजिक आधार की उपेक्षा नहीं हो सकती। इसलिए आरक्षण का समर्थन करते हुये सामाजिक आधार पर गरीबी को मिटाते हुये माननीय डाक्टर अश्वनी कुमार "राकेश" जी इस बिल में कुछ संशोधन कर लें और सामाजिक आधार पर इस देश में गरीबी मिटाने का दृष्टिकोण अपनायें तभी बिल की सार्थकता सामने आयगी।

*श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)

अधिष्ठाता महोदय, माननीय चतुर्वेदी जी प्रस्ताव इस सदन के समक्ष लाये हैं मैं यह देख रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य ने उसका समर्थन नहीं किया है। कारण यही है कि इस प्रस्ताव के पीछे कोई तथ्य नहीं है, उनकी नीति एवं नीयत साफ नहीं है। अगर वह इस प्रस्ताव को इस भावना से प्रेरित हो कर लाते जिससे देश में जातीयता हमेशा के लिये समाप्त होती तो उनको अवश्य सदन का समर्थन मिलता। महात्मा गांधी ने जैसा जेहाद छेड़ा था वैसा जेहाद वह छेड़ते तो उस भावना को लेकर प्रस्ताव लाये होते तो उनको सदन का समर्थन अवश्य मिलता। लेकिन उनका जो मुख्य मकसद इस प्रस्ताव को लाने का है वह यह है कि अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों के लिये जो थोड़ा बहुत नाम मात्र को आरक्षण मिला है वह न दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

मैं थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ...

श्री अधिष्ठाता--

राकेश जी, आप बैठें। मैं खड़ा हुआ हूं। आपको स्पष्टीकरण का अवसर मिलेगा, आपका भाषण भी बाद में होगा। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप माननीय सदस्य को सुनें।

श्री सत्यपाल सिंह यादव--

अगर आपकी नीयत साफ होती तो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को लाने से पहले अपने नाम के पीछे चतुर्वेदी शब्द को हटा देते। वह बिरादरीवाद तथा जातिवाद से स्वयं बंधे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य जोश में न आयें।

श्री सत्य पाल सिंह यादव--

मैं जोश में नहीं आ रहा हूं, तथ्य की बातें कर रहा हूं। उनका मकसद इस प्रस्ताव को लाने का केवल यही है कि आरक्षण की बात गलत थी, इसे खत्म करने के लिये प्रदेश में एक जेहाद भी छेड़ा गया लेकिन उस जेहाद के पीछे कोई बल नहीं था। बल इसलिए नहीं था कि देश व प्रदेश के ७० प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में नाम मात्र ही ३, ४ प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। उसे भी चतुर्वेदी जी जैसे साथी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फलस्वरूप चन्द जगहों पर छुटपुट आन्दोलन हुए और अन्ततोगत्वा वे भी समाप्त हो गये और आरक्षण अपनी जगह पर रहा।

श्री अधिष्ठाता--

वे आपकी राय पर आ सकते हैं

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह यादव--

आज हमारे प्रदेश के अन्दर स्वायत्त शासन कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। उसमें स्वायत्त शासन कर्मचारी तथा सफाई मजदूर शामिल हैं। मैंने अपने जनपद में देखा कि सारे-सारे मामलों को निबटाने के लिये सफाई मजदूरों के कन्धों पर जिम्मेदारी डाल दी गयी है कि जो समझौता वे करेंगे उस समझौते को मानने के लिये स्वयत्त शासन कर्मचारी तैयार हैं। अधिष्ठाता जी, मेरे कहने का मकसद यह है कि स्वायत्त शासन कर्मचारियों की जगह भरने के लिये हमारे 'राकेश' चतुर्वेदी जी सरीखे हजारों दौड़ पड़ेंगे....

श्री अधिष्ठाता--

आप विषय से बाहर जा रहे हैं।

श्री सत्यपाल सिंह यादव--

मान्यवर, यदि सफाई मजदूरों की जगह भरन के लिये हो तो कोई दिखाई नहीं देगा। अगर इन मजदूरों के लिये वे बिल को लाये होते तब तो मैं मानता...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप राकेश जी को सम्बोधित न करें, मुझे सम्बोधित न करें ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव--

अधिष्ठाता जी, मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के पीछे कोई तथ्य नहीं है, कोई गम्भीरता नहीं है, कोई औचित्य नहीं है । यह विधेयक इस भावना से लाया गया है कि जो आरक्षण अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के लिये रखा गया है, वह समाप्त किया जाय जैसा कि भगवती सिंह जी कह रहे थे कि इस विधेयक का मकसद हमारे देश के पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोगों का उत्थान करना नहीं है बल्कि इसका मकसद शासन में बने रहने का है। अगर यही होता तो इंदिरा गांधी का ३० साल का शासन खत्म न होता । हरिजनों ने इंदिरा गांधी को वोट नहीं दिया, जनता पार्टी को वोट दिया है । जो २६ प्रतिशत के लिये आरक्षण कर दिया है, उस आरक्षण के माध्यम से ये अपनी कुर्सी पर बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है । ऐसी बात बिल्कुल नहीं हो सकती है । यह हमारी वर्ण व्यवस्था का दोष है । इसमें कुछ जाति विशेष के लोग हैं जो इ का विश्लेषण इस तरह से करते हैं । इन कमियों को दूर करने के लिये संविधान में व्यवस्था की जानी चाहिये । इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इसको समाप्त किया जाय किन्तु अभी इस पर दो-एक सज्जन और बोलेंगे । यदि मंत्री जी ऐसा महसूस करते हैं तो समाप्ति का मोशन ला सकते हैं ।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, राकेश चतुर्वेदी जी जो जाति प्रथा उन्मूलन विधेयक लाये हैं, मैं उसकी भावना का समर्थन करता हूं और आरक्षण पद्धति का विरोध करता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि आरक्षण से हीन भावना पैदा होती है यदि किसी जाति विशेष के लिये आरक्षण किया जाय, वह यह समझता है कि मैं ऐसी जाति विशेष से सम्बन्धित हूं जिसको हीन दृष्टि से देखा जाता है इसलिये हीन भावना उसके अन्दर भर दी जाती है। मैं कहता हूं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए । कई जातियां हैं जो आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहती हैं । मिसाल के तौर पर यदि एक अहीर है और उसकी आमदनी १०,००० रुपये है तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और एक १०० रुपये की आमदनी वाला अहीर है तो उसको आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए । जो जातियां आगे बढ़ी हैं वे शम्भूनाथ जी के अनुदान से आगे नहीं बढ़ी हैं । उनके मां-बाप ने अपना पेट काटकर उनको उच्च शिक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ाया है । अपनी योग्यता से, अपनी प्रतिभा से उन्होंने नम्बर लिये और आगे बढ़े ।

आज एक भ्रांति होती है जैसा नम्बर ४ मे लिखा है उसका मैं पूरा समर्थन नहीं करता हूं । यह जाति प्रथा विदेशी हमलावरों ने जो हजारों साल पहले हमारे देश में ७१२ ईस्वी में हमारे देश में आये जैसे मोहम्मद बिन कासिम से लेकर १५ अगस्त सन् ४७ तक विदेशी हमलावर हमारे देश में आये उन्होंने यहां कुछ शब्दों को तोड़ा और मरोड़ा और भ्रम फैलाया । यह कोई जाति नहीं है यह तो केवल विशेषण है जैसे शर्मा, गुप्ता, क्षत्रिय हमारे देश में चार प्रकार के विशेषण प्रयोग में आते हैं एक जो गुण के आधार पर, एक कर्म के आधार पर, एक परम्परा के आधार पर और एक पेशे

श्री राज कुमार शर्मा--]

के आधार पर और कुछ पूर्वजों के नाम पर भी विशेषण प्रयोग में आये हैं। एक शब्द चतुर्वेदी है तो चतुर्वेदियों ने आपातकाल के समय हूणों के हमलों से वेदों को बचाने के लिए चारो वेदों को याद किया वह चतुर्वेदी हो गये जिन्होंने तीन वेदों को याद किया वह त्रिवेदी हो गये जिन्होंने दो वेदों को याद किया वह द्विवेदी हो गये। एक वेद भी हमारे देश में जिन्होंने याद किया उसमें कायस्थों में निगम कहा जाता है और पंजाब में वह वेदी कहलाते हैं। इसी तरह से त्रिपाठी हैं। इसी प्रकार हमारे देश में गुण के आधार पर और कर्म के आधार पर विशेषण प्रयोग में आये।

श्री ऊदल--

जिनके कान बंद कर दिये जाते थे और उसमें शीशा भर दिया जाता था वह कौन थे ?

श्री राजकुमार शर्मा--

वह हमारे देश में नहीं हुआ। वह हमलावरों ने लिखा है। कुछ पेशे के आधार पर है और कुछ पूर्वजों के आधार पर अपना नाम लिखते हैं जैसे कृपलानी और पंजवानी। इस प्रकार यह कोई जातियां नहीं है बल्कि विशेषण हैं।

आकृति व्यंग्या जाति यानी मनुष्य से पैदा हुआ मनुष्य जाति है, कुत्ते से पैदा हुआ कुत्ते जाति का है या यह कहें कि जिस रूप से वह दिखाई देता है उस जाति का वह होता है। आज जो जाति लिखी जाती है वह केवल विशेषण हैं। काका कालेलकर ने हजारों जातियां लिखी हैं, यू० पी० में ही सवा सौ जातियां लिखी हैं लेकिन आरक्षण की सुविधा केवल ५७, ५८ को ही है, उसमें से भी कुछ लाभ उठाते हैं और कुछ उस मामले में निल हैं। अतः वर्ग के आधार हम प्रस्ताव पास करें तभी जाति प्रथा हमारे यहां से समाप्त होगी। आर्थिक सुविधा की दृष्टि से हम वर्गीकरण करें तो ज्यादा अच्छा है।

चौधरी चरण सिंह ने तथा विधेयक में सभी वर्गों में विवाह की बात कही है इससे एकता नहीं होगी। जर्मन से जर्मन का रिश्ता होता है लेकिन वह आपस में खूब लड़े हैं इसी प्रकार वियतनामी का वियतनामी से रिश्ता होता है और दोनों आपस में लड़े और लाखों की संख्या में मारे गये, ईरान में भी इसी प्रकार से है उनका भी आपस में रिश्ता होता है। इसलिए हम जाति के आधार पर विचार करना छोड़ दें कि अमुक आदमी अमुक जाति का है इसलिए उसको आरक्षण मिलना चाहिये। जब तक हम यह नहीं करेंगे तब तक जाति प्रथा समाप्त नहीं होगी।

यहां पर महात्मा बुद्ध का नाम लिया गया। हमारे देश में कितने ही संत और समाज-सुधारक पैदा हुए जिन्होंने इसे समाप्त करना चाहा। जैसे राजाराम मोहन राय, केशव दास, कबीर दास, दयानन्द सरस्वती, महात्मा बुद्ध, दादू, रैदास, रामदास हुए हैं, मलूक दास हुए हैं। इस तरह से सैकड़ों समाज सुधारक हुए हैं, लेकिन जाति प्रथा या वर्ग का प्रथा का आज तक उन्मूलन नहीं हो सका है, क्योंकि वास्तव में हम लोग उसे बढ़ाना चाहते हैं और केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, दिखावे के लिए उसका विरोध जब तब करते हैं। हम वर्ग के नाम पर, जाति के नाम पर सुविधा लेना चाहते हैं। सेन्सस होगा तो अपनी जाति को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाएंगे। इस तरह से कोई सुधार नहीं होगा। इस तरह का यह प्रस्ताव आज पहली बार इस सदन में आया है। इस पर पहले भी चर्चा हुई थी, लेकिन उसमें हम उपस्थित नहीं थे। आज खुशी है कि इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन इसकी चर्चा में विद्वानों को,

विचारकों को भाग लेना चाहिये । मुझे अफसोस है कि यहां पर दो चार सदस्यों न ऐसी बातें कही हैं जो अप्रासंगिक थीं, इस बुराई को और बढ़ाने वाली और वातावरण को खराब करने वाली थीं । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक की भावना का स्वागत करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी चाहते थे कि यह विषय समाप्ति की ओर जाए । लेकिन जब मंत्री जी खड़े होंगे तभी यह हो सकता है । लेकिन जब तक मंत्री जी खड़े नहीं होंगे, यह समझा जाएगा कि वह इस चर्चा को चालू रखना चाहते हैं । यदि वह महसूस करते हैं इसे समाप्त किया जाए तो उन्हें क्लोजर मूव करना चाहिए ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

यह कार्य मंत्री जी का है, यह कार्य सरकार का है यह कुछ बताना पीठासीन अधिकारी का काम नहीं है । उसके सामने जो कुछ आ जाए, वह उसके अनुसार सदन की कार्यवाही चलावे, यह होना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता--

इस सम्बन्ध में पहले मेरा ध्यान मंत्री जी ने आकर्षित किया था, इसलिए यह कहना मेरा कर्तव्य था । जब हमें आपसे नसीहत लेने की जरूरत होगी, तब ले लेंगे । अभी उसकी जरूरत नहीं है ।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

क्या आपके अधिष्ठाता मंडल में कोई मतभेद है कि वह इस समय जब अधिष्ठाता की कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, आप पर बार-बार आक्षेप कर रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

हमारे अधिष्ठाता मंडल में कैबिनेट की तरह कोई ज्वायन्ट रिस्पांसबिलटी नहीं है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, जाति प्रथा उन्मूलन विधेयक जो माननीय चतुर्वेदी जी ने पेश किया है, उसकी भावना का मैं आदर करते हुए, जहां मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने मन की बात को निर्भीकतापूर्वक कहने का प्रयास किया है, वहीं यह भी कहना चाहता हूं कि इस देश और प्रदेश में साम्प्रदायिकता एवं जातिवाद का जो विष पूरे समाज में फैल गया है, उसके रहते इस प्रकार के विधेयक से कोई लाभ नहीं होगा इसलिए मेरा निवेदन है कि डाक्टर चतुर्वेदी इसे वापस लेकर जातीय विद्वेष को और आगे बढ़ने से रोकें, क्योंकि दो साल तक हमारी पिछली सरकार ने इस कार्य को बहुत किया है । अतः वह अपने हाथ में इस कालिख को न लगावें और इस विधेयक पर ज्यादा चर्चा न कराकर इसे तुरन्त वापस ले लें । इस विधेयक की मंशा के प्रतिकूल इस समय इसका लोगों पर जो प्रभाव पड़ा है, इससे उनमें ऐसी भावना बनी है कि आरक्षण का विरोध करने के लिए ही यह विधेयक लाया गया है । मेरा निजी विचार है कि संविधान के आर्टिकिल १५ व १६ में जो प्राविधान किया गया है, उसको हमें स्वीकार करके उसका हार्दिक रूप से पालन करना चाहिए और उसका विरोध करने वाला कोई राष्ट्रीय व्यक्ति नहीं हो सकता है । कोई अराष्ट्रीय व्यक्ति ही उसका विरोधी हो सकता है । ऐसा मेरा

[श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--]

विश्वास है। इसी आधार पर मैं उनसे निवेदन कर रहा था। साथ ही मैं एक निवेदन उन लोगों से भी करूंगा, जिन्होंने उनकी भावनाओं पर अविश्वास करके उनके ऊपर आक्षेपों की बौछार करना शुरू कर दिया है।

संविधान का पालन करने की जहां आपसे हम अपेक्षा करते हैं, उसकी भावना का पालन आपको भी करना पड़ेगा। उस भावना का आदर आपको भी करना होगा। आर्टिकिल १५ और १६ में दिये हुए प्राविधानों को कैसे लागू किया जाय। इसी को लेकर काका कालेलकर कमीशन बैठाया गया था। उसकी संतुति थी कि हर प्रान्त में सर्वेक्षण कराया जायगा कि कौन जाति पिछड़ी है, किसको आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिये किसको नहीं मिलनी चाहिये। क्या आज तक इस प्रदेश में जिलेवार सर्वेक्षण किया गया। चूंकि एक जाति विशेष को आरक्षण की सुविधा मिल गयी है, तो क्या इसलिए काका कालेलकर कमीशन की संस्तुतियों के अनुसार प्रदेश की पिछड़ी जातियों के सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं रह गई है? क्योंकि ऐसे किसी सर्वेक्षण में ईमानदारी बरतने से कुछ आरक्षित जातियों के आरक्षण की परिधि से बाहर हो जाने का खतरा पैदा हो जायगा। अपने को ईमानदार के रूप में पेश करेंगे और दूसरे की नीयत पर शक करेंगे यह कहां तक उचित होगा? मैं राकेश जी के विरोधियों से केवल एक सवाल का जवाब चाहता हूं। जैसा मैंने कहा, मेरी निश्चित मान्यता है कि समाज के जो अपाहिज, लूले-लंगड़े लोग होते हैं उनको जैसे खड़ा करने के लिए बैसाखी की आवश्यकता होती है उसी तरह से समाज के जो पिछड़े, दलित, शोषित लोग हैं उनके लिए आरक्षण एक बैसाखी है जिसके जरिये समाज के प्रगतिशील तथा प्रभावशाली लोगों की बराबरी में उसको लाने का प्रयास किया जाता है। उस सुविधा को लेकर आज क्या यह नहीं है कि जो आरक्षण की सुविधाएं हैं उनके तमाम ऐसे लोग, प्रभावशाली लोग, उन सारी सुविधाओं को हड़प कर रहे हैं। जो उसके पात्र नहीं अन्त्योदय का नारा लगाने वाली सरकार क्या उन सुविधाओं को जो सबसे पिछड़े निचली सतह पर बिलबिलाते इंसान हैं उन तक आरक्षण की सुविधाएं पहुंचाने का प्राविधान करेगी या नहीं?

इस प्रकार के लोग अगर ईमानदार हैं, मेरा निवेदन है कि यह आरक्षण रहना चाहिए, उन तमाम जातियों को जिनको आरक्षण की सुविधाएं मिल रही हैं, मिलनी चाहिए। लेकिन आरक्षण की सुविधा को परिधि से, एम० एल०एज०, एम० पीज०, मंत्रियों, गजटेड आफिसर्स और इनकम टैक्स पेयर्स, इनको बाहर निकालना होगा। तब उस जाति के सबसे निचली सतह पर जो लोग हैं, उन तक सुविधाएं पहुंच सकेंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे प्रभावशाली लोग सारी आरक्षण की सुविधाओं को हड़प जायेंगे जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को डकार जाती है। इसलिए जहां मैं आरक्षण के विरोधियों से निवेदन करूंगा कि वह आरक्षण का विरोध न करें, वहीं पर मैं उनसे जो आरक्षण के अंध समर्थक हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आरक्षण की नीति में ऐसा परिवर्तन करना पड़ेगा कि आरक्षण की सुविधाएं जो उसके पात्र नहीं हैं वे हड़प न कर सकें और जिनके लिए संविधान के निर्माताओं ने आरक्षण की सुविधाएं दी हैं, जिनको देने की उनकी मंशा थी, उन तक वे सुविधाएं पहुंच सकें।

मेरा अभियोग है कि आरक्षण का नियम कांग्रेस वालों ने समाज के निहित स्वार्थ के पोषक तत्वों के हित संरक्षण के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट्स को सर्व करने के लिए बनाया था, चूंकि वह चाहते थे कि उन जातियों के प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचा कर सारे वोटों को भर कर अपनी झोली में डाल सकें इसलिए राजनीतिक दृष्टि से आरक्षण की सुविधा दी गयी। लेकिन ऐसा प्राविधान बनाया गया कि वह निचले तबके के लोगों तक नहीं पहुंच सका। इसलिए उसमें

परिवर्तन की आवश्यकता है। दूसरी चीज यह है कि माननीय जगजीवन राम की बनारस की घटना का हवाला दिया गया। मैं निवेदन करूंगा कि जब इस तरह के विधेयकों या शासनादेशों पर जो दूरगामी सामाजिक प्रभाव डालने वाले हों विचार करें, तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। जो लोग राजनीतिक साजिश के रूप में आरक्षण की बात करते हैं, उसमें तथा समाजार्थिक क्रान्ति में विभेद करना सीखना पड़ेगा, सही रूप में आर्थिक स्थिति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी देखना पड़ेगा। यह समझना पड़ेगा कि जहां श्री जगजीवन राम जी द्वारा सम्पूर्णानन्द जी की प्रतिमा के अनावरण के बाद प्रतिमा को गंगाजल से नहलवाया गया वहीं पर यह भी हुआ।

(इस समय ४ बजकर ४१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद पुनः पीठासीन हुए)।

कि श्री जगजीवन राम के लड़कों की शादी सवर्णों में हुई। तो इस तरह की बातें हैं। आर्थिक स्थिति अपना प्रभाव समाज पर छोड़ती है। अगर कोई हरिजन अधिकारी है और उसका चपरासी सवर्ण है तो क्या वह अपने चपरासी को अपने साथ टेबिल पर बैठा कर चाय पिलाना पसन्द करता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो पात्र व्यक्ति हैं उन तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं उनको सुविधा दी जानी चाहिए और उसके लिए हमें कोई समाधान खोज निकालना चाहिए।

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि यह बहस न चलायी जाय। मैं चतुर्वेदी जी से अपील करता हूं कि इससे जातिवाद का जहर फैलेगा और उनके इरादों पर लोग शंका करेंगे। इसलिए मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वह इसको वापस ले लें। इसके साथ ही साथ मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माननीय राकेश जी इसको वापस लेना चाहें तो आप इस पर आगे बहस न चलावें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह चाहता था कि मैं माननीय मंत्री जी की बात सुन लेता कि उनके इस बारे में क्या विचार है, लेकिन जैसा माननीय तिवारी जी ने अनुरोध किया है और मैं यह महसूस करने लगा हूं कि इससे यहां पर आपस में विषाक्त ही बढ़ेगा। मैं कुछ सफाई देना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से पहली बात यह पूछना चाहता हूं कि जो आरक्षण नीति बनायी गयी है उसका आधार क्या है? किस आधार पर उन्होंने इस नीति को बनाया है? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो जातियां इसके अन्तर्गत ली गयी हैं उनका किसी प्रकार सर्वेक्षण किया गया है अथवा यों ही उनको शामिल कर लिया गया है? सरकार या मंत्री जी इस बात को बता दें कि जो १५ प्रतिशत का आरक्षण किया गया है उसका आधार क्या है, तो मैं त्याग-पत्र देने को तैयार हूं। मैं डाक्टर लोहिया का अनुयायी हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इसको वापस ले रहे हैं?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

वापस लेनें के पूर्व मैं एक दो प्रश्न यहां पर उपस्थित कर देना चाहता हूं। हमारे मित्रों ने एक बात हरिजनों को कही। क्या इस विधेयक की परिधि में कोई हरिजन आता है लेकिन हर एक व्यक्ति ने हरिजन के कन्धे पर बन्दूक रखकर गोली मारने का प्रयास किया है है और अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास किया है। कुछ मुद्दे है जिनको साफ करना जरूरी है। अगर चतुर्वेदी किसी हरिजन के यहां पर शादी कर लेंगे तो पंचायत नहीं होगी लेकिन अगर एक हरिजन किसी दूसरे हरिजन के यहां पर शादी कर लेता है तो उसको पंचायत देनी पड़ेगी। इनके यहां पर एक ही जाति में तमाम उप जातियां हैं। म यह कहना चाहना हूं माननीय सदस्यों से कि वे कृपया भारतीय संस्कृति को जरा पढ़ें। बड़ी-बड़ी गालियां हमने सुनीं, उस दिन भी सुनीं और आज भी सुनीं, किसी ने रामायण की चर्चा की, किसी ने वेदों की चर्चा की, मगर उस सबका निचोड़ क्या है, वह वही है जो मैंने सदन के सामने निवेदन किया। डाक्टर लोहिया की आप भी बात करते हैं, डाक्टर लोहिया तो ६० प्रतिशत आरक्षण के लिये कहते हैं, मैं उसी आधार पर एक संकल्प भी लाने वाला हूं, देखता हूं उसका कौन-कौन समर्थन करता है। आज आप जिस तरह के आरक्षण की बात करके, आरक्षण की बैसाखी के सहारे जो आप जनता रूपी सड़क को पार करना चाहते हैं वह होने वाली नहीं है। मैं इस विधेयक को वापस लूंगा, पर वापस लेने से पूर्व अपने विचार रखना चाहता हूं।

मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर जातिवाद के आधार पर कोई भी कार्य किया जायेगा तो उससे यह निश्चित है कि समाज जाति और उप जातियों में बंट जायेगा। इस देश के अन्दर अगर जातियां और उप जातियां नहीं टूटी तो यह हिन्दुस्तान फिर बंटेगा। (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि हर शोषित और गरीब को आरक्षण मिलना चाहिये। महाराष्ट्र ने भी तो यही किया है। जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है उसके लिये वहां आरक्षण रखा गया है। चौधरी साहब जब पहले यहां आये थे तो उन्होंने कहा था कि पहले जो कुछ सरकार ने किया वह बिना मुझसे पूछे हुये किया, यह आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिये था, यह चौधरी चरण सिंह का भी मत था। आप सभी लोग माननीय जय प्रकाश जी की बड़ी दुहाई दिया करते हैं, मगर वे जो कुछ कहते हैं उसे मानते नहीं हैं। मैं तो कहता हूं कि जहां माननीय नारायण सिंह को उप मुख्य मंत्री बनाया गया वहीं माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी को भी मंत्री बनाना चाहिये था (हंसी)

(व्यवधान)

मान्यवर, उच्च न्यायालय का एक फैसला भी हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन भी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के नाते और माननीय तिवारी जी तथा अन्य साथियों के अनुरोध पर इसे वापस लेने के पूर्व इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि इस सरकार द्वारा जातिवाद के आधार पर जो सारी चीजें की जा रही हैं और आरक्षण की नीति जिस प्रकार से अपनायी जा रही है यह गलत है, दोषपूर्ण है, देश के लिए घातक है। आज देश और प्रदेश की स्थिति ऐसी हो गई है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन्हें सामाजिक दृष्टि से नीचे की दृष्टि से देखा जाता है। सफाई मजदूर की बात कही जाती है। श्री रघुवर दयाल वर्मा जी अगर आप दूसरी जाति से शादी का संबंध रखेंगे, तो आप बिरादरी से बाहर कर दिये जायेंगे।

(लाल बत्ती होने पर)

उपाध्यक्ष—

चतुर्वेदी जी, जरा इधर भी नजर डाल लिया कीजिए। इधर भी जरा देख लिया कीजिए।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

(श्री ऊदल की तरफ संकेत करते हुए) ये कम्युनिस्ट हैं । ये एक दूसरे की गर्दन कटवा देना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बतायें कि वापस लेना चाहते हैं ?

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मान्यवर, मंत्री जी के अनुरोध पर नहीं, चूंकि तिवारी जी ने कहा है, इसलिए मैं इस बिल को वापस लेना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप वापस ले रहे हैं ?

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

इस सरकार ने जातीयता को बढ़ाया है । मैं तो कहता हूं कि ९० फीसदी आरक्षण कर देना चाहिए, लेकिन आर्थिक आधार पर । इन शब्दों के साथ मैं अपने इस असरकारी विधेयक को, चूंकि तिवारी जी ने कहा है, इसलिए वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' सदस्य, विधान सभा को, उत्तर प्रदेश जाति-प्रथा उन्मूलन विधेयक, १९७८ को वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(सदन की अनुमति से विधेयक वापस हुआ ।)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९७८†

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जारी रहेगा ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं नियम ५१ लेता हूं ।

आज दिनांक २ मई, १९७९ को नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की कुल ९ सूचनायें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से श्री सोहन वीर सिंह तोमर की जो जूनियर हाई स्कूल, १९७९ की परीक्षा में प्रश्न-पत्रों के आउट होने तथा नकल की व्यापक प्रक्रिया से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत किया है ।

---

†दिनांक २९ दिसम्बर, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट छपा है ।

[श्री उपाध्यक्ष--]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री श्रीनारायण ने नागर क्षेत्रीय स्थानीय निकायों की सामूहिक हड़ताल के कारण गंदगी से कालरा जैसे भयंकर रोग फैलने के के संबंध में सूचना दिया है । इसको मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकृत किया । कल इस पर माननीय स्वायत्त शासन मंत्री का वक्तव्य होगा ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, हाई स्कूल की परीक्षाओं में नकल हुई और पर्चे आउट हुए, दोनों को जोड़ दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

जूनियर हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट, दोनों को एक साथ इसमें जोड़ा जायेगा ।

श्री भगौती सिंह (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, एक सूचना मेरी है । चीनी मिल में गोली चली···

श्री उपाध्यक्ष--

इसको मैंने अस्वीकार कर दिया ।

श्री भगौती सिंह--

क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष--

एक दिन में एक ही ले सकते हैं ।

कोयले की कमी के कारण ईंट निर्माण, बिजली आपूर्ति, उत्पादन, बेरोजगारी एवं घरों में ईंधन के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत खाद्य मंत्री का अग्रेतर वक्तव्य

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री मलिखान सिंह)--

मान्यवर, उद्योग विभाग द्वारा प्रदेश में स्थायी पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों, प्रदेश में कार्यरत आसवनियों, वृहत्त उद्योग के अन्तर्गत पंजीकृत इकाइयां जैसे मेसर्स हिन्दुस्तान एलूमीनियम, मे० सोमइया आर्गेनिक तथा मेसर्स सेन्थीटिक रबड़ एन्ड केमिकल्स आदि तथा खादी बोर्ड के अन्तर्गत चल रही इकाइयों को स्टीम कोल, हार्ड कोक, स्लैक कोल तथा ब्रीज/पर्लनट मिक्सड कोक की आपूर्ति का कार्य सम्पादित किया जाता है ।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री मलिखान सिंह--

[वर्ष १९७८ में निदेशक रेल यातायात ने प्रदेश के लिये ९०००० वैगन प्रतिवर्ष की सीमा निर्धारित की थी जबकि प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों की

[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

आवश्यकता लगभग १,२०,००० वैगन प्रतिवर्ष की थी । इस निर्धारित सीमा को ध्यान में रखते हुए इकाइयों की आंकी गयी आवश्यकता पर कटौती करके उनके हित में कम मात्रा में कोयले की स्पांसरिंग की गयी थी जिसके विरुद्ध केवल ४२७२६ वैगन ही इकाइयों को कोयला प्राप्त हो सका जो कि औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकता का केवल ३०% ही इकाइयों को प्राप्त हो सका। इस कारण प्रदेश में कई इकाईयों के उत्पादन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इस कमी को दूर करने के लिये निदेशक, रेल यातायात से भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी वैगनों की बढ़ोत्तरी नहीं की गयी ।

वर्ष १९७९ में निदेशक, रेल यातायात ने पुनः इस प्रदेश की सीमा ९०००० वैगन प्रति वर्ष निर्धारित की है जो कि इस प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकता को देखते हुए बहुत ही कम हैं । इसी अवधि में प्रदेश में काफी नई इकाईयों स्थापित हुई हैं एवं कुछ पुरानी इकाइयों की क्षमता में भी वृद्धि हुई है । इस कारण इस वर्ष प्रदेश के कोटे के निर्धारित सीमा को ध्यान में रखते हुये औद्योगिक इकाइयों की आंकी गयी आवश्यकता पर ५ प्रतिशत से ५० प्रतिशत तक की कटौती लगाकर कोयले की स्पांसरिंग की गयी है ।

बैगनों की कमी के कारण बहुत कम मात्रा में कोयले की प्राप्ति हो रही है। इस वर्ष में माह जनवरी से मार्च तक कोयले की प्राप्ति औद्योगिक इकाइयों को जिसमें टैक्सटाइल्स मिल्स, सीमेन्ट फैक्ट्रीज, आसावनियां एवं वनस्पति आदि सम्मिलित है निम्न प्रकार हुई ।

जनवरी, १९७९	६९ रेक्स (३३ फुल वैगन)
फरवरी, १९७९	५५ रेक्स ।
मार्च, १९७९	५३ रेक्स ।

जुलाई, १९७८ के बाद बाढ़ आने के कारण वैगनों के संचलन (मूवमेन्ट) में कमी हो गयी है इस कारण कोयले की प्राप्ति में कमी हुई है । कोयले के संचलन में सुधार तथा प्रदेश के लिये निर्धारित सीमा को बढ़ाने हेतु उद्योग निदेशालय द्वारा निदेशक, रेल यातायात से निरन्तर प्रयास किये गये हैं। माह दिसम्बर, १९७८ में उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश स्वयं कलकत्ता गये थे तथा निदेशक, रेल यातायत से इस सम्बन्ध में चर्चा की थी । निदेशक, रेल यातायात द्वारा उस समय दिये गये आश्वासनों के बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है । हाल ही में उद्योग निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक, उद्योग तथा संयुक्त निदेशक उद्योग, (क० मा०) ने स्वयं कलकत्ता जाकर निदेशक, रेल यातायात से इस सम्बन्ध में चर्चा की है । निदेशक, रेल यातायात ने प्रदेश की निर्धारित सीमा को बढ़ाने में अपनी असमर्थता प्रकट की है इस कारण प्रदेश में कोयले का संकट बना रहेगा ।

२—हार्ड कोक

प्रदेश में हार्ड कोक के आवंटन का कार्य उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से किया जा रहा है । इस प्रकार के कोक का उपयोग अधिकतर आगरा एवं गाजियाबाद की फाउन्ड्रीज इकाइयों में किया जाता है । वर्ष १९७८ तक हार्ड कोक की सीमा १२००० वैगन प्रतिवर्ष निर्धारित थी । वर्ष १९७८ में ४९५४ वैगन की स्पांसरिंग की गयी थी जिससे विरुद्ध केवल ७८० वैगन ही प्राप्त हुए ।

[श्री मलिखान सिंह]

वर्ष १९७९ में हार्ड कोक की सीमा ८०४० वैगन प्रतिवर्ष निर्धारित की गयी है। यह मात्रा प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुये बहुत कम है। इसके अतिरिक्त हार्ड कोक की प्राप्ति कम मात्रा में होने के कारण प्रदेश की इकाइयों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस कोक के सम्बन्ध में निदेशक, रेल यातायात से पत्र व्यवहार एवं व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित करके स्थिति सुधारने हेतु भरसक प्रयत्न किये गये लेकिन कोयले की प्राप्ति में कोई सन्तोषजनक वृद्धि प्रतीत नहीं होती है।

३—ब्रीज, पर्ल, नट मिक्सड कोक/स्लैक कोल

वर्ष १९७८ तक इस प्रकार के कोक एवं कोयले की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं थी और प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकता के आधार पर स्पांसरिंग की जाती थी लेकिन वर्ष १९७९ के लिये निदेशक, रेल यातायात ने इस प्रकार के कोक एवं कोल की सीमा निर्धारित कर दी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

१—ब्रीज/पर्ल नट मिक्सड कोक।	६००० वैगन प्रतिवर्ष।
२—स्लैक कोल।	१४४०० वैगन प्रतिवर्ष।

इस प्रकार के कोक एवं कोल का उपयोग मुख्यता ब्रीकेट्स बनाने एवं पीतल के उद्योग तथा अन्य उद्योगों में किया जाता है। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकता को देखते हुये यह मात्रा बहुत ही कम है। इस प्रकार के कोक एवं कोल की सीमा को बढ़ाने हेतु निदेशक, रेल यातायात से पत्र व्यवहार एवं व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित किया गया, उन्होंने केवल ५००० वैगन मिडलिंग कोल जिसकी कोई भी सीमा नहीं थी देकर स्लैक कोल में समायोजित कर दी है फिर भी प्रदेश की मांग की पूर्ति नहीं हो पा रही है। प्रदेश में कई नई इकाइयों मुख्यतया ग्रामीण एवं ग्रोथ सेन्टर्स में स्थापित हुई हैं उनके लिये भी ब्रीज कोक एवं स्लैक कोल की आवश्यकता है। इस प्रकार के कोक एवं कोल के अभाव में अभी कुछ नई इकाइयां अपना उत्पादन कार्य प्रारम्भ नहीं कर पा रही हैं।

खाद्य विभाग से सम्बन्धित सांपट कोक तथा स्लैक कोल के विषय में दिनांक २६ मार्च, १९७९ को मेरे द्वारा वक्तव्य दिया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के सम्पूर्ण विद्युत् उत्पादन का ६० प्रतिशत से अधिक तापीय विद्युत् गृहों से प्राप्त होता है जिनका परिचालन मूलतः कोयले की आपूर्ति के ऊपर निर्भर करता है। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गठित स्टैन्डिंग लिंकेज कमेटी विभिन्न तापीय विद्युत् गृहों की कोयले का मासिक खपत को ध्यान में रखते हुए, कोयले की मात्रा का निर्धारण कर देता है तथा इसकी सूचना रेलवे विभाग, कोल इन्डिया आदि को समय से पूर्व ही भेज दी जाती है ताकि विद्युत् गृहों के लिए कोयले की आपूर्ति निर्धारित मात्रा के अनुसार अबाध गति से की जाती रहे और विद्युत् उत्पादन में कोयले की कमी के कारण कोई अवरोध उत्पन्न न हो।

पिछले कई महीनों से राज्य विद्युत् परिषद् के तापीय विद्युत् गृहों पर कोयले की आपूर्ति अत्यधिक असन्तोषजनक रही है। विगत पांच महीनों में उत्तर

प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के तापीय विद्युत् गृहों में (ओबरा तापीय विद्युत् गृह को छोड़कर) कोयले की आपूर्ति से सम्बन्धित आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

माह	स्टैन्डिग लिन्केज कमेटी द्वारा निर्धारित कोयले की मात्रा (लाख टनों में)	कोयले की वास्तविक मात्रा जो प्राप्त हुई (लाख टनों में)
अक्तूबर, १९७८	२·७६	१·६०
नवम्बर, १९७८	३·०४	१·९३
दिसम्बर, १९७८	३·०८	१·९८
जनवरी, १९७९	३·४९	२·४९
फरवरी, १९७९	३·५१	२·२२

माह अप्रैल, १९७९ में तापीय विद्युत् गृहों को प्राप्त होने वाले कोयले में पिछले महीनों की अपेक्षा कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है ।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि कोयले की आपूर्ति निर्धारित मात्रा से अत्यधिक कम रही है जिसके कारण प्रदेश के तापीय विद्युत् गृहों को पूरा उत्पादन करने में कठिनई का सामना करना पड़ा है । कोयले की आपूर्ति में निरन्तर कमी के कारण माह जनवरी, १९७९ में प्रदेश का ३८० मेगावाट क्षमता का प्रमुख तापीय विद्युत् गृह हरदुआगंज (बी) लगभग तीन दिनों (१६ जनवरी, से १८ जनवरी, १९७९) तक विद्युत उत्पादन करने में असमर्थ रहा और प्रदेश को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ा । पिछले महीनों में २२० मेगावाट क्षमता का पनकी तापीय (विस्तार) विद्युत् गृह भी कोयले की कमी के कारण अत्यधिक प्रभावित रहा तथा पूर्ण क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर सका । इसके अतिरिक्त गोरखपुर, मैनपुरी तथा सोहावल विद्युत् गृह भी कोयला न होने के कारण कई दिन बन्द करने पड़े ।

इसके अतिरिक्त रेलवे विभाग ने कई अनुपयुक्त (unapproved) कोयले की खानों से विभिन्न विद्युत् गृहों को कोयला भेजना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप कई विद्युत् गृहों के विद्युत् उत्पादन पर प्रायः विघ्न पड़ता रहा । माह अप्रैल, १९७९ में प्रायः इस प्रकार की स्थिति बनी रही । इनमें कुछ विद्युत् गृह आगरा, गोरखपुर एवं कानपुर हैं । निर्धारित तथा उचित किस्म का कोयला न मिलने के कारण प्लान्ट का भी क्षतिग्रस्त होने का अंदेशा बना रहता है । इन्हीं कारणों के फलस्वरूप कानपुर स्थित आर० पी० एच० विद्युत् गृह का उत्पादन घटकर इस समय लगभग १० से १५ मेगावाट रह गया है ।

प्रायः इस समय यह भी कठिनाई हो रही है कि रेलवे विभाग अपनी इच्छानुसार कोयला बाक्स रैक्स के बजाय बन्द वैगनों में भेज रहा है । जिसके फलस्वरूप हरदुआगंज स्थित विद्युत् गृह उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ा है । इस विद्युत् गृह पर कोयला उतारने के लिए वैगन टिपलर का प्रबन्ध किया गया है, परन्तु कोयला बाक्स वैगनों में प्राप्त न होने के कारण कोयले को उतारना तथा उसको बायलरों के बंकरों तक भेजने में काफी बाधा उत्पन्न हो रही है ।

[श्री मलिखान सिंह]

जहां तक कि पिछले महीनों में कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण विद्युत् में विघ्न पड़ रहा था, माह अप्रैल, १९७९ में उपरोक्त कारणों से और भी कठिनाइयां उत्पन्न होती जा रही हैं। निरन्तर रेलवे विभाग तथा कोल विभाग से सम्पर्क स्थापित करने के बावजूद भी अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

आज के दिन जब कि हरदुआगंज 'बी' विद्युत् गृह पर लगभग दो दिन से भी कम का कोयले का भंडार रह गया है। कोयला वैगन टिपलर द्वारा न उतरवा सकने के कारण विद्युत् उत्पादन पर प्रभाव पड़ा हुआ है और हो सकता है कि कोयले की कमी के कारण बन्द करना पड़े। इस स्थिति में प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर विद्युत् के निर्धारित वोल्टेज पर भी गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। उपरोक्त कारणों से हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती करनी पड़े। यदि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो रेलवे ट्रैक्स पर भी विद्युत् का प्रभाव पड़ सकता है।

इस समय प्रदेश में विभिन्न विद्युत् गृहों में कोयले की स्थिति निम्नवत् है :

१--हरदुआगंज 'बी' विद्युत् गृह, जिसकी क्षमता ३८० मेगावाट है वहां पर कोयला केवल दो दिन का है।

२--पनकी एक्सटेशन, जिसकी क्षमता २२० मेगावाट है, में केवल तीन दिन का भंडार है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य छोटे-छोटे विद्युत् गृहों में कोयले की भंडारण स्थिति सामान्य है, केवल सोहावल, मैनपुरी, गोरखपुर और केसा में स्थिति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती है। वहां पर लगभग दो दिन से लेकर छः दिन का कोयले का भंडार है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस समय हमारा सबसे महत्वपूर्ण विद्युत् गृह हरदुआगंज है और यदि कोयले की आपूर्ति देकर इसे बचाया न गया तो प्रदेश का पश्चिमी भाग बड़ी ही कठिनाई में पड़ जायेगा और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है भारी मात्रा में विद्युत् कटौती करनी पड़ेगी।

इस सम्बन्ध में समय-समय पर टेलीफोन तथा व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा रेलवे विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया जाता रहा है। निवर्तमान मुख्य मंत्री एवं विद्युत् मंत्री जी द्वारा भी इस स्थिति की जानकारी भारत सरकार के रेल मंत्रालय तथा ऊर्जा मंत्रालय को कराई गई, किन्तु कोयले की आपूर्ति में कोई सन्तोषजनक सुधार नहीं हुआ।

इस समय प्रदेश के निम्नलिखित विद्युत् गृहों में कोयले के अभाव के कारण संकट विद्यमान है :

विद्युत् गृह का नाम	आज की स्टाक पोजीशन।
१--पनकी विस्तार	कुछ घंटो के लिए
२--पनकी (पुराना)	"
३--हरदुआगंज 'बी'	"
४--मैनपुरी	बन्द है।
५--गोरखपुर	एक दिन के लिए।
६--लखनऊ	कुछ घंटों के लिए।

उपरोक्त विद्युत् गृहों पर विद्यामान कोयले के संकट के प्रति सरकार प्रयत्नशील है तथा रेलवे मंत्रालय से कोयले का आपूर्ति में तीव्रता लाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रश्न करने से पहले मुझे जो आपत्ति है, वह यह है कि पहली बार यह वक्तव्य विधिक आपत्ति पर वापस हो गया था क्योंकि माननीय खाद्य मंत्री जी ने एक पक्षी वक्तव्य दिया था । इसमें खाद्य विभाग नदारद है, बिजली और उद्योग विभाग हैं । फिर भी अब मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि सर्वत्र यह लिखा है कि कारण--प्रदेश में संकट बना रहेगा । संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता । आगे देखें बिजली विभाग में, फरवरी तक के आंकड़े हैं, अप्रैल के नदारद, यानी हमको मालूम ही नहीं । बिजली की स्थिति निरन्तर कम होती जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि जो कोयले की हमारी स्थिति है इसको सुधारने के लिए सरकार कौन सा प्रयास कर रही है और उन प्रयासों में जो उपलब्ध होगा उसकी क्या सम्भावना है, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री मलिखान सिंह--

सरकार की तरफ से हर समय केन्द्र सरकार से सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है कि हमें वैगन उपलब्ध कराये जायें लेकिन फिर भी कोयले की आपूर्ति को पूरा करने के लिए ट्रकों को एलाऊ कर दिया गया है । जिससे प्रदेश में कोयले का अभाव समाप्त किया जा सके । रेलवे वैगनों की कमी के कारण केन्द्र सरकार को बराबर लिख रहे हैं और प्रांतीय सरकार ने हर विभाग को कह दिया है कि वह जितनी आपूर्ति हो वह ट्रक से लायें हमारे यहां से रुकावट नहीं होगी । जितना सहयोग होगा सरकार करेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरे प्रश्न के दो हिस्से थे । दूसरे में मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि नये-नये मंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था कि कोयले की समस्या नहीं सुधरी तो मैं अपने पद से त्यागपत्र दे दूंगा । मैं इसको याद दिलाते हुये कहना चाहता हूं कि इस वादे के बारे में उनको क्या कहना है ? नं० २ में यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि कोयला कुछ रेल से आयेगा और कुछ ट्रक से आयेगा । स्थिति यह है कि ट्रक से जो कोयला आयेगा उसकी कीमत ज्यादा होगी । इस परिस्थिति को रोकने के लिये वह क्या प्रयास कर रहे हैं और इस्तीफा देने की घोषणा के सम्बन्ध में मंत्री जी को क्या कहना है ?

श्री उपाध्यक्ष--

नम्बर दो का जवाब दे दें ।

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, शायद माननीय सदस्य को ध्यान नहीं है प्रोसीडिंग उठाकर देख लें मैं नया सदस्य नहीं हूं जो इस तरह की एकदम घोषणा कर दूं (हंसी) मिनिट्स उठाकर देख लें ऐसी बात नहीं है । दूसरी चीज यह है कि यदि सरकार की कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मलिखान सिंह]

बात हुई तो हिचकूंगा नहीं । इन समस्याओं पर सरकार बराबर प्रयत्नशील है । हम लोगों की २३, २४ को रेल मंत्री से बात हुयी थी और उसके बाद कोई रेलवे विभाग द्वारा इस तरह की सफलता नहीं मिली कि उन्होंने अतिरिक्त वैगन दिये हों या कोई अन्य सुविधा दी हो । क्योंकि उनके सामने जैसा कि बताया गया रेलवे हड़ताल आदि की समस्यायें हैं । विद्युत् गृह बन्द नहीं हैं, रैक आ रहे हैं । इंडस्ट्री के लिये आ रहे हैं । भट्ठों की बात जरूर है कि लेस प्रायरिटी होने के कारण रैक नहीं मिल रहे हैं । जो वैगनों द्वारा कोयला आयेगा वह ट्रक द्वारा आये कोयले से सस्ता पड़ेगा । ट्रक एलाऊ कर दिये हैं जितना कोयला आ सकता है वह आयेगा जिससे भट्ठे चल सकते हैं, बेकारी दूर होगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी मंत्री जी ने कहा है कि कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन बिल्कुल बन्द नहीं होगा । लेकिन वक्तव्य में पेज ५ पर देखें । इसमें है कि आज के दिन जबकि हरदुआगंज "बी" विद्युत् गृह पर लगभग दो दिन से भी कम का कोयले का भंडार रह गया है । कोयला वैगन टिपलर द्वारा न उतरवा सकने के कारण विद्युत् उत्पादन पर प्रभाव पड़ा हुआ है और हो सकता है कि कोयले की कमी के कारण बन्द करना पड़े । तो मैं जानना चाहता हूं कि जो लिखा है वह सही है या जो आप कह रहे हैं वह सही है अच्छा होता विद्युत मंत्री स्पष्टीकरण देने की कृपा करते ।

श्री मलिखान सिंह--

जो लिखा है वह सही है । लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि विद्युत गृह में रैक पूरे नहीं आ रहे हैं इसलिये लिखा दिया कि कमी पड़ सकती है, हड़ताल हो गयी, ड्राइवर ने रैक नहीं चलाया और रैक न आया । व्यवस्था यह है कि हर फैक्ट्री पर तीसरे चौथे दिन रैक उतर जाय और विद्युत गृह बन्द न हो । लेकिन किसी कारण से ऐसा हो गया तो बन्द हो सकते हैं इसमें दो राय नहीं है ।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ५ से ५० प्रतिशत तक कोयले की कटौती रेल वैगन के डाइरेक्टर देते हैं तो क्या आपके प्रयासों से ५० प्रतिशत की कटौती में कुछ कमी हुई है। और वह कमी २५ प्रतिशत तक आप करा पाये हैं या ५० प्रतिशत तक ही है ? आपके क्या प्रयास हैं उनको मैं जानना चाहता हूं । दूसरी बात आपने कही कि कोयला रेल वैगन के अतिरिक्त हमने ट्रकों से मंगाने के लिए कहा है । तो मैं बताना चाहता हूं कि ट्रकों से कोयला आने के लिए परमिट १५ दिन का होता है जबकि कोलरी से आने में ३ महीने लगते हैं । तो आपके परमिट से १५ दिन में किसी को कोयला प्राप्त नहीं होता है । इसलिए क्या आप इसमें सुधार करेंगे कि ट्रक से कोयला मंगाने के लिए ४ से ६ महीने के परमिट देंगे ?

श्री मलिखान सिंह--

जैसी माननीय सदस्य ने सूचना दिया है इस पर हम विचार कर लेंगे ।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)--

मैं जानना चाहता हूं कि कोयले की जो इस समय सप्लाई है वह पिछले साल से कितने प्रतिशत कम हुई है और कोयला कितने प्रतिशत भट्टों को और कितने प्रतिशत बिजली पैदा करने वालों को दे रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मलिखान सिंह--

यह प्रतिशत अलग-अलग है । जैसा कि मैंने कहा है वह यह कि इंडस्ट्री की प्रायरिटी टाप पर है । विद्युत् गृहों की प्रायरिटी टाप पर है और भट्टों की प्रायरिटी लास्ट है । प्रगति में वैसे डिमांड १२५ रेक कोयले की है लेकिन जिसमें दिसम्बर में केवल २० रेक, जनवरी में ९ रेक, फरवरी में और मार्च में एक भी रेक नहीं मिला। २३ मार्च को रेल मंत्री जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अप्रैल से इसमें सुधार हो जायेगा । इस बीच रेलवे में हड़ताल हो गयी इसीलिए रेक नहीं आयीं । अतः ट्रकों से काम चल रहा है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या मंत्री जी को पता है कि कोयले की वजह से डाला सीमेन्ट फैक्टरी अप्रैल महीने के अन्त में एक सप्ताह के लिए बन्द रही ? यदि हां, तो टाप प्रायरिटी उन्होंने कहां दिया ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा तो उसमें मेरी २ अप्रैल को डाला फैक्टरी के मैनेजिंग डाइरेक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि दो दिन के लिए फैक्टरी बन्द होने जा रही थी लेकिन १३ अप्रैल को रेक चल दी और वहां पहुंच गयी । इसलिए फैक्टरी चल रही है और वह प्रायरिटी फर्स्ट ही है ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि विद्युत् वालों को वरीयता दे रहे हैं और दूसरे भट्टों वालों को समुचित व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं इसलिए वह मनचाहे दाम बढ़ा रहे हैं जिससे आम जनता को परेशानी होती है । अतः ईंटों पर क्या कोई आप प्रतिबन्ध लगा रहे हैं ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, दोनों प्रकार की ईंटों के दाम हर जिला मैजिस्ट्रेट के अधिकार में हैं कि वह मौके पर कीमतें फिक्स कर दें । यह रेल वैगन और ट्रक की कीमत अलग-अलग हैं । यह बात दूसरी है कि ट्रक का लादा हुआ कोयला तेज हो गया इसलिए जिलाधिकारी कहीं-कहीं ट्रक के हिसाब से लागत के हिसाब से कीमत फिक्स करते हैं । तो उनके दाम अलग-अलग फिक्स किये हैं । दोनों के रेट्स में उससे कोई अधिक ले रहा है, तो सूचना देंगे तो जांच करा लेंगे ।

एक सदस्य--

मान्यवर, शाहजहांपुर में बड़ी दिक्कत है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, अपने उत्तर में माननीय खाद्य मंत्री जी ने बतलाया कि रेल मंत्री जी ने कहा था कि कि फरवरी-मार्च में वैगन मिलेंगे और उन्होंने आश्वासन पूरा नहीं किया । तो क्या फिर माननीय मंत्री जी रेल मंत्री जी से बात करेंगे ताकि हमको वैगन मिल सकें ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, मैंने दोनों जगह सम्पर्क किया है और मेरे पास तारीख आ गयी है। इसी बीच में दोनों जगह जाकर व्यवस्था करेंगे और जितना हो सकता है, करेंगे।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया कि जो ट्रक से कोयला लाया जा रहा है और जो रेल से लाया जा रहा है, दोनों से पके हुये ईंटों के रेट्स भिन्न होंगे। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि किसी भी भट्ठे में दो रेट नहीं हैं--चाहे रेल के द्वारा ही कोयला क्यों न सप्लाई हुआ हो। भट्ठे वाले सबसे ज्यादा दाम बढ़ाकर केवल ट्रक वाली ढुलाई के आधार पर ही ईंटें के दाम ले रहे हैं। मान्यवर, ये तीन महीने ईंटें के उत्पादन का मुख्य सीजन है--मार्च, अप्रैल और मई। इस सीजन में कोई ईंटा सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इस सीजन में किसानों और सारी जनता की लूट जारी रहेगी। उसमें कोई रक्षा नहीं कर सकेंगे। क्या इस पर कुछ विचार करने की बात माननीय मंत्री जी के दिमाग में है ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, प्रश्न के दो पहलू हैं--एक तो यह है कि रेल वैगनों का हमारे पास कन्ट्रोल है। दूसरे जब हम बैगन भट्ठे वालों को आवंटित करेंगे तो उस समय हमारे पास पता रहेगा कि इतना कोयला दिया। डी० एस० ओ० आफिस से परमिट कट जायेगी। लेकिन ट्रक वालों का कोई मापदण्ड नहीं है कि उसकी कोई इन्क्वायरी हो सके। रेल वैगन में तो है कि इतने वैगन आवंटित होता है तो उससे पता चल जाता है कि इतना ईंटा बनेगा। लेकिन कोयला अगर ट्रक से आता है, तो उसका कोई रिकार्ड नहीं है। लेकिन उस पर भी विचार कर रहे हैं और यह प्रयास होगा कि ईंटा सही रेट पर मिल सके।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि ईंट के भट्ठों में कोल डस्ट--जिसको धूरा कहते हैं--इस्तेमाल होती है। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितना धूरा बचता है और क्या उस धूरे को डी० एस० ओ० के माध्यम से लाइसेंस वितरित कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और स्थानीय समस्याओं से परिचित हैं। लेकिन उसमें कुछ कठिनाइयां हैं। कितना धूरबचता है और कितना नहीं, हर फैक्ट्री के बारे में यह हिसाब लगाने में थोड़ा कठिनाई है। इसी कारण इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

मान्यवर, मैं माननीय खाद्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उनको पता है कि कोयले का आवंटन रेल बैगनों से न होने के कारण अधिकांश कोयला ट्रकों से आ रहा है और उसकी कीमत अधिक पड़ती है इसलिए भट्ठे वालों ने ईंटों की कीमत १००% बढ़ा दिया है रेल और ट्रक के डिफरेन्स को भी जोड़ लें तो उसकी कीमत बढ़ी नहीं, केवल कोयले की शार्टेज के कारण ईंटों के रेट बढ़ाये हैं

जिस पर कई माननीय सदस्यों ने आपत्ति की और जिसका कोई संतोषजनक उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको जानकारी है कि ईंट के दाम १०० फीसदी बढ़ गय तो उसके नियंत्रण के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? कहीं इस कोयले की कमी से ईंट की लूट न प्रारम्भ हो जाय ?

श्री मलिखान सिंह—

यह तो निश्चित है कि कोयले की कमी से ईंट के रेट बढ़ने लगे लेकिन अधाधुंध बढ़ रहे हैं तो इसके लिए जिलाधीशों को आदेश दे दिये हैं कि मनमानी कीमत लेने की इजाजत न दी जाय । अगर माननीय सदस्य बतलायेंगे कि कहीं मनमानी कीमत ली जा रही है तो उसकी जांच करेंगे ।

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि जो कोयला आता है उसे सरकारी संस्थाओं को न देकर प्राइवेट आदमियों को दिया जा रहा है और इसके बारे में एक रिट भी हुई थी लेकिन फिर भी प्राइवेट आदमियों को कोयला दिया गया जो ब्लैक में बेच लेते हैं ?

श्री मलिखान सिंह—

मेरी जानकारी में नहीं है । अगर माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे तो देख लेंगे ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

क्या माननीय खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर घटिया किस्म का कोयला पाया गया है और जबकि कोयले की दिक्कत है तो घटिया कोयला इन भट्ठ वालों को दिया जायगा ?

श्री मलिखान सिंह—

मिर्जापुर में कोलरीज हैं । उसका कोयला अच्छा नहीं है जो इंडस्ट्री के काम में आ सके या पावर हाउस में काम में आ सके । हमने उस कोयले को लाने की छूट दे रखी है । कोई एतराज नहीं है ।

श्री बाबू बदरे—

मेरा प्रश्न यह था कि उन खानों से अधिक से अधिक कोयला निकाला जाय जिससे भट्ठे वालों को दिया जा सके और अच्छा कोयला इंडस्ट्री को दिया जा सके ।

श्री मलिखान सिंह—

मान्यवर, कोयले का उत्पादन कम या ज्यादा कोल माइन्स की तरह से होता है । निगम करता है । मैं शक्तिनगर गया था और लौटते समय मेरी बात डायरेक्टर से हुई थी । उन्होंने कहा कि भट्ठों के लिए जो कोयला लेने आयेगा हम देंगे । अब अगर कोई लेने जाय और न मिले तब बतलायें तो उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)--

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। अभी मंत्री जी ने कहा कि जिलाधिकारियों को आदेश दे रखा है कि मनमानी कीमत न ली जाय। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने कौन सा रेट निर्धारित किया है जिसके विरुद्ध भट्ठे वाले रेट लेंगे तो वह मनमाना रेट कहा जायगा ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, मैं तो उत्तर दे चुका कि हर जिले के अलग-अलग रेट्स हैं। माननीय सदस्य बस्ती की बात कर रहे हैं, वहां डी० एम० या डी० एस० ओ० ने जो रेट्स फिक्स किये हैं, उनके अगेन्स्ट कोई भट्ठे वाला ज्यादा लेता है तो हमें उसकी सूचना दें, हम उसकी जांच करायेंगे और उसको दंडित करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी फर्जी इकाइयां हैं जिनको आवश्यकता से अधिक कोयला आवंटित है ? ऐसी इकाइयां हैं जिनकी उत्पादन क्षमता को देखते हुए कोयला ज्यादा आवंटित है ? बहुत सी ऐसी इकाइयां हैं जो बन्द हो चुकी हैं और उनको कोयला मिल रहा है ? क्या मंत्री जी इसका एक सर्वेक्षण कराने की कृपा करेंगे कि किनको आवश्यकता से अधिक कोयला मिल रहा है अथवा काम न होते हुए भी कोयला मिल रहा है ? और उसके कोटे को निरस्त करेंगे ?

श्री मलिखान सिंह--

माननीय सदस्य सूचना दे देंगे कि कहां-कहां ऐसा है, तो मैं उनकी तुरन्त जांच करा लूंगा।

कुछ सदस्य--

मान्यवर, यह ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

जवाब दे तो रहे हैं।

श्री मलिखान सिंह--

जो भी कानूनी कार्यवाही उनके खिलाफ हो सकेगी, वह करेंगे। जहां तक अधिक आवंटन का सवाल है, अगर उनके पास सरप्लस होगा तो हम उनका सरप्लस स्टाक सीज कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने यह कहा था कि क्या माननीय मंत्री जी उन फैक्ट्रियों का सर्वेक्षण करायेंगे जिनको ज्यादा कोयला मिल रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

वे कहते हैं कि जिनके बारे में कोई शिकायत आएगी, उसकी हम जांच करा लेंगे।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी फिरोजाबाद के कांच और चूड़ी के कारखानों की जांच करायेंगे जिसमें बहुत से ऐसे कारखान हैं जो बोर्ड लगा रखे हैं और उत्पादन नहीं करते और कोयला लेते हैं ?

श्री मलिखान सिंह—

ऐसी जो इकाइयां हैं, अगर सदस्य उनकी जानकारी देंगे तो कार्यवाही की जाएगी । माननीय रघुवर दयाल जी उसी जनपद के हैं, वहीं से प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रश्न फिरोजाबाद का किया गया तो सदस्य की पूरी जानकारी में किया गया इसलिये जहां वे बता देंगे उन इकाइयों की तुरन्त जांच होगी और उचित कार्यवाही की जाएगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्यगण यह चाहते हैं कि शासन अपनी तरफ से कोई सर्वेक्षण कराये कि कौन-कौन सी इकाइयां ऐसी हैं जो फर्जी चल रही हैं और कोयला ले रही हैं ? कौन सी इकाइयां हैं जो अपनी जरूरत से ज्यादा कोयला ले रही हैं ? आपका यह कहना है कि जहां की हमें शिकायत होगी, वहां हम जांच करा लेंगे । माननीय सदस्य जो सुझाव दे रहे हैं, क्या उस पर आप विचार करेंगे ?

श्री मलिखान सिंह—

शासन इस पर विचार करेगा और उचित कार्यवाही करेगा ।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

माननीय मंत्री जी को मालूम है कि प्रदेश में कोयले का अभाव है, भट्ठे वालों को कोयला वैधानिक तरीके से नहीं मिलता । ऐसी बहुत सी इकाइयों को कोयला मिल जाता है जो बन्द पड़ी हैं और वह कोयला ब्लैक से भट्ठे वालों को देते हैं इसलिए कोयले के दाम बढ़ते हैं ? हमारे बदायूं जिले में चूने की भट्ठियों के नाम से बहुत सा कोयला आवंटित है, चूने की भट्ठियां चलती नहीं । वह कोयला ईंट के भट्ठों में ब्लैक में जाता है । इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से लोग कोयले को लेकर ब्लैक में बेचते हैं, सम्पूर्ण प्रदेश के अन्दर इस बात का सर्वेक्षण करें कि चूने की भट्ठियां जो बन्द पड़ी हैं, उनको कोयला न देकर ईंट के भट्ठों को दिया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब दे चुके ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

मैंने तो दो जनपदों के लिए खासकर कहा है ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में तमाम शब्दों और तमाम वाक्यों के माध्यम से यह स्वीकार किया है कि विद्युत् गृह बन्द होने की स्थिति में है, औद्योगिक इकाइयों पर संकट है, भट्ठे अन्धाधुन्ध रूप से अपने दाम

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त]

बढ़ा रहे हैं और यह बात तमाम रूप से स्वीकार कर ली गयी है कि कोयले का भारी संकट प्रदेश में है। माननीय सदस्यों ने भी इस सम्बन्ध में तमाम तरह से शंकायें प्रकट की हैं। इस सबके बावजूद माननीय खाद्य मंत्री जी फर्जी इकाइयों का सर्वेक्षण कराने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। माननीय सदस्य वैश्य जी ने दो जनपदों का स्पेसिफिक रूप से हवाला दिया, माननीय ऊदल जी ने विशेष रूप से चूड़ी फैक्ट्रीज का हवाला दिया और इनका सर्वेक्षण कराने के लिए माननीय खाद्य मंत्री जी तैयार नहीं हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

सवाल यह है कि माननीय खाद्य मंत्री जी को कौन सा संदेह है जिसके कारण इतने माननीय सदस्यों की शंकाओं के बावजूद, यह सब जानकारी होन के बावजूद, कि कोयले में धड़ाधड़ ब्लैक हो रहा है, फर्जी इकाइयां कोयला ले रहीं हैं जिसके कारण कोयले का संकट बढ़ रहा है, वह सर्वेक्षण नहीं करा रहे हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि इस सब संकट को देखते हुए और प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुये माननीय खाद्य मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि वह इस संकट के निराकरण के लिए सम्पूर्ण कोयला नीति पर पुनर्विचार करने के लिए इस माननीय सदन की एक उप समिति गठित करेंगे जो इस सारे मामले पर विचार करे और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

श्री उपाध्यक्ष—

जहां तक सर्वेक्षण का प्रश्न है उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर विचार करेंगे।

श्री कृष्ण स्वरूप—

माननीय उपाध्यक्ष जी मैंने दो जनपदों के नाम बताये। चूने की फर्जी भट्ठों की इकाइयां हैं जो कोयला लेती हैं और उसको ब्लैक में भट्ठों को बेचती हैं। इन दो जनपदों का सर्वेक्षण करा दें कि एक्चुअल्ली कितनी चीनी की भट्टियां हैं जिनके नाम पर कोयला आवंटित हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष—

इसके ऊपर अब चर्चा समाप्त होती है काफी समय हो चुका है।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

मैं एक सूचना दे रहा हूं।

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी २ मई, १९७९ की बैठक में सदन के ३ और ५ मई, १९७९ के उपवेशनों में लिए जाने वाले कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित संस्तुतियां की हैं--

३ मई, १९७९ गुरुवार--निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण के प्रस्ताव उनके सामने दिए गए समयों में निस्तीर्ण किये जायें--

१--उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७९-एक घण्टा ।

२--उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७९-एक घण्टा ।

३--उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, १९७९-एक घंटा ।

५ मई, १९७९ शनिवार--निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण के प्रस्ताव उनके सामने दिये गये समयों में निस्तीर्ण किये जायें--

१--(क) उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (संशोधन) विधेयक, १९७८--एक घण्टा ।

(ख) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८--एक घण्टा ।

(ग) उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, १९७८--डेढ़ घण्टा ।

२--आलू के मूल्य में गिरावट के सम्बन्ध में श्री देव बहादुर सिंह द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माननीय उपाध्यक्ष द्वारा निर्धारित एक घण्टे की चर्चा शनिवार ५ मई, १९७९ को उक्त तिथि के लिए निर्धारित विधायी कार्य के उपरान्त रखी जायेगी ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को दी है, सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को दी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ ।
२ मई, १९७९

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

मुंबई विद्यापीठ ग्रंथालय

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१ पर)

१४५ विद्यालयों की सूची जिसके निमित्त साज सज्जा हेतु अतिरिक्त अनुदान प्राप्त है ।

१—विकास क्षेत्र, गिलौला

१—प्राइमरी पाठशाला, गिलौला
२—प्राइमरी पाठशाला, फतुहापुर घाट
३—प्राइमरी पाठशाला, परेबपुर
४—प्राइमरी पाठशाला, खरेहरी
५—प्राइमरी पाठशाला, रामनगर
६—प्राइमरी पाठशाला, तुलसीपुर
७—प्राइमरी पाठशाला, ददौली
८—प्राइमरी पाठशाला चेतियामुरार

२—विकास क्षेत्र, चित्तौरा

१—प्राइमरी पाठशाला, जौहरा
२—प्राइमरी पाठशाला, कटरा बहादुरगंज
३—प्राइमरी पाठशाला, अशोका
४—प्राइमरी पाठशाला, रायपुर
५—प्राइमरी पाठशाला, कमोलिया
६—प्राइमरी पाठशाला, उन्नैसा
७—प्राइमरी पाठशाला, घरसवां
८—प्राइमरी पाठशाला, सुहापारा

३—विकास क्षेत्र, पयागपुर

१—प्राइमरी पाठशाला, कोलहवा
२—प्राइमरी पाठशाला, खुटेहना
३—प्राइमरी पाठशाला, पयागपुर
४—प्राइमरी पाठशाला, बनकटा
५—प्राइमरी पाठशाला, सेमरियावां
६—प्राइमरी पाठशाला, झाला इमलिया
७—प्राइमरी पाठशाला, कृष्णा नगर कालोनी
८—प्राइमरी पाठशाला, कोट पयागपुर

४—विकास क्षेत्र, नवाबगंज

१—प्राइमरी पाठशाला, रुपईडीहा
२—प्राइमरी पाठशाला, बाबगंज

विधान सभा

३--प्राइमरी पाठशाला, भवानियापुर
४--प्राइमरी पाठशाला, चरदा
५--प्राइमरी पाठशाला, रामनगर
६--प्राइमरी पाठशाला, भूधरगांव
७--प्राइमरी पाठशाला, नवाबगंज
८--प्राइमरी पाठशाला, दर्जागांव

५--विकास क्षेत्र, महसी

१--प्राइमरी पाठशाला, कपूरपुर
२--प्राइमरी पाठशाला, महसी
३--प्राइमरी पाठशाला, बंशातरवा
४--प्राइमरी पाठशाला, रायपुर
५--प्राइमरी पाठशाला, भगवानपुर
६--प्राइमरी पाठशाला, बहोरिकपुर
७--प्राइमरी पाठशाला, सिकन्दरपुर
८--प्राइमरी पाठशाला, कन्या महसी

६--विकास क्षेत्र, तजवापुर

१--प्राइमरी पाठशाला, मरौचा रोड
२--प्राइमरी पाठशाला, केशवापुर
३--प्राइमरी पाठशाला, बड़नापुर
४--प्राइमरी पाठशाला, दुलम्हा
५--प्राइमरी पाठशाला, खैरा बाजार
६--प्राइमरी पाठशाला, खसहा मुहम्मदपुर
७--प्राइमरी पाठशाला, रमपुरवा
८--प्राइमरी पाठशाला, शेखदहीर

७--विकास क्षेत्र, बलहा

१--प्राइमरी पाठशाला, नानपारा
२--प्राइमरी पाठशाला, हरिजन नानपारा
३--प्राइमरी पाठशाला, गायघाट
४--प्राइमरी पाठशाला, हाडा बसेहरी
५--प्राइमरी पाठशाला, पटरेहिया
६--प्राइमरी पाठशाला, बलहा
७--प्राइमरी पाठशाला, ताजपुर
८--प्राइमरी पाठशाला, सितवारा

८--विकास क्षेत्र, सिरसिया

१--प्राइमरी पाठशाला, सिरसिया
२--प्राइमरी पाठशाला, कुकुर भुकवा

विधान सभा